G20 भारत 2023 INDIA

आज़ादी का अमृत महोत्सव

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो NARCOTICS CONTROL BUREAU भारत INDIA
आसूचना प्रवर्तन समन्वय
INTELLIGENCE ENFORCEMENT COORDINATION

वार्षिक रिपोर्ट 2022

विशेष संस्करण

नशा मुक्त भारत
राष्ट्रीय संकल्प

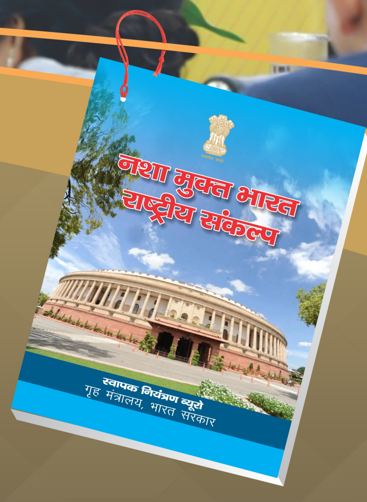

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो
गृह मंत्रालय, भारत सरकार

विजन

सभी हितधारकों के साथ समन्वय और सहयोग के माध्यम से एक ड्रग्स मुक्त समाज के लिए प्रयास करना और उनके बीच तालमेल बनाना

मिशन

केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में, ड्रग्स और मन:प्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी को प्रभावी ढंग से रोकने और उनसे निपटने के लिए कार्य करना।

सभी संबंधित ड्रग कानूनों के तहत विभिन्न अधिकारियों, राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकरणों द्वारा प्रवर्तन से संबंधित कार्रवाई का समन्वय करना।

ड्रग्स के दुरुपयोग से संबंधित मामलों में सभी संबंधित मंत्रालयों, विभागों या संगठनों द्वारा की गई कार्रवाई का समन्वय करना।

अवैध तस्करी के खिलाफ काउंटर उपायों के संबंध में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रीय दायित्वों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।

समन्वय और विश्वव्यापी कार्रवाई की सुविधा के लिए विदेशी अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से काम करना।

राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में, ड्रग कानून प्रवर्तन से संबंधित डेटा, मुद्दों और बेंचमार्क के लिए एक कोष और संदर्भ बिंदु होना।

उपयुक्त हस्तक्षेप करने और केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए मौजूदा और उभरती चुनौतियों, प्रवृत्तियों और परिचालन क्षमताओं का आकलन और विश्लेषण करना।

ड्रग कानून प्रवर्तन के क्षेत्र में शामिल एजेंसियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए निरंतर प्रयास करना।

सिद्धान्त

आसूचना **प्रवर्तन** **समन्वय**

विशेष संस्करण

वार्षिक रिपोर्ट 2022

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट 2022

इस अंक में

महानिदेशक की ओर से
अध्याय 1: भारत में ड्रग्स की तस्करी का परिदृश्य
1.1 प्रवृतियाँ और पैटर्न 2022
1.2 नारकोटिक ड्रग्स
1.3 नारकोटिक फसलें
1.4 मन:प्रभावी पदार्थ
1.5 प्रीकर्सर रसायन प्रवृतियाँ
1.6 फार्मास्युटिकल ड्रग्स
1.7 नए साइकोएक्टिव पदार्थ (एनपीएस)
1.8 2022 के दौरान अधिसूचित नए पदार्थ
1.9 डार्क नेट
1.10 नियंत्रित डेलीवरी
1.11 ड्रग्स का निपटान
अध्याय 2: क्षमता निर्माण
2.1 प्रशिक्षण
2.2 राज्यों को सहायता
2.3 ड्रग डिटेक्शन किट
2.4 ड्रग की मांग में कमी
2.5 एनकॉर्ड पोर्टल
2.6 निदान डैशबोर्ड
2.7 राष्ट्रीय नारकोटिक्स K9 पूल
2.8 मानस हेल्पलाइन
2.9 एनसीबी की झांकी
अध्याय 3: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय
3.1 अंतर्राष्ट्रीय बैठकें/सम्मेलन
3.2 एनकॉर्ड बैठकें
3.3 राष्ट्रीय बैठकें/सम्मेलन
अध्याय 4: संगठन
4.1 एनसीबी चार्टर
4.2 एनसीबी संगठन
4.3 पदक/ पुरस्कार
4.4 राजभाषा हिंदी
अध्याय 5: विधिक अनुभाग
5.1 प्रमुख निर्णय
अध्याय 6: अनुलग्नक- I से IV

मुख्य मार्ग दर्शक

सत्य नारायण प्रधान
महानिदेशक

संपादक मण्डल

मोनिका आ. बत्रा
उप महानिदेशक

विकास कुमार
सहायक निदेशक (जा. एवं क्ष. नि.)

कविता रावत
सहायक निदेशक (राजभाषा)

प्रणीत शर्मा
अधीक्षक (जा. एवं क्ष. नि.)

अवधेश कुमार
आसूचना अधिकारी

समाधान जे बागल
डी.ई.ओ.

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
पश्चिमी ब्लॉक–1,खण्ड–5, आर०के०पुरम, नई दिल्ली –110066
: 011–26181553, फैक्स: 011–26185240
narcoticsbureau@nic-in www-narcoticsindia-nic-in
narcoticscontrolbureauindia @narcoticsbureau

अमित शाह

गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) अपनी वार्षिक रिपोर्ट, 2022 का विशेष संस्करण प्रकाशित कर रहा है। एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट, 2022 का यह विशेष संस्करण आंकड़े, पहलें और रिपोर्ट के रूप में अपनी सभी महत्वपूर्ण उपलब्धियों को एक आकर्षक और सूचनात्मक तरीके से प्रदर्शित करता है।

वार्षिक रिपोर्ट, 2022 का मुख्य आकर्षण **"नशा मुक्त भारत-राष्ट्रीय संकल्प"** पर प्रकाशित एक पूरक पुस्तिका है जोकि दिनांक 21 दिसम्बर 2022 को लोकसभा में **"देश में ड्रग्स की समस्या और इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम"** विषय पर चर्चा और सरकार की भूमिका का संकलन है। मुझे विश्वास है कि वार्षिक रिपोर्ट, 2022 का यह विशेष संस्करण, भारत में ड्रग कानून प्रवर्तन के क्षेत्र में सभी घटनाओं से पाठकों को प्रबुद्ध करेगा।

देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक **"नशा मुक्त भारत (Drug Free India)"** हासिल करने का सपना है और हम केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। वर्ष 2022 विभिन्न पहलों के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय रहा है, जैसे नार्को समन्वय तंत्र का विस्तार, राष्ट्रीय नारकोटिक्स कैनाइन पूल की स्थापना, एनकॉर्ड पोर्टल और निदान डैशबोर्ड आदि का शुभारंभ, जो देश में मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे से निपटने के लिए किए गए प्रयासों को मजबूती प्रदान करता है|

एनसीबी मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ भारत की लड़ाई का ध्वजवाहक है और मुझे विश्वास है कि एनसीबी भारत को नशा मुक्त समाज बनाने की उम्मीदों को पूरा करने में मजबूती से आगे बढ़ेगा।

इस अवसर पर, मैं वार्षिक रिपोर्ट के इस विशेष संस्करण के प्रकाशन के लिए एनसीबी को अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ और साथ ही नशा मुक्त भारत सुनिश्चित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में इसके सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की सफलता की कामना करता हूँ।

(अमित शाह)

कार्यालय : गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 23092462, 23094686, फैक्स : 23094221
ई-मेल : hm@nic.in

अजय भल्ला, भा.प्र.से.
AJAY BHALLA, IAS

सत्यमेव जयते

गृह सचिव
Home Secretary
भारत सरकार
Government of India
नॉर्थ ब्लॉक/North Block
नई दिल्ली / New Delhi

संदेश

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट, 2022 के विशेष संस्करण को एक पूरक पुस्तिका "नशा मुक्त भारत - राष्ट्रीय संकल्प" के साथ प्रकाशित करने की प्रशंसनीय पहल की है।

2. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ड्रग कानून प्रवर्तन के क्षेत्र में, सभी हितधारकों को एक प्रभावी समन्वय मंच प्रदान करने के लिए एक नोडल एजेंसी है और भारत में मादक पदार्थों की तस्करी के संवेदनशील मुद्दे के खिलाफ भारत की मजबूत प्रतिक्रिया के सभी पहलुओं में सक्रिय रूप से शामिल है।

3. वार्षिक रिपोर्ट के इस विशेष संस्करण में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की वर्ष 2022 की प्रमुख उपलब्धियों पर आंकड़े और जानकारी शामिल है। इसके अलावा पूरक पुस्तिका में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की मजबूत नीति और इस संबंध में हाल में की गई नई पहलों का विवरण उपलब्ध है।

4. मुझे विश्वास है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट, 2022 का विशेष संस्करण पाठकों के लिए काफी सूचनात्मक तथा सभी हितधारकों के लिए बेहद मददगार होगा। मैं इस महत्वपूर्ण प्रकाशन को प्रकाशित करने में एनसीबी के प्रयासों की सराहना करता हूँ।

जय हिन्द।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14-4-2023

(अजय भल्ला)

Satya Narayan Pradhan, I.P.S.
Director General
Narcotics Control Bureau

West Block - 1, Wing - 5, R. K. Puram
New Delhi -110066 India
Tel. : +91-11-26172089
Fax : +91-11-26105747
E-mail : dg-ncb@nic.in
Twitter : @dg_ncb

सत्य नारायण प्रधान, भा.पु.से.
महानिदेशक
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो
पश्चिमी खंड-1, विंग-5, आर. के. पुरम
नई दिल्ली-110066 भारत
दूरभाष : +91-11-26172089
फैक्स : +91-11-26105747
ई-मेल : dg-ncb@nic.in
ट्विटर : @dg_ncb

महानिदेशक की ओर से

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की वार्षिक रिपोर्ट, 2022 का विशेष संस्करण पाठको के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मैं अत्यंत हर्षित अनुभव कर रहा हूँ। एनसीबी, ड्रग्स से संबंधित सभी मामलों में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी होने के नाते, देश की ड्रग्स की समस्या की स्थिति का आकलन करने और ड्रग्स की तस्करी और इसके दुरुपयोग के बदलते पैटर्न के अनुसार नीतियां बनाने और नई रणनीतियां शुरू करने में सरकार की सहायता करती आ रही है।

वर्ष 2022 भारत मे ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई के दृष्टिकोण से एक मील का पत्थर माना जा सकता है, क्योंकि इस वर्ष कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए और यह देखते हुए कि मादक पदार्थों की तस्करी एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है कई नई परियोजनाएं और डिजिटल पहल शुरू किए गए। चंडीगढ़ में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में पहली बार 'मादक पदार्थों की तस्करी और आंतरिक सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन' आयोजित किया गया। सम्मेलन के दौरान, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा निदान डैशबोर्ड, एनकॉर्ड पोर्टल और राष्ट्रीय नार-कैनाइन पूल आदि जैसी कई अभिनव पहलों के अनावरण किए गए, जो भारत की ड्रग्स कानून प्रवर्तन क्षमताओं को और मजबूत करेंगी। इसके बाद क्रमशः गुवाहाटी और गांधीनगर में भी नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर दो और क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। सभी सम्मेलनों में तस्करों की वित्तीय रीढ़ तोड़ने के अलावा ड्रग्स के निपटान और नेटवर्क का भंडाफोड़ करने पर जोर दिया गया। वर्ष 2022 में, भारत सरकार ने विभिन्न संवर्गों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में 419 (चार सौ उन्नीस) नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी थी, जो देश में ड्रग कानून प्रवर्तन गतिविधियों को और बढ़ावा देगा।

यह वार्षिक रिपोर्ट न केवल 2022 में एनसीबी द्वारा की गई सभी प्रमुख परिचालन, समन्वय, क्षमता निर्माण गतिविधियों का सांख्यिकीय डेटा प्रदान करती है, बल्कि ड्रग्स कानून प्रवर्तन के क्षेत्र में सरकार की नई पहलों का विवरण भी प्रदान करती है। हम एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2022 के इस विशेष संस्करण के साथ एक पूरक पुस्तिका "नशा मुक्त भारत – राष्ट्रीय संकल्प" भी जारी कर रहे हैं, जो 21-12-2022 को लोकसभा में " देश में ड्रग्स की समस्या और सरकार द्वारा इससे निपटने के लिए उठाए गए कदम" के विषय पर आयोजित चर्चा के दौरान माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के प्रतिक्रियाओं का संकलन है, जो भारत सरकार द्वारा ड्रग्स के खिलाफ उठाए गए कड़े रुख को दर्शाता है।

मुझे विश्वास है कि, आपको एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट का यह विशेष संस्करण शिक्षाप्रद लगेगा और आशा है कि यह सभी ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पेशेवर रूप से समृद्ध करेगा जो सभी को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित 'नशा मुक्त भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा।

मैं इस अवसर पर इस वार्षिक रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए टीम एनसीबी द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करता हूं। मैं रिपोर्ट पर आपकी सुविचारित प्रतिक्रिया और विचारों का स्वागत करता हूं।

सत्य नारायण प्रधान
महानिदेशक,
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो

जय हिन्द

"Say 'No' to Drugs, 'Yes' to Life"
"ड्रग्स को 'ना' जीवन को 'हाँ'"

1

भारत में ड्रग्स की तस्करी का परिदृश्य

भारत में ड्रग्स की तस्करी की समस्या कई बाहरी और आंतरिक कारकों का परिणाम है। भारत की ड्रग्स की स्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख भौगोलिक कारकों में से एक है, अफीम के उत्पादक देशों जैसे कि पश्चिम में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान तथा पूर्व में म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के साथ इसकी निकटता , एवं एक लंबी समुद्री सीमा की उपस्थिति इस स्थिति को और जटिल बना देती है । इस स्थिति ने भारत को कुछ हद तक अफीम के साथ-साथ सिंथेटिक ड्रग्स के लिए गंतव्य और पारगमन मार्ग दोनों बना दिया है। इसके अलावा, भारत के पास सबसे बड़ा फार्मास्युटिकल औद्योगिक आधार है और फार्मास्युटिकल पदार्थों के डायवर्जन के कारण प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का दुरुपयोग बढ़ रहा है । इसके अलावा, अफीम पोस्त और भांग की अवैध खेती भी हमारे देश में चिंता का विषय है। इसलिए, भारत में ड्रग की स्थिति कई कारकों का एक जटिल संयोजन है।

भारत में ड्रग्स की तस्करी के परिदृश्य की मुख्य विशेषताओं को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है: -

i. हिंद महासागर में ड्रग्स की समुद्री तस्करी
ii. कूरियर/पार्सल के जरिए ड्रग्स की तस्करी
iii. भारत-पाक सीमा पर ड्रोन और सुरंगों के जरिए ड्रग्स की तस्करी
iv. भारत में विदेशी नागरिकों द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी
v. डार्क नेट के जरिए ड्रग्स तस्करी के मामलों में वृद्धि, जिसमें क्रिप्टो मुद्राएं जैसे बिट कोइन्स इत्यादि का उपयोग किया जाता है
vi. दक्षिण-पश्चिम एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया से भारत में अफीम की तस्करी।
vii. अफीम की अवैध खेती और कुछ इलाकों में भांग की अत्यधिक वृद्धि।

1.1 प्रवृतियाँ और पैटर्न 2022

कोविड-19 के प्रकोप के बाद सदैव बदलते ड्रग परिदृश्य और बदले हुए डायनामिक्स के कारण , दुनिया भर में ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियां, विशेष रूप से भारतीय डीएलईए नए और उभरते ड्रग तस्करी की प्रवृतियों और पैटर्न के रूप में कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भारत में हाल के दिनों में देखे गए ड्रग्स की तस्करी की कुछ महत्वपूर्ण प्रवृतियाँ इस प्रकार हैं:

I. कूरियर/पार्सल/पोस्ट के माध्यम से ड्रग्स की तस्करी -

- कोविड-19 महामारी के दौरान वाहनों/जहाज/हवाई जहाज की आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंधों ने ड्रग्स के तस्करों को इसकी तस्करी के लिए कूरियर/पार्सल/पोस्ट पर अधिक निर्भर होने के लिए मजबूर किया है जिसने डीएलईए के लिए एक नई चुनौती पैदा की है।
- 2020 में पार्सल बरामदगी में 2019 की तुलना में 300% की वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि मुख्य रूप से कोविड-19 के कारण वैश्विक स्तर पर हवाई यातायात में व्यवधान के कारण हुई है। 2022 में पार्सल मामलों की संख्या, 2020 और 2021 में मामलों की संख्या के लगभग समान है।
- डार्कनेट बाजारों के माध्यम से दवाओं की बढ़ती तस्करी के कारण पार्सल मामलों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

	2018	2019	2020	2021	2022
कुल मामले	40	67	259	250	240
कुल पार्सल	2531	118	374	268	279

II. डार्क नेट के माध्यम से ड्रग्स की तस्करी (2022 के दौरान NCB द्वारा सुलझाए गए मामले):

- प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ, ड्रग्स के तस्करों ने लिए इंटरनेट जैसे आधुनिक साधनों को अपनाया है। यह देखा गया है कि क्रिप्टो-मुद्रा का उपयोग करके डार्क-नेट के माध्यम से ड्रग्स की तस्करी का एक नया तरीका अपनाया जा रहा है। डार्क-नेट और डिजिटल मुद्राओं के माध्यम से ड्रग सौदों और लेनदेन को अंतिम रूप देकर भौगोलिक सीमाओं से बचकर तस्करी किया जा रहा है। भारत में इंटरनेट की आसान पहुंच और एक बड़ी युवा आबादी की उपस्थिति इस समस्या को और जटिल बनाती है।
- वर्ष 2022 के दौरान एनसीबी द्वारा सुलझाए गए कुछ प्रमुख मामले इस प्रकार हैं:-

तारीख	द्वारा जब्त किया गया	जब्त ड्रग्स	तरीका
जनवरी-फरवरी, 2022	दिल्ली क्षेत्रीय इकाई	303 ग्राम एक्सट्सी 17.75 ग्राम मेथामफेटामाइन 9 एलएसडी ब्लोट 3.055 किलोग्राम गाँजा 700 ग्राम चरस	डार्क वेब एवं क्रिप्टोकरेंसी। टेलीग्राम/इंस्टाग्राम एवं व्हाट्सएप
फरवरी, 2022	दिल्ली क्षेत्रीय इकाई	1.07 किलोग्राम मैथाक्यूलोन	क्रिप्टोकरेंसी (बिटकॉइन)

III. ड्रग्स की समुद्री मार्ग से तस्करी में वृद्धि:

- अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में समुद्री मार्ग से ड्रग्स की तस्करी ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए नई चुनौती पेश करती है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सक्रिय अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी सिंडिकेट द्वारा इस मार्ग से ड्रग्स की तस्करी मे अधिक वृद्धि की आशंका उत्पन्न करती है।
- यह अनुमान लगाया गया है कि ड्रग्स की कुल तस्करी का 70% से अधिक समुद्री मार्ग के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। विशेष रूप से भारत के पश्चिमी क्षेत्र में समुद्री मार्ग से ड्रग्स की तस्करी में वृद्धि देखी गई है।
- इस तरह की अधिकांश जब्ती अफगानिस्तान/ईरान के बंदरगाहों से होती है जो भारत में तटीय राज्यों के लिए नियत हैं या आगे श्रीलंका, मालदीव आदि देशों के लिए पारगमन में हैं। जबकि हेरोइन समुद्री मार्ग, के माध्यम से सबसे अधिक तस्करी की जाने वाला ड्रग्स है , एटीएस, चरस कोकीन आदि भी समुद्री मार्ग से जब्त की गई।
- 2022 के दौरान समुद्री मार्गों से तस्करी की जा रही ड्रग्स की जब्ती (एनसीबी को रिपोर्ट किए गए अनुसार) इस प्रकार है:

तारीख	एजेंसी	ड्रग्स	मात्रा (किग्रा में)
12-02-2022	एनसीबी	चरस	528.7
		एटीएस	221.1
		हेरोइन	13.3
17-02-2022	डीआरआई	हेरोइन	34.25
25-04-2022	गुजरात एटीएस/आईसीजी	हेरोइन	56
27-04-2022	एनसीबी	हेरोइन	85
28-04-2022	डीआरआई/गुजरात एटीएस	हेरोइन	200.788
29-04-2022	डीआरआई	हेरोइन	90
30-04-2022	डीआरआई	हेरोइन	29
01-05-2022	गुजरात एटीएस	हेरोइन	155
20-05-2022	डीआरआई/आईसीजी	हेरोइन	217.53
26-05-2022	डीआरआई	कोकीन	52.488
06-06-2022	गुजरात एटीएस/आईसीजी	हेरोइन	46.982

11-07-2022	गुजरात एटीएस/ सीमा शुल्क	हेरोइन	75.3
15-07-2022	सीबी महाराष्ट्र पुलिस	हेरोइन	72.518
26-07-2022	आईसीजी/सीमा शुल्क	गांजा	56.78
27-07-2022	आईसीजी/सीमा शुल्क	गांजा	74.77
04-09-2022	दिल्ली पुलिस एसबी	हेरोइन	345
10-09-2022	डीआरआई/गुजरात एटीएस	हेरोइन	39.477
14-09-2022	गुजरात एटीएस/आईसीजी	हेरोइन	38.994
01-10-2022	डीआरआई	मेथामफेटामाइन	198.1
		कोकीन	9.035
06-10-2022	एनसीबी/भारतीय नौसेना	हेरोइन	200
07-10-2022	डीआरआई	कोकीन	50.232
08-10-2022	गुजरात एटीएस/आईसीजी	हेरोइन	50
22-11-2022	एनसीबी/आईसीजी	गांजा	290.49
		चरस का तेल	1
26-12-2022	गुजरात एटीएस/आईसीजी	हेरोइन	40

1.2 नारकोटिक ड्रग्स

1.2.1 अफीम

अफीम से कई अल्कलॉइड निकाले जा सकते हैं, कुछ प्रमुख एल्कलॉइड हैं मॉर्फिन, कोडीन, थेबाइन, पैपवेरिन और नोस्कैपिन, जो नीमच (एमपी) और गाजीपुर (यूपी) में सरकारी अफीम और अल्कलॉइड वर्क्स में निकाले जा रहे हैं।

प्रवृतियाँ:

- राजस्थान, उत्तर प्रदेश और एम.पी. से देश के अन्य भागों के लिए वैध अफीम का विपथन।
- अफीम की प्रमुख तस्करी मणिपुर, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और गुजरात राज्यों से होती है।

2022 में प्रभावित कुल अफीम बरामदगी 2633 किलोग्राम थी। पिछले 05 वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए गए हैं। जबकि पिछले वर्षों की तुलना में रिपोर्ट किए गए अफीम बरामदगी की संख्या में 2019 तक की प्रवृत्ति में भिन्नता रही है, जब्त की गई अफीम की मात्रा 2021 में 5161 किलोग्राम से घटकर 2022 में 3805 किलोग्राम हो गई है।

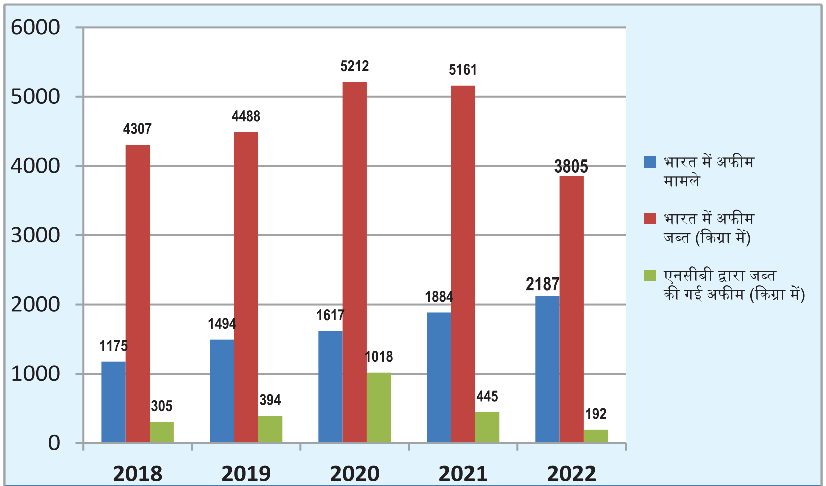

पिछले 5 वर्षों के दौरान अफीम की वर्ष-वार जब्ती (आंकड़ा किग्रा में)

एनसीबी द्वारा अफीम की महत्वपूर्ण जब्ती :

- 25.01.2022 को एनसीबी, जोधपुर क्षेत्रीय इकाई ने राजस्थान के नागौर में 8.095 किलोग्राम अफीम जब्त की। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 09.02.2022 को एनसीबी, दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने डीएचएल एक्सप्रेस प्रा. लिमिटेड, कीर्ति नगर, नई दिल्ली में 4 किलोग्राम अफीम बरामद की गई।
- 19.03.2022 को, एनसीबी, इंफाल उप- क्षेत्रीय इकाई ने मारम, सेनापति, मणिपुर में 17.024 किलोग्राम अफीम और 1.050 किलोग्राम एम्फ़ैटेमिन ज़ब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 24.03.2022 को, एनसीबी , जोधपुर क्षेत्रीय इकाई ने देसुरे गांव, पाली, राजस्थान में 3.025 किलोग्राम अफीम जब्त की। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 28.03.2022 को एनसीबी, पटना क्षेत्रीय इकाई ने आमस टोल प्लाजा, गया, बिहार में 14 किलो अफीम जब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 30.03.2022 को एनसीबी, लखनऊ क्षेत्रीय इकाई ने लखनऊ में 20.100 किलोग्राम अफीम जब्त की। 05 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 31.03.2022 को, एनसीबी , अजमेर उप- क्षेत्रीय इकाई ने राजस्थान के दौसा में 12.500 किलोग्राम अफीम जब्त की। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 18.04.2022 को, एनसीबी, अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई ने डीएचएल कूरियर, अहमदाबाद में 3.100 किलोग्राम अफीम जब्त की।
- 26.05.2022 को, एनसीबी, चंडीगढ़ क्षेत्रीय इकाई ने शंभू टोल प्लाजा, अंबाला, हरियाणा में 14.700 किलोग्राम अफीम जब्त की। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 28.05.2022 को, एनसीबी, जोधपुर क्षेत्रीय इकाई ने राजस्थान के बीकानेर जिले के नोखा में 4.940 किलोग्राम अफीम जब्त की। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 08.07.2022 को, एनसीबी , अजमेर उप - क्षेत्रीय इकाई ने एनएच-21, बस्सी, जयपुर, राजस्थान में 8.220 किलोग्राम अफ़ीम ज़ब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 10.07.2022 को, एनसीबी, चंडीगढ़ क्षेत्रीय इकाई ने 4.100 किलोग्राम अफीम, 194.200 किलोग्राम पोस्त भूसा और डिफेनोक्सिलेट हाइड्रोक्लोराइड की 6,000 टैबलेट जब्त कीं। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 16.07.2022 को एनसीबी, जोधपुर क्षेत्रीय इकाई ने श्योपुरा घाट, ब्यावर, राजस्थान में 8.175 किलोग्राम अफीम जब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 07.09.2022 को, एनसीबी, कोलकाता क्षेत्रीय इकाई ने बाजा कदमथल घाट, ईस्टर्न रोड, कोलकाता में 113.930 किलोग्राम पोस्त भूसा जब्त किया और अनुवर्ती कार्रवाई में बड़ाबाजार, कोलकाता में 350 ग्राम अफीम जब्त की। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 14.12.2022 को, एनसीबी, अजमेर उप- क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने जयपुर-जोधपुर राजमार्ग, ब्यावर सदर, अजमेर, राजस्थान में 6.780 किलोग्राम अफीम जब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 14.12.2022 को एनसीबी, लखनऊ क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 3.900

किलोग्राम अफीम, 32 बोर पिस्टल, 01 मैगजीन और 09 लाइव राउंड जब्त किए। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

- 17.12.2022 को एनसीबी, रांची उप-क्षेत्र के अधिकारियों ने सिसई, गुमला, झारखंड में 12.375 किलोग्राम अफीम जब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

केस स्टडी-सबसे बड़ी अफीम बरामदगी

एनसीबी लखनऊ क्षेत्रीय इकाई द्वारा 20.1 किलोग्राम अफीम की जब्ती

गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, एनसीबी, लखनऊ क्षेत्रीय इकाई ने 30.03.2022 को शहीद पथ, लखनऊ में 05 व्यक्तियों के कब्जे से 20.1 किलोग्राम अफीम की जब्ती की, जो वाराणसी-सीतापुर जाने वाली जनरथ बस में सवार थे। उनमें से 04 व्यक्ति खूंटी, झारखंड के हैं और 01 व्यक्ति बरेली, यू.पी. से है।

पूछताछ में आगे पता चला कि जब्त की गई ड्रग की उत्पत्ति झारखंड में हुई थी और इसे बरेली, यू.पी. के लिए नियत किया गया था। इसके अलावा, बयान के दौरान, एक आरोपी व्यक्ति ने खुलासा किया कि जब्त अफीम को खूंटी के जंगलों से यूपी में आधारित रिसीवर्स को वितरण के लिए एकत्र किया गया था।

तकनीकी पदचिह्नों की जांच और विश्लेषण के दौरान, यह पाया गया कि झारखंड स्थित ड्रग वाहकों को बरेली और सीतापुर स्थित रिसीवर्स में वर्जित आपूर्ति करने के लिए निर्देशित किया गया था। एनसीबी, लखनऊ के अधिकारियों ने निरंतर प्रयासों से बरेली स्थित रिसीवर को 02.04.2022 को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अब तक कुल 06 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

1.2.2 हेरोइन

हेरोइन एक अत्यधिक नशे की लत वाली ड्रग है जो अफीम से संश्लेषित होती है। कच्ची अफीम को सुखाया जाता है और मॉर्फिन का उत्पादन करने के लिए शुद्ध किया जाता है जिसे बाद में हेरोइन बनाने के लिए एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ उपचारित किया जाता है। इसके प्रसंस्करण के आधार पर, हेरोइन सफेद से गहरे भूरे रंग के विभिन्न रंगों में निकलती है। हेरोइन को स्थानीय रूप से स्मैक, ब्राउन शुगर, चिट्टा (पंजाब में) आदि के रूप में भी जाना जाता है। हेरोइन की शुद्धता का स्तर इसके प्रसंस्करण में मिलावट की डिग्री दर्शाता है।

प्रवृतियाँ:-

- भारत में हेरोइन की बड़ी तस्करी भारत-पाकिस्तान सीमा जैसे माध्यम से होती है, यानी पंजाब और जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती राज्यों के माध्यम से। इन सीमावर्ती राज्यों से हेरोइन की तस्करी दूसरे राज्यों में की जाती है।
- समुद्र के माध्यम से दक्षिण पश्चिम एशियाई हेरोइन की समुद्री तस्करी में हालिया वृद्धि।
- पश्चिम बंगाल के राज्यों से अफीम पोस्त की अंतर्राज्यीय तस्करी। उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, जम्मू और कश्मीर और मणिपुर आदि राज्यों से अफीम पोस्त की अंतर्राज्यीय तस्करी।
- पंजाब, दिल्ली और यूपी में भारी मात्रा में हेरोइन की जब्ती की गई है।

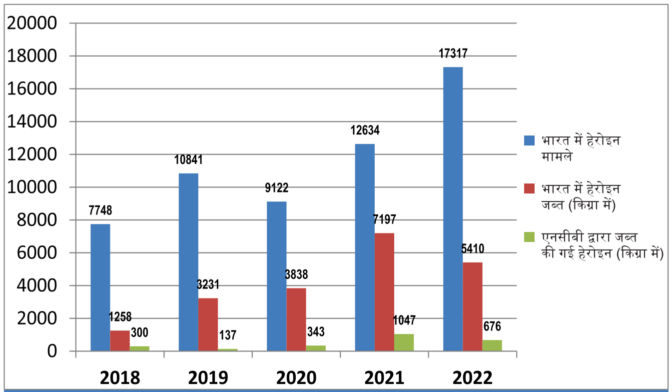

पिछले 5 वर्षों के दौरान हेरोइन की वर्षवार जब्ती
(आंकड़ा किलोग्राम में)

हेरोइन- ड्रग्स की तस्करी का समुद्री मार्ग

एनसीबी द्वारा हेरोइन की महत्वपूर्ण जब्तियाँ :

- 01.01.2022 को एनसीबी, अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से पंजाब के फिरोजपुर में 980 ग्राम हेरोइन जब्त की।
- 11.01.2022 को एनसीबी, अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से पंजाब के फाजिल्का में 19.375 किलोग्राम हेरोइन, 430 ग्राम अफीम, 01 पिस्टल, 01 मैगजीन और 08 टैबलेट जब्त कीं।
- 11.01.2022 को एनसीबी, अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से पंजाब के खेमकरण में 1.195 किलोग्राम हेरोइन जब्त की।
- 11.01.2022 को एनसीबी, अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से फिरोजपुर, पंजाब में 1.000 किलोग्राम हेरोइन जब्त की।
- 12.01.2022 को, एनसीबी , अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से पंजाब के खेमकरण में 990 ग्राम हेरोइन ज़ब्त की।
- 12.01.2022 को एनसीबी, अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से पंजाब के फिरोजपुर में 5.960 किलोग्राम हेरोइन, 01 पिस्टल, 01 मैगजीन और 50 टैबलेट जब्त कीं।
- 19.01.2022 को, एनसीबी , हैदराबाद उप-क्षेत्रीय इकाई ने UPS एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना में एक नियंत्रित डिलीवरी ऑपरेशन में 990 ग्राम हेरोइन ज़ब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 20.01.2022 को, एनसीबी , अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से अमृतसर, पंजाब में 6.920 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त की।
- 27.01.2022 को, एनसीबी , दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने 2.250 किलोग्राम हेरोइन और 500 ग्राम मेथामफेटामाइन जब्त किया और एनसीबी , दिल्ली की अनुवर्ती कार्रवाई में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।।
- 29.01.2022 को एनसीबी, कोलकाता क्षेत्रीय इकाई ने कृष्णानगर, पश्चिम बंगाल में 7 किलो हेरोइन और रु. 20,000/- की जब्ती की। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 30.01.2022 को एनसीबी, अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से गुरदासपुर, पंजाब में 785 ग्राम हेरोइन, 01 पिस्टल, 01 पिस्टल मैगजीन और 06 जिंदा कारतूस जब्त किए।
- 06.02.2022 को, एनसीबी , कोलकाता क्षेत्रीय इकाई ने पश्चिम बंगाल के बेथुआदाहिरी, नादिया में 1.848 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त की। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 12.02.2022 को, एनसीबी , अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई ने गुजरात के पोरबंदर बंदरगाह पर 528.700 किलोग्राम हशीश, 221.100 किलोग्राम मेथमफेटामाइन और 13.300 किलोग्राम हेरोइन जब्त की।
- 15.02.2022 को, एनसीबी, अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से अमरकोट, पंजाब में 3.950 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त की।
- 17.02.2022 को, एनसीबी , अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से अमरकोट, पंजाब में 5.960 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त की।
- 19.02.2022 को, एनसीबी , दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने नई दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर 1.025 किलोग्राम

हेरोइन ज़ब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

- 20.02.2022 को एनसीबी, अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से अबोहर, पंजाब में 2.845 किलोग्राम हेरोइन जब्त की।
- 03.03.2022 को एनसीबी, अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से पंजाब के अमरकोट में 04.035 किलोग्राम हेरोइन जब्त की।
- 07.03.2022 को एनसीबी, अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से पंजाब के अमरकोट में 03.990 किलोग्राम हेरोइन और 225 ग्राम ड्रग्स जब्त किया।
- 12.03.2022 को एनसीबी, चंडीगढ़ क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से पंजाब के तरनतारन में 02.590 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 24.03.2022 को, एनसीबी , अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से बीओपी - दाओके, अमृतसर, पंजाब में 2.380 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त की।
- 27.03.2022 को, एनसीबी , अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से बीओपी - समस्के, 101 Bn बीएसएफ , फ़िरोज़पुर, पंजाब में 07.895 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त की।
- 30.03.2022 को एनसीबी, अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से बीओपी-खानगढ़, 144 बटालियन बीएसएफ, खासा, अमृतसर में 02.945 किलोग्राम हेरोइन जब्त की।
- 02.04.2022 को एनसीबी, जोधपुर क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से श्रीगंगानगर, राजस्थान में 3.035 किलोग्राम हेरोइन जब्त की।
- 03.04.2022 को, एनसीबी , दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने नई दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर 5.190 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 04.04.2022 को, एनसीबी , अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से बीओपी -वान, बीएसएफ , अमरकोट, पंजाब में 01.980 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त की।
- 08.04.2022 को एनसीबी, जोधपुर क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के साथ मिलकर राजस्थान के श्रीगंगानगर में 3.055 किलोग्राम हेरोइन जब्त की।
- 10.04.2022 को एनसीबी, अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से पंजाब के फिरोजपुर में 970 ग्राम हेरोइन जब्त की।
- 10.04.2022 को एनसीबी गुवाहाटी क्षेत्रीय इकाई ने आरपीएफ कार्यालय के पास गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर 1.045 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार कि
- 12.04.2022 को, एनसीबी , मुंबई क्षेत्रीय इकाई ने CSI एयरपोर्ट, मुंबई में 3.980 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 12.04.2022 को, एनसीबी , अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से पंजाब के तरनतारन में 3.420 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त की।
- 19.04.2022 को, एनसीबी , अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से अमृतसर, पंजाब में 1.960 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त की।
- 23.04.2022 को, एनसीबी , अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से बीओपी - रानिया, अमृतसर, पंजाब में 2.675 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त की।
- 23.04.2022 को, एनसीबी , अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से बीओपी - उत्तर धारीवाल, अमृतसर, पंजाब में 985 ग्राम हेरोइन ज़ब्त की।
- 25.04.2022 को, एनसीबी , अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से बीओपी - अटारी, अमृतसर, पंजाब में 980 ग्राम हेरोइन ज़ब्त की।
- 26.04.2022 को, एनसीबी, दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने सरस्वती कॉलोनी, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में 35.250 किलोग्राम हेरोइन और 2.750 किलोग्राम एसिटिक एनहाइड्राइड जब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 27.04.2022 को, एनसीबी , दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने, अबुल फजल एन्क्लेव, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली से 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया।
- 01.05.2022 को, एनसीबी, चेन्नई क्षेत्रीय इकाई ने तमिलनाडु के रामनाथपुरम में 3.2 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 03.05.2022 को, एनसीबी , अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से बीओपी - जोधावाला, अबोहर, पंजाब में 2.870 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त की।03.05.2022 को, एनसीबी , अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से बीओपी - रतन खुराद, अमृतसर, पंजाब में 1.342 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त की।
- 06.05.2022 को, एनसीबी, इंफाल उप-क्षेत्रीय इकाई

ने संकुमई, सेनापति, मणिपुर में 915 ग्राम हेरोइन ज़ब्त की। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

- 09.05.2022 को, एनसीबी , अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से बीओपी - भरोपाल, 144 Bn बीएसएफ , अमृतसर, पंजाब में 8.920 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त की।
- 12.05.2022 को, एनसीबी , दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में 1.020 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 25.05.2022 को एनसीबी, इंदौर क्षेत्रीय इकाई ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 21 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 24.05.2022 को, एनसीबी , बैंगलोर क्षेत्रीय इकाई ने सूर्या रेजीडेंसी, न्यू एयरपोर्ट रोड, बैंगलोर में 13.850 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त की। 08 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 29.05.2022 को, एनसीबी , अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से अमृतसर, पंजाब में 3.870 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त की।
- 31.05.2022 को, एनसीबी , दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने नई दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर 4 किलो हेरोइन ज़ब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 01.06.2022 को, एनसीबी, इंफाल उप-क्षेत्रीय इकाई ने मणिपुर के चुराचंदपुर में 6.654 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 02.06.2022 को, एनसीबी , गुवाहाटी क्षेत्रीय इकाई ने बाइहाटा चारिआली, कामरूप (R), असम में 16.777 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त की। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 08.06.2022 को एनसीबी, जोधपुर क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से राय सिंह नगर, राजस्थान में 3.480 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। 04 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 26.06.2022 को, एनसीबी , अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई के अधिकारी ने बीएसएफ के साथ मिलकर पंजाब के फाजिल्का में 1.480 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त की।
- 28.06.2022 को एनसीबी, जोधपुर क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के साथ मिलकर राजस्थान के श्रीगंगानगर में 2.128 किलोग्राम हेरोइन जब्त की।
- 13.07.2022 को, एनसीबी , अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से बीओपी - घोगा, 183 बटालियन, बीएसएफ , अजनाला, पंजाब में 2.515 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त की।
- 04.09.2022 को, एनसीबी , दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने नई दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर 19.867 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त की। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 06.09.2022 को, एनसीबी , अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से बीओपी -GG बेस, 66 बटालियन, बीएसएफ , फ़ज़िका, पंजाब से 3.135 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त की।
- 06.09.2022 को, एनसीबी , अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से बीओपी - भरोपाल, 144 बटालियन बीएसएफ , अमृतसर, पंजाब में 2.942 किलोग्राम हेरोइन और 66 ग्राम अफ़ीम ज़ब्त की।
- 07.09.2022 को, एनसीबी , अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से बीओपी - भैनी दिलावर, 66 बटालियन बीएसएफ , रामपुरा, पंजाब में 5.940 किलोग्राम हेरोइन और 175 ग्राम अफ़ीम ज़ब्त की।
- 09.09.2022 को, एनसीबी , अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से बीओपी -NS वाला, 160 बटालियन, जलालाबाद, पंजाब में 1.790 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त की। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 19.09.2022 को, एनसीबी , अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से बीओपी - पल्मोरेन, 22वीं Bn बीएसएफ , अमृतसर, पंजाब में 2.485 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त की।
- 25.09.2022 को, एनसीबी , अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से बीओपी -JCP अटारी, अमृतसर, पंजाब में 3.090 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त की।
- 26.09.2022 को, एनसीबी , अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से बीओपी -पछरियान, 116 Bn बीएसएफ , फ़िरोज़पुर, पंजाब में 965 ग्राम हेरोइन ज़ब्त की।
- 30.09.2022 को, एनसीबी , अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से बीओपी - भरोपाल, 144 Bn बीएसएफ , अमृतसर, पंजाब में 2 किलो हेरोइन ज़ब्त की।
- 01.10.2022 को, एनसीबी , अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने बीएसएफ के सहयोग से बीओपी - गट्टियारू, 52 बटालियन, बीएसएफ ,

फाजिल्का, पंजाब में 9 5 0 ग्राम हेरोइन ज़ब्त की।03.10.2022 को एनसीबी, जोधपुर क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने बीएसएफ के सहयोग से बीओपी-कैलाश, 23 बटालियन, बीएसएफ, अनूपगढ़, श्री गंगा नगर, राजस्थान में 3.560 किलोग्राम हेरोइन जब्त की।

- 05.10.2022 को, एनसीबी , अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने बीएसएफ के सहयोग से बीओपी - भरोपाल, 144 बटालियन बीएसएफ , अमृतसर, पंजाब से 1.965 किलोग्राम हेरोइन और 10 ग्राम अफ़ीम ज़ब्त की।
- 06.10.2022 को, एनसीबी, कोचीन उप-क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर केरल के मट्टनचेरी वार्फ, कोचीन में 199.445 किलोग्राम हेरोइन, 400 ग्राम अफीम और 15 ग्राम हशीश ज़ब्त की। 06 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 17.10.2022 को, एनसीबी , अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने बीएसएफ के सहयोग से बीओपी - रनिया, 22 बटालियन बीएसएफ , अमृतसर, पंजाब में 2 किलो हेरोइन ज़ब्त की।
- 18.10.2022 को, एनसीबी , अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने बीएसएफ के सहयोग से बीओपी - कलाम डोगर, 183 Bn बीएसएफ , अजनाला, पंजाब में 2.440 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त की।
- 09.11.2022 को, एनसीबी , अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने बीएसएफ के सहयोग से बीओपी - चंदू वडाला, 89 बटालियन बीएसएफ , पंजाब में 2.990 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त की।
- 15.11.2022 को, एनसीबी, चंडीगढ़ क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने लुधियाना, पंजाब में 20.326 किलोग्राम हेरोइन और उसी दिन अनुवर्ती कार्रवाई में 2 ग्राम हेरोइन, 17 ग्राम अफीम और नकद रु. 5,32,510/- जब्त की । आगे की कार्यवाही में 7.750 किलो हेरोइन और मैगजीन के साथ 04 टैबलेट ढंदरा रोड, लुधियाना में और 1.140 किलो हेरोइन, 23.645 किलो नारकोटिक्स पदार्थ, 2 लीटर एचसीएल और 531 ग्राम एसिटिक एनहाइड्राइड गिल रोड, लुधियाना में बरामद किया गया। 26.11.2022 को एक अन्य अनुवर्ती कार्रवाई में, फेज-2, अर्बन एस्टेट, लुधियाना, पंजाब में एक दुकान से 90 ग्राम अफीम जब्त की गई और 29.11.2022 को न्यू ग्रेन बाजार, लुधियाना, पंजाब में 5.470 किलोग्राम मॉर्फीन, 450 ग्राम अफीम, 50 ग्राम हेरोइन और 25 टैबलेट जब्त की गई। कुल 05 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 19.11.2022 को, एनसीबी , अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने बीएसएफ के साथ मिलकर बीओपी -WAN, 103 बटालियन, बीएसएफ , अमरकोट, पंजाब में 1 किलो हेरोइन ज़ब्त की।
- 19.11.2022 को, एनसीबी , अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने बीएसएफ के सहयोग से बीओपी - पल्लोपति, 103 बटालियन, बीएसएफ , अमरकोट, पंजाब में 980 ग्राम हेरोइन ज़ब्त की।
- 28.11.2022 को, एनसीबी, इंफाल उप-क्षेत्र के अधिकारियों ने एमएसआरटीसी बस स्टैंड, मोइरांगखोम, इंफाल पश्चिम, मणिपुर में 1.049 किलोग्राम हेरोइन और 1 किलोग्राम मेथमफेटामाइन जब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 29.11.2022 को, एनसीबी , अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने बीएसएफ के सहयोग से 73 बटालियन, बीएसएफ मुख्यालय, अमृतसर, पंजाब में 3 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त की।
- 10.12.2022 को एनसीबी, लखनऊ क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 1.470 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 17.12.2022 को, एनसीबी , गुवाहाटी क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने रेलवे ईस्ट कॉलोनी, अमीनगांव, कामरूप (ग्रामीण), असम में 153.200 किलोग्राम गांजा, 179 ग्राम मेथामफेटामाइन की टैबलेट, 1.020 किलोग्राम हेरोइन, कोडीन आधारित खांसी की ड्रग की 16 बोतलें, मैगजीन के साथ 01 पिस्तौल, 01 टोयोटा फॉर्च्यूनर और 01 टोयोटा इनोवा कार जब्त की । 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 25.12.2022 को, एनसीबी , चंडीगढ़ क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने एनसीबी , चंडीगढ़ के पिछले मामले की अनुवर्ती कार्रवाई में SCO नंबर 11, न्यू ग्रेन मार्केट, लुधियाना, पंजाब में 09 टोमैटो सॉस टिन बॉक्स से 5.200 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त की। 06 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 28.12.2022 को एनसीबी, जोधपुर क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने राजस्थान के बांसवाड़ा शहर के पशु चिकित्सा क्लिनिक, बांसवाड़ा रोड से 2.064 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

केस स्टडी- हेरोइन की सबसे बड़ी जब्ती

एनसीबी कोचीन उप-क्षेत्रीय इकाई (चेन्नई क्षेत्र) द्वारा 06.10.2022 को 199.445 किलोग्राम हेरोइन, 400 ग्राम हशीश और 15 ग्राम अफ़ीम की ज़ब्ती

एनसीबी मुख्यालय द्वारा विकसित विशिष्ट इनपुट के आधार पर, जिसे भारतीय नौसेना के जहाज सुनयना को साझा किया गया , एक मछली पकड़ने वाली ईरानी नाव को हेरोइन के लगभग 200 पैकेट, हशीश और अफीम (कम मात्रा मे) ले जाने का संदेह होने पर , 06 संदेहास्पद ईरानी व्यक्तियों, जो नाव पर सवार थे, के साथ पकड़ा गया। नाव को भारतीय नौसेना द्वारा 06.10.2022 को मट्टनचेरी घाट लाया गया ड्रग्स एनसीबी कोचीन उप-क्षेत्रीय इकाई को सौंप दिया गया। कुल 199.445 किलोग्राम हेरोइन, 400 ग्राम हशीश और 15 ग्राम अफीम जब्त कर बरामद की गई। सभी छह ईरानी चालक दल के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

1.2.3 कैनबिस (गांजा)

यूएनओडीसी के अनुसार, “गांजा दुनिया में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला अवैध पदार्थ है"। कैनबिस के विशिष्ट हर्बल रूप में फूल और स्थानापन्न पत्तियां और मादा पौधों के परिपक्व स्त्रीकेसर के डंठल होते हैं।ड्रग के राल वाले रूप को हशीश के नाम से जाना जाता है। कैनबिस में कई रासायनिक पदार्थ होते हैं, हालांकि सबसे प्रमुख और एकमात्र साइकोएक्टिव पदार्थ (-)- ट्रांस-डेल्टा9 -टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल (डेल्टा-9-टीएचसी या टीएचसी) है।

प्रवृतियाँ :

- पूर्वोत्तर भारत से पूर्वी राज्यों में तस्करी मुख्य रूप से सतही परिवहन द्वारा होती है।
- भारत-नेपाल सीमा के पार और ओडिशा, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पर्याप्त मात्रा में तस्करी होती है और मणिपुर और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से कम मात्रा में तस्करी होती है।
- गांजा के लिए मुख्य पारगमन मार्ग असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के माध्यम से हैं।

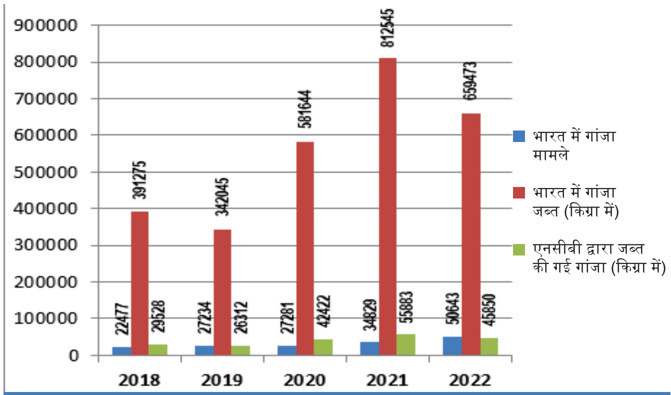

पिछले 5 वर्षों के दौरान गांजा की वर्षवार जब्ती (आंकड़ा किलोग्राम में)

एनसीबी द्वारा गाँजा की महत्वपूर्ण जब्तियाँ :

- 08.01.2022 को, एनसीबी , चेन्नई क्षेत्रीय इकाई ने नल्लूर टोल प्लाजा, शोलावरम, चेन्नई में 369 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 09.01.2022 को एनसीबी, पटना क्षेत्रीय इकाई ने बेलागंज, गया, बिहार के पास 702 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 10.01.2022 को एनसीबी, गुवाहाटी क्षेत्रीय इकाई ने हेल्थ सिटी अस्पताल, खानपारा, गुवाहाटी के पास 765.380 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 10.01.2022 को एनसीबी, गुवाहाटी क्षेत्रीय इकाई ने मेट्रो अस्पताल, खानपारा, गुवाहाटी के पास 3071.160 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

- 10.01.2022 को एनसीबी, जोधपुर क्षेत्रीय इकाई ने ओचारी टोल प्लाजा, चित्तौड़गढ़ में 279.650 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 21.01.2022 को एनसीबी, पटना क्षेत्रीय इकाई ने पटना, बिहार में 297 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 22.01.2022 को एनसीबी, कोलकाता क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के सहयोग से मेघपाला, कूचबिहार, पश्चिम बंगाल में 690 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 29.01.2022 को, एनसीबी , पटना क्षेत्रीय इकाई ने बिहार के बेगूसराय में 547 किलोग्राम गांजा ज़ब्त किया। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 31.01.2022 को, एनसीबी , भुवनेश्वर उप-क्षेत्रीय इकाई ने खुर्दा, ओडिशा में 459 किलोग्राम गांजा ज़ब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 01.02.2022 को, एनसीबी , रांची उप-क्षेत्रीय इकाई ने रांची, झारखंड में 360.500 किलोग्राम गांजा ज़ब्त किया। 05 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 25.02.2022 को, एनसीबी , गुवाहाटी क्षेत्रीय इकाई ने कामरूप, असम में 405.270 किलोग्राम गांजा ज़ब्त किया। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 04.03.2022 को एनसीबी, कोलकाता क्षेत्रीय इकाई ने हावड़ा, कोलकाता में 400 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 06 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 10.03.2022 को, एनसीबी , अजमेर उप-क्षेत्रीय इकाई ने ओछरी टोल प्लाजा, चित्तौड़गढ़, राजस्थान में 305.480 किलोग्राम गांजा ज़ब्त किया। 04 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 25.03.2022 को, एनसीबी , कोलकाता क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के साथ मिलकर पेटभाटा, कूचबिहार, पश्चिम बंगाल में 846 किलोग्राम गांजा ज़ब्त किया।
- 05.04.2022 को एनसीबी, गुवाहाटी क्षेत्रीय इकाई ने बालागांव, रंगिया, कामरूप, असम में 4601.780 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 07.04.2022 को एनसीबी, कोलकाता क्षेत्रीय इकाई ने 851.800 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 09.04.2022 को एनसीबी, रांची सब क्षेत्र के अधिकारी ने पुरुलिया चंदनक्यारी रोड, बोकारो, झारखंड में 538 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 11.04.2022 को, एनसीबी , पटना क्षेत्रीय इकाई ने बिहार के कटिहार में 795 किलोग्राम गांजा ज़ब्त किया। 05 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 11.04.2022 को एनसीबी, कोलकाता क्षेत्रीय इकाई ने कूचबिहार, पश्चिम बंगाल में ने 207 किलोग्राम गांजा और रु. 1,08,000/- ज़ब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 25.04.2022 को एनसीबी, लखनऊ क्षेत्रीय इकाई ने बकेवर, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश में 2400 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 05.05.2022 को एनसीबी, भुवनेश्वर उप-क्षेत्र ने ओडिशा के चंदका में 506 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 18.05.2022 को रांची उप-क्षेत्र एनसीबी ने नामकुम, रांची में 204 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 20.05.2022 को एनसीबी, इंदौर क्षेत्रीय इकाई ने कवर्धा, छत्तीसगढ़ में 885.150 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 06 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 02.06.2022 को, एनसीबी, इंफाल उप-क्षेत्र ने मणिपुर के सेनापति जिले के तडुबी में 1191.200 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 09.06.2022 को, एनसीबी , अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई ने लिंडियात, सूरत, गुजरात में 523.450 किलोग्राम गांजा ज़ब्त किया। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 11.06.2022 को, एनसीबी, कोलकाता क्षेत्रीय इकाई ने बीएसएफ के साथ मिलकर मेघपाल, कूचबिहार, पश्चिम बंगाल में 1,582 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 15.06.2022 को, एनसीबी, अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई ने लाजोर सर्किल, सूरत में 724.400 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 07 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 18.06.2022 को एनसीबी, अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई ने चौरयासी टोल प्लाजा, सूरत में 352.520 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 22.06.2022 को एनसीबी, गुवाहाटी क्षेत्रीय इकाई ने गुवाहाटी में एक ट्रक से 1,484.950 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 27.06.2022 को, एनसीबी , मुंबई क्षेत्रीय इकाई ने महाराष्ट्र के सोलापुर-मुंबई रोड पर 286 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 08.07.2022 को, एनसीबी , गुवाहाटी क्षेत्रीय इकाई ने गुवाहाटी, असम में 1,728.900 किलोग्राम गांजा ज़ब्त

किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

- 11.07.2022 को, एनसीबी , गुवाहाटी क्षेत्रीय इकाई ने NH-37, खानापारा फ्लाईओवर, गुवाहाटी के पास 297.520 किलोग्राम गांजा ज़ब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 14.07.2022 को, एनसीबी , इंदौर क्षेत्रीय इकाई ने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 1276.470 किलोग्राम गांजा ज़ब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 16.07.2022 को, एनसीबी , भुवनेश्वर उप-क्षेत्र ने नंदनकानन, भुवनेश्वर, उड़ीसा में 738 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 16.07.2022 को, एनसीबी , रांची उप-क्षेत्रीय इकाई ने मुंडा मनसा चौक, सिमलिया, रांची, झारखंड में 996.500 किलोग्राम गांजा ज़ब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 18.07.2022 को एनसीबी, लखनऊ क्षेत्रीय इकाई ने बबीना टोल प्लाजा, झांसी, उत्तर प्रदेश में 2330 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 22.07.2022 को एनसीबी, लखनऊ क्षेत्रीय इकाई ने प्रयागराज-रायबरेली रोड, उत्तर प्रदेश में 448.722 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 25.07.2022 को, एनसीबी , इंदौर क्षेत्रीय इकाई ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में 260.350 किलोग्राम गांजा ज़ब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 29.07.2022 को एनसीबी, इंदौर क्षेत्रीय इकाई ने बगवाड़ा टोल प्लाजा, मध्य प्रदेश में 882.720 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 05 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 31.07.2022 को, एनसीबी , भुवनेश्वर उप-क्षेत्रीय इकाई ने ओडिशा के भुवनेश्वर के अगिनिया स्क्वायर में 205.200 किलोग्राम गांजा ज़ब्त किया। 04 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 11.08.2022 को एनसीबी , पटना क्षेत्रीय इकाई ने दरभंगा मोड़, मुजफ्फरपुर, बिहार में 310 किलो गांजा ज़ब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 19.08.2022 को एनसीबी, इंदौर क्षेत्रीय इकाई ने भूटानी टोल प्लाजा, सीहोर, मध्य प्रदेश में 206.470 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 04 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 19.08.2022 को एनसीबी, लखनऊ क्षेत्रीय इकाई ने जलालपुर, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश में 252 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 01.09.2022 को, एनसीबी , मुंबई क्षेत्रीय इकाई ने खापोली, रायगढ़, महाराष्ट्र में 210 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 07.09.2022 को एनसीबी, पटना क्षेत्रीय इकाई ने जीरो माइल, पटना, बिहार में 337 किलोग्राम गांजा ज़ब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 26.09.2022 को, एनसीबी , गुवाहाटी क्षेत्रीय इकाई ने मेट्रो अस्पताल, खानापारा, गुवाहाटी, असम के पास NH-37 पर 517.080 किलोग्राम गांजा ज़ब्त किया। 06 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 29.09.2022 को, एनसीबी , मंदसौर उप-क्षेत्रीय इकाई ने कुम्हारी टोल प्लाजा, दुर्ग, छत्तीसगढ़ में 305.655 किलोग्राम गांजा ज़ब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 09.10.2022 को एनसीबी, पटना क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने दिल्ली मोड़, एनएच-57, दरभंगा, बिहार में 1459.200 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 09.11.2022 को एनसीबी, पटना क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने रेलवे गुमटी नंबर 97, न्यू बेला ट्रांसपोर्ट एजेंसी, मुजफ्फरपुर, बिहार में 228 किलो गांजा के साथ 215 बोतल शराब जब्त की। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 15.11.2022 को, एनसीबी, चेन्नई क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने कृष्णागिरी, तमिलनाडु में 243 किलोग्राम गांजा जब्त किया। 07 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 22.11.2022 को, एनसीबी , मदुरै उप-क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने भारतीय तटरक्षक बल के साथ मिलकर रामेश्वरम, तमिलनाडु में एक मछली पकड़ने वाली नाव से 290.490 किलोग्राम गांजा और 1 किलोग्राम हशीश का तेल ज़ब्त किया। 04 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 26.12.2022 को, एनसीबी , गुवाहाटी क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने मेट्रो अस्पताल, खानापारा, गुवाहाटी, असम के पास NH-37 पर 641.870 किलोग्राम गांजा ज़ब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 19.12.2022 को, एनसीबी , पटना क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने एसएसबी के साथ मिलकर 4 5 बटालियन, एसएसबी , सुपौल, झारखंड में 600.400 किलोग्राम गांजा ज़ब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

केस स्टडी- गांजा की सबसे बड़ी जब्ती

एनसीबी गुवाहाटी क्षेत्र द्वारा 4601.78 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया

05.04.2022 को, एनसीबी गुवाहाटी क्षेत्रीय इकाई ने NH-31, बालागांव, रंगिया, कामरूप (ग्रामीण), असम में नागालैंड पंजीकरण संख्या वाले एक ट्रक से 4601.78 किलोग्राम गांजा जब्त किया। सिगराहाटा, जिला-भोजपुर, बिहार के एक व्यक्ति को कथित गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया और एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 67 के तहत अपने स्वैच्छिक बयान देने के लिए नोटिस दिया गया और उसके इकबालिया बयानों के आधार पर उसे दिनांक 06.04.2022 को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 (यथासंशोधित) की धारा 20(बी)(ii)(सी) के तहत दंडनीय धारा 8(सी) के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

बयान के दौरान, गिरफ्तार आरोपी ने खुलासा किया कि एक सहयोगी वाहक रास्ते में कानूनी एजेंसियों द्वारा अवरोधन से बचने के लिए जब्त किए गए लोड ट्रक के प्रस्थान के बाद अगरतला, त्रिपुरा से सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल के लिए ट्रेन से रवाना हुआ था, और वाहक को सूचित किया कि वह फिर से उसके साथ सिलीगुड़ी जाएगा। हालांकि एनसीबी टीम को सूचना मिली थी कि जब्त लदा ट्रक निर्धारित समय पर सिलीगुड़ी नहीं पहुंचने के कारण अभियुक्त ट्रेन से उतर गया और जब्त ट्रक के मालिक के निर्देशानुसार वापस गुवाहाटी लौट आया और ट्रक की तलाश में गुवाहाटी के उसी स्थान पर गया जहां से उसे एनसीबी गुवाहाटी द्वारा पकड़ा गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।

1.2.4 कैनबिस (हशीश)

हशीश या चरस कैनाबिस रेजिन है जो कैनबिस सैटिवा के पौधे से प्राप्त होता है। आमतौर पर कैनबिस के पौधे के फूलों के शीर्षभाग को हाथों की हथेलियों के बीच या रबड़ की चादरों पर रगड़ कर पौधे से हशीश प्राप्त किया जाता है। कैनबिस राल (रेजिन) को 1961 के नारकोटिक ड्रग्स पर एकल सम्मेलन की अनुसूची I और IV के तहत रखा गया है।

प्रवृतियाँ :

- चरस/हशीश कश्मीर घाटी में विशेष रूप से दक्षिण कश्मीर के जिलों और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ड्रग्स के तस्करों द्वारा की जा रही अवैध गांजा की खेती से प्राप्त होता है।

- कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा और गुजरात और भारत के अन्य महानगरों में चरस की तस्करी का चलन है।
- चरस की तस्करी नेपाल से भारत में भी की जाती है।

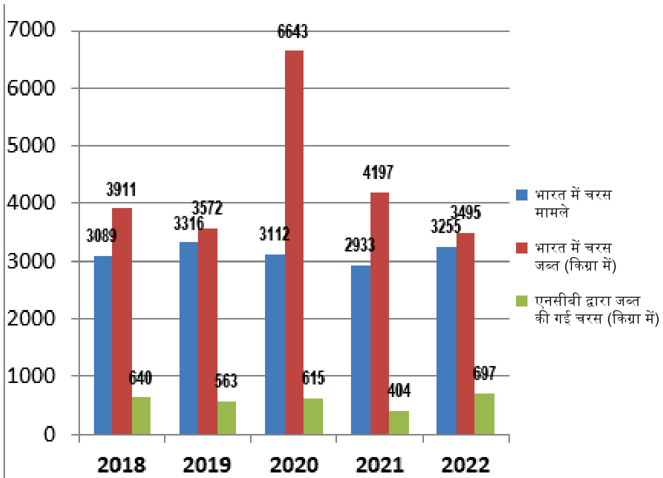

पिछले 5 वर्षों के दौरान हशीश की वर्षवार जब्ती
(आंकड़ा किलोग्राम में)

एनसीबी द्वारा हशीश की महत्वपूर्ण जब्तियाँ :

- 11.01.2022 को, एनसीबी, चंडीगढ़ क्षेत्रीय इकाई ने हिमालयन टोल प्लाजा, पंचकुला, हरियाणा में 1.870 किलोग्राम चरस जब्त की। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 14.01.2022 को, एनसीबी , जम्मू क्षेत्रीय इकाई ने बन टोल प्लाजा, नगरोटा, जम्मू में 2.500 किलोग्राम चरस जब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 16.01.2022 को, एनसीबी , जम्मू क्षेत्रीय इकाई ने बान टोल प्लाजा, नगरोटा, जम्मू में 3 किलो चरस जब्त की। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 27.01.2022 को, एनसीबी , जम्मू क्षेत्रीय इकाई ने नरवाल बस स्टैंड, जम्मू में 2.300 किलोग्राम चरस जब्त की। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 03.02.2022 को, एनसीबी , अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई ने गांधीनगर, गुजरात में 6.359 किलोग्राम चरस जब्त की। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 06.02.2022 को, एनसीबी, जम्मू क्षेत्रीय इकाई ने मानसर मोड़, सांबा, जम्मू में 5 किलो चरस जब्त की। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 12.02.2022 को, एनसीबी , अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई ने गुजरात के पोरबंदर बंदरगाह पर 528.700 किलोग्राम हशीश, 221.100 किलोग्राम मेथम-फेटामाइन और 13.300 किलोग्राम हेरोइन जब्त की।
- 15.02.2022 को एनसीबी, लखनऊ क्षेत्रीय इकाई ने महराजगंज, यूपी में 3.100 किलोग्राम चरस जब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 30.03.2022 को, एनसीबी , जम्मू क्षेत्रीय इकाई ने कुंजवानी चौक, जम्मू में 03 किलो चरस जब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 02.04.2022 को, एनसीबी, कोचीन उप-क्षेत्र ने 12.09.2021 को 3.500 किलोग्राम हशीश तेल की जब्ती के मामले में 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया।
- 06.04.2022 को, एनसीबी , अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई ने पंजाब के होशियारपुर में 2.300 किलोग्राम हशीश ज़ब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 14.04.2022 को, एनसीबी , बैंगलोर क्षेत्रीय इकाई ने बेंगलुरु के यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पर 3.176 किलोग्राम हशीश ज़ब्त की। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 22.04.2022 को एनसीबी, चंडीगढ़ क्षेत्रीय इकाई ने भुइली ब्रिज, मंडी, हिमाचल प्रदेश में 1.688 किलोग्राम चरस जब्त की। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 29.06.2022 को, एनसीबी , जम्मू क्षेत्रीय इकाई ने सरोरे टोल प्लाजा, जम्मू में 27.550 किलोग्राम चरस जब्त की। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 10.06.2022 को, एनसीबी, मुंबई क्षेत्रीय इकाई ने डीएचएल प्रा. लिमिटेड, अंधेरी, मुंबई।
- 01.07.2022 को, एनसीबी , जम्मू क्षेत्रीय इकाई ने जम्मू के गुमट चौक पर 9.700 किलोग्राम हशीश जब्त किया। 08 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 21.07.2022 को, एनसीबी , अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई ने शाहपुर पुलिस स्टेशन, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में 1.950 किलोग्राम हशीश ज़ब्त की। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 08.08.2022 को एनसीबी, लखनऊ क्षेत्रीय इकाई ने शरवस्ती, उत्तर प्रदेश में 7.200 किलोग्राम चरस जब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 01.09.2022 को एनसीबी, लखनऊ क्षेत्रीय इकाई ने फतेहाबाद, आगरा, उत्तर प्रदेश में 3.700 किलोग्राम चरस जब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 02.09.2022 को एनसीबी, लखनऊ क्षेत्रीय इकाई ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोसाईगंज, उत्तर प्रदेश में 10.800 किलोग्राम चरस का आकार लिया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

- 05.09.2022 को, एनसीबी , जम्मू क्षेत्रीय इकाई ने जम्मू के बस स्टैंड पर 4 किलो चरस जब्त की। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 13.10.2022 को, एनसीबी , जम्मू क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने बान टोल प्लाजा, जम्मू, जम्मू-कश्मीर में 4.600 किलोग्राम चरस जब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 20.10.2022 को, एनसीबी , मंडी उप-क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, GSS स्कूल के पास बजौरा में 4.444 किलोग्राम हशीश ज़ब्त की। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 01.11.2022 को, एनसीबी , मदुरै उप-क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में पुराने बस-स्टैंड पर 4.440 किलोग्राम चरस का तेल ज़ब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 05.11.2022 को, एनसीबी , अमृतसर उप-क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने भुइली, मंडी, हिमाचल प्रदेश में 8.604 किलोग्राम हशीश ज़ब्त की। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- एनसीबी , बैंगलोर क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने पिछली जब्ती की कार्रवाई के तहत 17.11.2022 को नेस्टर अर्थ विलेमेंट्स, डोड्डागुब्बी मेन रोड, बैंगलोर, कर्नाटक में 3.900 किलोग्राम हशीश जब्त की। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 18.11.2022 को एनसीबी, लखनऊ क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 2.700 किलोग्राम चरस जब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 22.11.2022 को, एनसीबी , मदुरै उप-क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने भारतीय तटरक्षक बल के साथ मिलकर रामेश्वरम, तमिलनाडु में एक मछली पकड़ने वाली नाव से 290.490 किलोग्राम गांजा और 1 किलोग्राम हशीश का तेल ज़ब्त किया। 04 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 22.11.2022 को एनसीबी, जम्मू क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने एनएच-44, सिडको चौक, सांबा, जम्मू (जम्मू और कश्मीर) से 12.200 किलोग्राम चरस जब्त की। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

केस स्टडी-सबसे बड़ी हशीश जब्ती

एनसीबी अहमदाबाद क्षेत्र द्वारा 528.7 किलोग्राम हशीश की जब्ती

विशिष्ट सूचना पर कार्रवाई करते हुए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, अहमदाबाद की एक टीम 12.02.2022 को जीएमबी जेट्टी, पोरबंदर, गुजरात पहुंची और भारतीय नौसेना के अधिकारियों से 36 से अधिक पैकेट/प्लास्टिक के थैले जब्त किए जिनमें संदिग्ध वर्जित सामग्री थी। डीडी किट के साथ प्रत्येक पैकेट से एक चुटकी पदार्थ का निरीक्षण और परीक्षण करने पर यह पाया गया कि 23 पैकेट/प्लास्टिक गनी बैग में काले रंग का चिपचिपा पदार्थ था जिसका चरस का परीक्षण करने पर परिणाम पॉज़िटिव आया और इसका वजन 528.7 किलोग्राम था। सफेद क्रिस्टल पदार्थ वाले 12 पैकेट/प्लास्टिक गनी बैग मेथमफेटामाइन के परीक्षण का परिणाम पॉज़िटिव आया और वजन 221.1 किलोग्राम था और 1 पैकेट/प्लास्टिक गनी बैग जिसमें भूरे रंग के पदार्थ थे , हेरोइन के परीक्षण पर परिणाम पॉज़िटिव आया और वजन 13.3 किलोग्राम था । दिनांक 12.02.2022 के पंचनामा के तहत चरस, मेथामफेटामाइन और हेरोइन को पैकिंग सामग्री के साथ जब्त किया गया। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया।

1.2.5 कोकीन

कोकीन व्यापक रूप से एक मनोरंजक ड्रग के रूप में उपयोग की जाती है जिसे कोका के पत्तों से तैयार किया जाता है। यह दक्षिण अमेरिकी देशों, मुख्य रूप से ब्राजील, कोलंबिया, बोलीविया और पेरू में पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पैदा होने वाली कोकीन की दुनिया भर में तस्करी की जाती है। भारत में, यह मुख्य रूप से पश्चिम अफ्रीकी ड्रग्स के तस्करों द्वारा कम मात्रा में तस्करी की जाती है। यह आम तौर पर दो रूपों में सामने आता है जिनके प्रयोग का तरीका अलग है। कोकीन हाइड्रोक्लोराइड, जिसे प्रसुप्त या इंजेक्ट किया जाता है, और कोकीन बेस, जो धूम्रपान करने योग्य रूप है।

प्रवृतियाँ :

- कोकीन की तस्करी ज्यादातर भारत में स्थित अफ्रीकी नागरिकों द्वारा की जा रही है।
- अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, ब्राजील और दक्षिण अमेरिका से कोकीन की तस्करी के मामले भी सामने आए हैं।
- भारत में कोकीन की जब्ती ज्यादातर हवाई अड्डों पर की गई है।
- कॉस्मेटिक्स, बर्तनों, किताबों और कपड़ों जैसे सामान्य घरेलू सामानों में छुपाए गए पार्सल के माध्यम से छोटी मात्रा में कोकीन की तस्करी के कई उदाहरण हैं।
- नवीनतम प्रवृत्ति तरल रूप में कोकीन की तस्करी है।

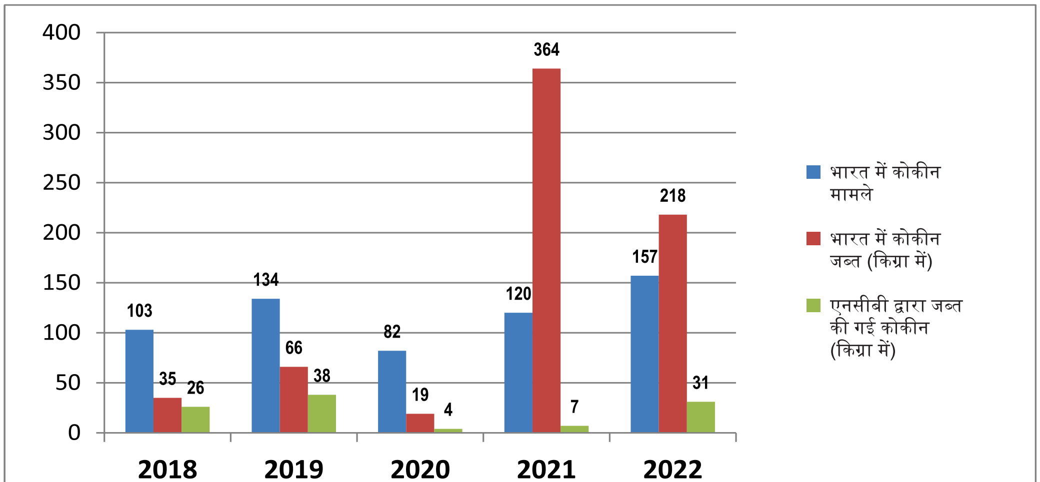

पिछले 5 वर्षों के दौरान कोकीन की वर्षवार जब्ती (आंकड़ा किलोग्राम में)

एनसीबी द्वारा कोकीन की महत्वपूर्ण जब्ती :

- 02.02.2022 को, एनसीबी , दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने T-2, IGI एयरपोर्ट, नई दिल्ली में 185 ग्राम कोकीन ज़ब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 14.03.2022 को, एनसीबी , दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने IGI हवाई अड्डे, नई दिल्ली में 1.090 किलोग्राम कोकीन जब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 14.03.2022 को, एनसीबी , दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने नई दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर 980 ग्राम कोकीन ज़ब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 23.03.2022 को, एनसीबी , दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने नई दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर 1.550 किलोग्राम कोकीन ज़ब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 23.03.2022 को, एनसीबी , दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने नई दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर 960 ग्राम कोकीन ज़ब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 23.03.2022 को, एनसीबी , दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने नई दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर 385 ग्राम कोकीन और 320 ग्राम हेरोइन ज़ब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 08.04.2022 को, एनसीबी , दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने नई दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर 770 ग्राम कोकीन जब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 11.04.2022 को, एनसीबी , दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने नई दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर 1.340 किलोग्राम कोकीन ज़ब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 28.05.2022 से 02.06.2022 तक, एनसीबी , मुंबई क्षेत्रीय इकाई ने एक युगांडा की महिला से कुल 535 ग्राम हेरोइन और 175 ग्राम कोकीन जब्त की, जिसे 28.05.2022 को CSI हवाई अड्डे, मुंबई से पकड़ा गया था।
- 25.07.2022 को, एनसीबी , बैंगलोर क्षेत्रीय इकाई ने केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, बैंगलोर में 1.302 किलोग्राम कोकीन जब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 13.08.2022 से 25.08.2022 तक, एनसीबी, कोलकाता क्षेत्रीय इकाई ने ब्राजील के एक नागरिक से कुल 497 ग्राम कोकीन जब्त की, जिसे 12.08.2022 को कोलकाता हवाई अड्डे पर पकड़ा गया था।
- 26.09.2022 को, एनसीबी , मुंबई क्षेत्रीय इकाई ने CSMI एयरपोर्ट, मुंबई में 3.200 किलोग्राम कोकीन ज़ब्त की। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 13.10.2022 को, एनसीबी, दिल्ली क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने कृष्णा पार्क, तिलक नगर, नई दिल्ली में 4.984 किलोग्राम कोकीन जब्त की और 14.10.2022 को होटल सुकून, मुंबई में अनुवर्ती कार्रवाई में 2.055 किलोग्राम कोकीन जब्त की। 05 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 18.10.2022 को, एनसीबी, चेन्नई क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, तमिलनाडु में 5.370 किलोग्राम कोकीन जब्त की। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 21.10.2022 को, एनसीबी , बैंगलोर क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, बैंगलोर, कर्नाटक में 1.030 किलोग्राम कोकीन जब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 12.11.2022 को, एनसीबी , दिल्ली क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने एक नियंत्रित डिलीवरी ऑपरेशन में विदेशी डाकघर, कोटला मार्ग, नई दिल्ली में 256 ग्राम कोकीन ज़ब्त की।
- 20.11.2022 को, एनसीबी , मुंबई क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने CSMI हवाई अड्डे, मुंबई में 2.800 किलोग्राम कोकीन ज़ब्त की। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 29.11.2022 को, एनसीबी , चेन्नई क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, तमिलनाडु में 2 किलो कोकीन जब्त की। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

केस स्टडी-सबसे बड़ी कोकीन की जब्ती

1. **एनसीबी दिल्ली क्षेत्र द्वारा 5.370 किलोग्राम कोकीन की जब्ती**

एक गुप्त सूचना के आधार पर, 13.10.2022 को, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, दिल्ली क्षेत्रीय इकाई की एक टीम ने तिलकनगर, नई दिल्ली में एक तलाशी अभियान चलाया और एक ट्रॉली बैग के नीचे की तरफ छुपाकर रखा गया 4.984 किलोग्राम कोकीन जब्त किया और एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसने खुलासा किया कि वह दो विदेशियों से ड्रग्स मुंबई से लाई थी और यह भी बताया कि वे मुंबई के मस्जिद बंदर स्टेशन, मुंबई के पास एक होटल में ठहरे हुए थे। एनसीबी , दिल्ली क्षेत्रीय इकाई की एक टीम तुरंत मुंबई के लिए रवाना हुई और होटल में 02 इथियोपियाई नागरिकों को धर दबोचा। दोनों आरोपियों ने आगे खुलासा किया कि दो और व्यक्ति थे जो ड्रग्स की तस्करी में शामिल थे और एक ही होटल में रह रहे थे। उनके खुलासे पर, एनसीबी,

दिल्ली क्षेत्रीय इकाई की एक टीम ने होटल से एक अन्य इथियोपियाई नागरिक को रोका और अपने बयान में उसने खुलासा किया कि उसने ट्रॉली बैग को उसमे रखे हुए ड्रग्स सहित एक नाइजीरियाई नागरिक और उसकी एक महिला मित्र को पहले ही सौंप दिया था जोकि पास के एक होटल में ठहरे हुए हैं। उसके खुलासे के बाद टीम पास के होटल में पहुंची और एक ट्रॉली बैग में छिपाकर रखा गया 2.055 किलोग्राम कोकीन जब्त किया। सभी चार इथियोपियाई नागरिकों को उनके बयान दर्ज करने और यह मानने के आधार पर गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने एनडीपीएस अधिनियम 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

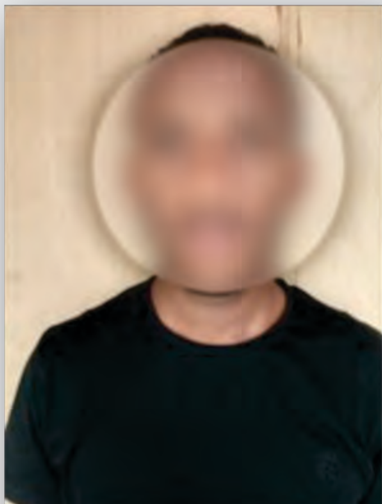

2. एनसीबी चेन्नई क्षेत्र द्वारा 5.370 किलोग्राम कोकीन की जब्ती

विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर, 18.10.2022 को एनसीबी चेन्नई के अधिकारियों ने चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आगमन हॉल में कस्टम जांच क्षेत्र में दो व्यक्तियों (एक जर्मन और एक ग्रीस नागरिक) जो चेन्नई एयरपोर्ट पर उतरे थे, को रोका और दोनों के पास रखे 2 हैंड बैग से 5.370 किलोग्राम कोकीन जब्त किया।

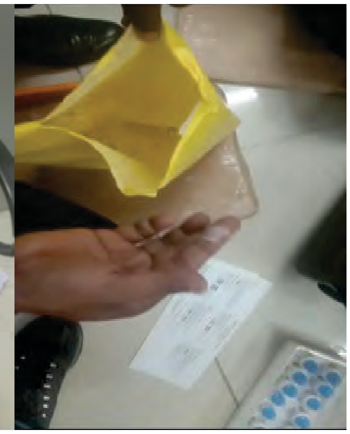

1.3 नारकोटिक फसलें

1.3.1 अफीम की वैध खेती

भारत एकमात्र ऐसा देश है, जिसे संयुक्त राष्ट्र एकल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स (1961) द्वारा गोंद (गम) अफीम का उत्पादन करने के लिए अधिकृत किया गया है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, चीन, हंगरी, नीदरलैंड, पोलैंड, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की और चेक गणराज्य जैसे देश भी अफीम का उत्पादन पॉपी स्ट्रॉ (सीपीएस) विधि के माध्यम से ही करते हैं।

भारत में अफीम की वैध खेती केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित चुनिंदा इलाकों जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में प्रतिवर्ष की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित सामान्य शर्तों के अनुसार उपरोक्त तीन राज्यों में पात्र किसानों को सीबीएन द्वारा लाइसेंस जारी किए जाते हैं।

1.3.2 अफीम की अवैध खेती

अफीम की अवैध खेती की मात्रा का सही अनुमान नहीं लगाया जा सका है, लेकिन कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किए गए उन्मूलन ऐसी खेती के लिए प्रवण क्षेत्रों का संकेत हैं। भारत सरकार ने इस तरह की अवैध खेती की सैटेलाइट इमेजिंग शुरू की है और इसके परिणाम स्वरूप अवैध फसल के उन्मूलन के लिए अधिक केंद्रित दृष्टिकोण को सक्षम किया जा सका है।

2022 के दौरान, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश और मणिपुर राज्यों में अफीम की अवैध खेती देखी गई।

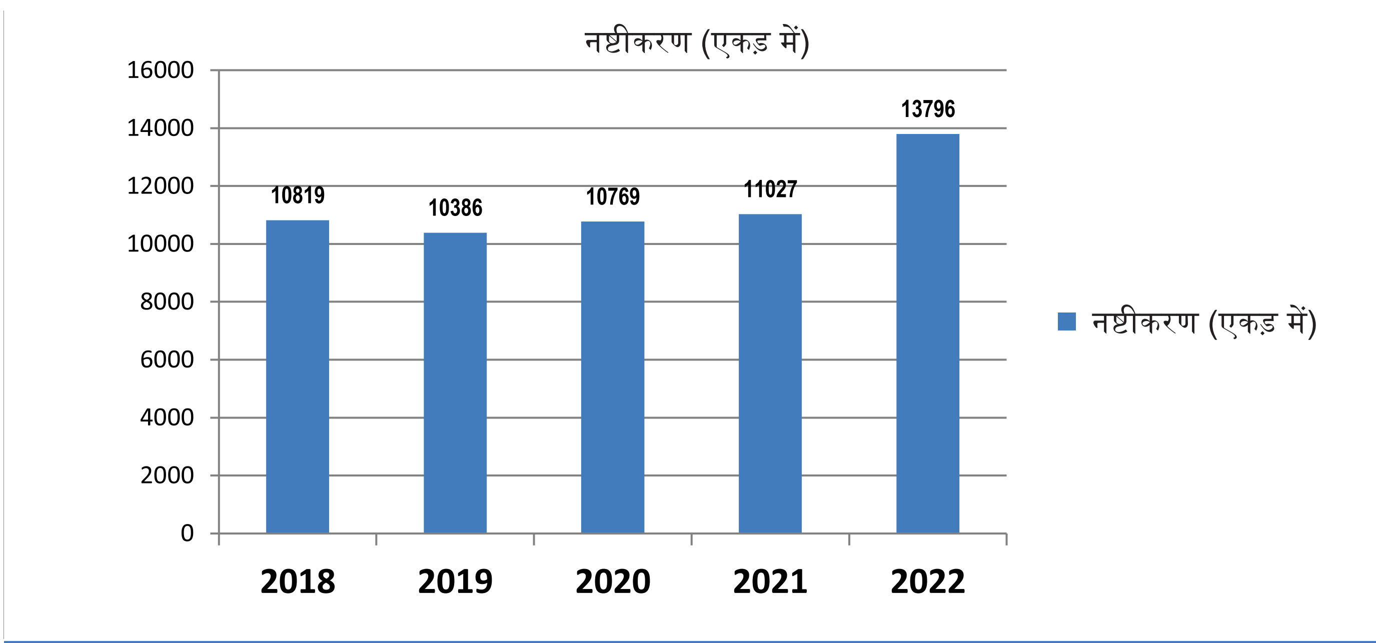

पिछले 5 वर्षों में भारत में अफीम की अवैध खेती का वर्षवार नष्टीकरण (आंकड़े एकड़ में)

भारत में अवैध अफीम की खेती

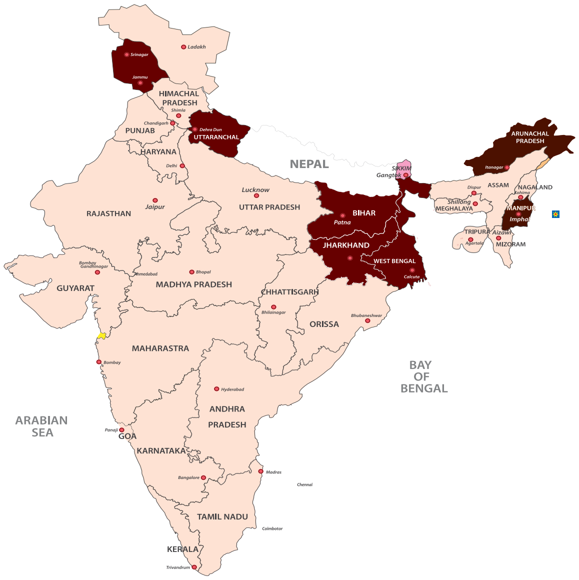

अफीम की अवैध खेती को नष्ट करना

- 11.01.2022 को एनसीबी, इंफाल उप-क्षेत्रीय इकाई, ने एनएबी और जिला पुलिस के सहयोग से चुराचंदपुर, मणिपुर में 20 एकड़ भूमि में फैली अफीम की अवैध खेती को नष्ट किया।
- 28.01.2022 को, एनसीबी , इम्फाल उप-क्षेत्रीय इकाई, ने एनएबी और जिला पुलिस के समन्वय से मणिपुर के कांगपोकपी में 20 एकड़ भूमि में फैली अफीम की अवैध खेती को नष्ट किया।
- 15-16.02.2022 को, एनसीबी , पटना क्षेत्रीय इकाई ने एसएसबी और राज्य पुलिस के सहयोग से बाराचट्टी, गया में 17.36 एकड़ भूमि पर अफीम की अवैध खेती को नष्ट किया।

- 18.02.2022 से 22.02.2022 तक, एनसीबी , पटना क्षेत्रीय इकाई ने एसएसबी और राज्य पुलिस के समन्वय से बिहार के गया में 85 एकड़ से अधिक भूमि पर अफीम की अवैध खेती को नष्ट किया।
- 22.02.2022 को, एनसीबी, जोधपुर क्षेत्रीय इकाई ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर राजस्थान के भोपालगढ़ में 5281.75 वर्ग फुट (0.121 एकड़) से अधिक अफीम की अवैध खेती को नष्ट किया गया गया।
- 25-26.02.2022 को एनसीबी, पटना क्षेत्रीय इकाई ने वन विभाग, बिहार पुलिस और एसएसबी के सहयोग से 55.11 एकड़ भूमि पर अफीम की अवैध खेती को नष्ट किया।
- 04-05.03.2022 को एनसीबी, पटना क्षेत्रीय इकाई ने वन विभाग, बिहार पुलिस और एसएसबी के सहयोग से 57.23 एकड़ भूमि पर अफीम की अवैध खेती को नष्ट किया।
- 07-09.03.2022 को एनसीबी, पटना क्षेत्रीय इकाई ने वन विभाग, बिहार पुलिस और एसएसबी के सहयोग से 47.57 एकड़ भूमि पर अफीम की अवैध खेती को नष्ट किया।
- 29.03.2022 को, एनसीबी , इंफाल उप-क्षेत्र ने एनएबी , मणिपुर, 22 असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस के समन्वय से 25 एकड़ भूमि पर अफीम की अवैध खेती को नष्ट किया।
- 15.12.2022 को एनसीबी, पटना क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने वन विभाग, स्थानीय पुलिस और एसएसबी के साथ मिलकर 19.66 एकड़ भूमि में फैली अफीम की अवैध खेती को नष्ट किया गया।
- 18.12.2022 को एनसीबी, पटना क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने वन विभाग, स्थानीय पुलिस और एसएसबी के सहयोग से 15.23 एकड़ भूमि में फैली अफीम की अवैध खेती को नष्ट किया गया।

- 26.12.2022 को एनसीबी, पटना क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने वन विभाग, स्थानीय पुलिस और एसएसबी के सहयोग से 62.06 एकड़ भूमि में फैली अफीम की अवैध खेती को नष्ट किया।
- 30.12.2022 को एनसीबी, पटना क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने वन विभाग, स्थानीय पुलिस और एसएसबी के सहयोग से 41.3 एकड़ भूमि में फैली अफीम की अवैध खेती को नष्ट किया।

1.3.3 कैनबिस की अवैध खेती

एनडीपीएस अधिनियम के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र औषधि नियंत्रण सम्मेलनों के तहत कैनबिस की खेती अवैध है। एनसीबी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्रत्युपायों में से एक कैनबिस की अवैध खेती की पहचान करना और उसे नष्ट करना है। 2022 के दौरान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा और त्रिपुरा राज्यों में अवैध कैनबिस की खेती का क्षेत्र लगभग 26266 एकड़ था, जिसे बाद में विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा नष्ट किया गया ।

भारत में अवैध कैनबिस की खेती

कैनबिस की अवैध खेती को नष्ट करना

- 04.12.2022 को, एनसीबी , भुवनेश्वर उप-क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर ओडिशा के रायगढ़ा, देकापंगा और खैरागुडा में 121 एकड़ भूमि में फैली कैनबिस की अवैध खेती को नष्ट किया।
- 05.12.2022 को, एनसीबी, भुवनेश्वर उप-क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर बुरुडी और नुआगांव, रायगढ़ा, ओडिशा में 95 एकड़ भूमि में फैली कैनबिस की अवैध खेती को नष्ट किया।
- 06.12.2022 को, एनसीबी , भुवनेश्वर उप-क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने उत्पाद शुल्क और स्थानीय पुलिस के समन्वय से खैरागुडा और रेडिंगुडा, गुदारी, ओडिशा में 113 एकड़ भूमि में फैली कैनबिस की अवैध खेती को नष्ट किया।
- 11.12.2022 से 14.12.2022 तक, एनसीबी, भुवनेश्वर उप-क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने आबकारी और स्थानीय पुलिस के समन्वय से ओडिशा के गुदारी में 232 एकड़ भूमि में फैली कैनबिस की अवैध खेती को नष्ट किया।
- दिनांक 20.12.2022 को एनसीबी, पटना क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने वन विभाग, स्थानीय पुलिस और एसएसबी के सहयोग से 21 एकड़ भूमि में फैली अफीम की अवैध खेती और 0.10 एकड़ भूमि में फैली कैनबिस की अवैध खेती को नष्ट किया।
- 21 से 23.12.2022 तक, एनसीबी , भुवनेश्वर उप-क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने आबकारी विभाग और राज्य पुलिस के समन्वय से 145 एकड़ भूमि में फैली कैनबिस की अवैध खेती को नष्ट किया।

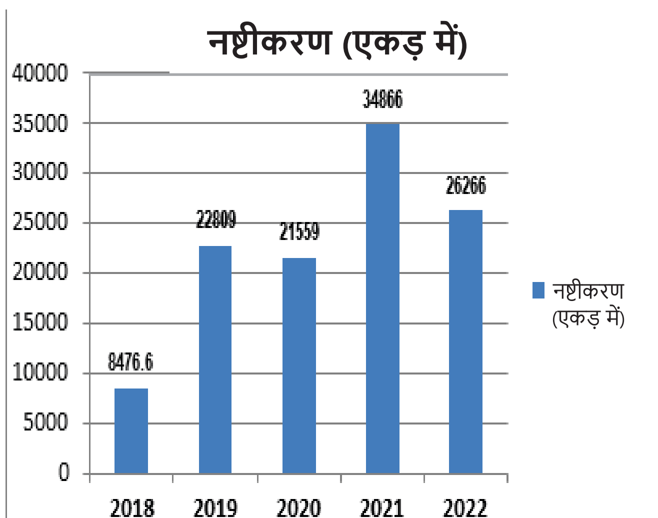

पिछले 5 वर्षों में भारत में अवैध कैनबिस की खेती का वर्षवार विनाश (आंकड़े एकड़ में)

- 24.12.2022 को एनसीबी, भुवनेश्वर उप-क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने आबकारी और स्थानीय पुलिस के समन्वय से ओडिशा के गुदरी में 40 एकड़ भूमि में फैली कैनबिस की अवैध खेती को नष्ट किया।
- 29.12.2022 को एनसीबी, भुवनेश्वर उप-क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने आबकारी और स्थानीय पुलिस के समन्वय से ओडिशा के गुदारी में 80 एकड़ भूमि में फैली कैनबिस की अवैध खेती को नष्ट किया।

1.4 मन: प्रभावी पदार्थ

मन:प्रभावी पदार्थ मन या मानसिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाला कोई भी रासायनिक एजेंट है (अर्थात कोई भी मनो-सक्रिय ड्रग)। साइकोट्रोपिक पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, 1971, ऐसे पदार्थों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करता है। कन्वेंशन ने ड्रग्स दुरुपयोग के स्पेक्ट्रम के विविधीकरण और विस्तार का जवाब दिया और एक ओर उनकी दुरुपयोग क्षमता और दूसरी ओर उनके चिकित्सीय मूल्य के अनुसार कई सिंथेटिकड्रग्स पर नियंत्रण शुरू किया।

1.4.1 कृत्रिम ड्रग्स

एम्फ़ैटेमिन टाइप स्टिमुलेंट्स (एटीएस) जैसी सिंथेटिक ड्रग्स दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी अमेरिका में पसंद की ड्रग बन गई हैं। भारत में, विशेष रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में एटीएस का उत्पादन करने के लिए गुप्त निर्माण सुविधाओं को स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इन कोशिशों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया है।

प्रवृतियाँ :

- म्यांमार से उत्तर-पूर्वी सीमावर्ती राज्यों के मध्य से भारत में एटीएस की तस्करी।
- ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और थाईलैंड भारत से एटीएस की तस्करी के दृष्टिकोण से प्रमुख गंतव्य देश हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका भारत से प्राप्त मेथाक्वलोन/मैंड्रैक्स की तस्करी के दृष्टिकोण से प्रमुख गंतव्य देश हैं।
- मेथाक्वलोन/मैंड्रैक्स जब्ती का एक बड़ा हिस्सा नई दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के हवाई अड्डों पर होता है।

एनसीबी द्वारा मेफेड्रोन की महत्वपूर्ण जब्ती :

- 06.04.2022 को, एनसीबी , अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई ने मेहसाणा, गुजरात में 168 ग्राम मेफेड्रोन जब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

- 21.07.2022 को, एनसीबी , अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई ने CTM टोल प्लाजा, सूरत, गुजरात में 391 ग्राम मेफेड्रोन जब्त किया। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 03.09.2022 को, एनसीबी , अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई ने अहमदाबाद, गुजरात में 143 ग्राम मेफेड्रोन जब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 03.10.2022 को, एनसीबी , अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने जामनगर, गुजरात में 10.320 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त किया। 04 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 06.10.2022 को, एनसीबी , मुंबई क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने लिली मैरीटाइम प्राइवेट लिमिटेड, फोर्ट मुंबई में 49.300 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 21.10.2022 को, एनसीबी , मुंबई क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने शिल्पता, मुंब्रा, ठाणे, महाराष्ट्र में 38 ग्राम मेफेड्रोन जब्त किया और 22.10.2022 को बांद्रा (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र में अनुवर्ती कार्रवाई में 245 ग्राम मेफेड्रोन जब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 31.10.2022 को, एनसीबी , मुंबई क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने सिबली नगर, शिलफाटा, ठाणे, महाराष्ट्र में 1.150 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

मामले का अध्ययन-सबसे बड़ी मेफेड्रोन की जब्ती

मुंबई क्षेत्र एनसीबी द्वारा 49.3 किग्रा मेफेड्रोन की जब्ती

विशिष्ट सूचना के आधार पर एनसीबी मुंबई क्षेत्रीय इकाई की एक टीम ने फोर्ट, मुंबई स्थित एक निजी कार्यालय से 49.3 किलोग्राम मेफेड्रोन (MD) की जब्ती की और 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों ने वर्जित ड्रग्स के आपूर्तिकर्ता और मुख्य रिसीवर की पहचान का खुलासा किया था और बाद में आपूर्तिकर्ता को एनसीबी मुंबई द्वारा 12.10.2022 को सेंट्रल जेल आर्थर रोड, मुंबई से गिरफ्तार किया गया था, जहां वह पहले से ही मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज एक एनडीपीएस मामले के संबंध में बंद था। इसके अलावा ड्रग्स के मुख्य रिसीवर को भी जो एक अन्य एनडीपीएस मामले के सिलसिले में जिला जेल, जामनगर, गुजरात में बंद था, एनसीबी अहमदाबाद द्वारा न्यायिक हिरासत से गिरफ्तार किया गया था। आपूर्तिकर्ता ने आगे उन व्यक्तियों के नामों का भी खुलासा किया जिनके कारखाने में अवैध रूप से ड्रग्स का निर्माण किया गया था। जांच के दौरान यह सामने आया कि उपरोक्त दोनों व्यक्तियों को एनडीपीएस मामले के सिलसिले में मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और क्रमशः केंद्रीय जेल आर्थर रोड, मुंबई और तलोजा जेल में रखा गया था, जहां दोनों को एनसीबी मुंबई द्वारा गिरफ्तार किया गया था। कॉन्ट्राबेंड के मुख्य रिसीवर, जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था, ने दो अन्य व्यक्तियों के नाम का भी खुलासा किया था, जिन्हें कॉन्ट्राबेंड डिलीवर किया जाना था और तदनुसार उन्हें जामनगर की जिला जेल से लाया गया था और एनसीबी मुंबई द्वारा 21.12.2022 को गिरफ्तार किया गया था। .बाद में एक और आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया।

एनसीबी द्वारा एम्फ़ैटेमिन टाइप स्टिमुलेंट्स (एटीएस) की महत्वपूर्ण जब्ती :

- 07.01.2022 को, एनसीबी , बैंगलोर क्षेत्रीय इकाई ने हुबली रेलवे स्टेशन, कर्नाटक में 995 ग्राम मेथमफेटामाइन जब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 12.01.2022 को, एनसीबी, दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने डीएचएल एक्सप्रेस प्रा. लिमिटेड, कीर्ति नगर, नई दिल्ली में 616 ग्राम एम्फेटेमिन जब्त किया गया।
- 27.01.2022 को, एनसीबी , दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने 2.250 किलोग्राम हेरोइन और 500 ग्राम मेथम्फेटामाइन जब्त किया और एक व्यक्ति को पहले के एक मामले की अनुवर्ती कार्रवाई में गिरफ्तार किया।
- 07.02.2022 को, एनसीबी , चेन्नई क्षेत्रीय इकाई ने गुम्मिदीपुंडी, चेन्नई में 11 किलोग्राम एम्फ़ैटेमिन ज़ब्त किया। 06 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 12.02.2022 को, एनसीबी , अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई ने गुजरात के पोरबंदर बंदरगाह पर 528.700 किलोग्राम हशीश, 221.100 किग्रा मेथमफेटामाइन

और 13.300 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई।

- 17.02.2022 को, एनसीबी , चेन्नई क्षेत्रीय इकाई ने विदेशी डाकघर, चेन्नई में 330 ग्राम मेथमफेटामाइन जब्त किया।
- 16.03.2022 को, एनसीबी , दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने नई दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर 3.900 किलोग्राम एम्फ़ैटेमिन ज़ब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 19.03.2022 को, एनसीबी, इंफाल उप-क्षेत्रीय इकाई ने मारम, सेनापति, मणिपुर में 17.024 किलोग्राम अफीम और 1.050 किलोग्राम एम्फ़ैटेमिन ज़ब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 04.04.2022 को, एनसीबी , दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने डीएचएल ऍक्स्प. प्रा. लिमिटेड, कीर्ति नगर, नई दिल्ली में 500 ग्राम एम्फ़ैटेमिन ज़ब्त किया।।
- 16.04.2022 को, एनसीबी , दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने डीएचएल , एक्स्प . प्रा. लिमिटेड, कीर्ति नगर, नई दिल्ली में 350 ग्राम एम्फ़ैटेमिन ज़ब्त किया
- 23.04.2022 को, एनसीबी , चेन्नई क्षेत्रीय इकाई ने चेन्नई हवाई अड्डे पर 184 ग्राम एम्फ़ैटेमिन ज़ब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 20.05.2022 को, एनसीबी, दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने डीएचएल एक्सप्रेस प्रा. लिमिटेड, रामा रोड, कीर्ति नगर, नई दिल्ली में 291 ग्राम मेथमफेटामाइन जब्त 23.05.2022 को, एनसीबी, अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई ने डीएचएल कूरियर, अहमदाबाद में 1.012 किलोग्राम मेथमफेटामाइन जब्त किया।
- 23.05.2022 को, एनसीबी , मुंबई क्षेत्रीय इकाई ने अरामक्स इंडिया प्रा. लिमिटेड, अंधेरी (ई), मुंबई।
- 10.06.2022 को, एनसीबी, मुंबई क्षेत्रीय इकाई ने डीएचएल प्रा. लिमिटेड, अंधेरी, मुंबई मे ४९० ग्राम मेथमफेटामाइन जब्त किया।
- 11.06.2022 को, एनसीबी, मुंबई क्षेत्रीय इकाई ने डीएचएल प्रा. लिमिटेड, अंधेरी, मुंबई 385 ग्राम एम्फेटेमिन जब्त किया।
- 27.06.2022 को, एनसीबी, देहरादून उप-क्षेत्रीय इकाई ने सेलाकुई, देहरादून, उत्तराखंड में 51 ग्राम एम्फ़ैटेमिन ज़ब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 22.07.2022 को, एनसीबी, दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने डीएचएल, एक्सप प्रा. लिमिटेड, रामा रोड, कीर्ति नगर, नई दिल्ली में 512 ग्राम मेथमफेटामाइन जब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 01.08.2022 को, एनसीबी , दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने डीएचएल , एक्स्प में प्रा. लिमिटेड, रामा रोड, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 4.867 किलोग्राम एम्फ़ैटेमिन ज़ब्त किया।
- 10.08.2022 को, एनसीबी , मुंबई क्षेत्रीय इकाई ने मेसर्स पीएक्ससी पैसिफिक ग्लोबल प्रा लिमिटेड, अंधेरी (ई), मुंबई, महाराष्ट्र 3.950 किलोग्राम एम्फेटेमिन जब्त किया।।
- 18.08.2022 को, एनसीबी , दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने अरामक्स इंडिया प्रा. लिमिटेड, द्वारका, सेक्टर-28, नई दिल्ली। अनुवर्ती कार्रवाई में अमृत सीयर कूरियर एक्सप्रेस प्राइवेट में 283 ग्राम एम्फ़ैटेमिन जब्त किया गया। लिमिटेड, महिपालपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली 20.08.2022 को। 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 07.09.2022 को, एनसीबी , गोवा उप-क्षेत्रीय इकाई ने कैलंगुट, गोवा में 3.51 ग्राम एम्फ़ैटेमिन, 6.9 ग्राम गांजा और 61 ग्राम एमडीएमए ज़ब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 14.09.2022 को, एनसीबी , दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने यूपीएस एक्सप्रेस प्रा. लिमिटेड, डीसीएससी कार्गो टर्मिनल-3, आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली।
- 19.10.2022 को, एनसीबी, चेन्नई क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने करानोदिया टोल प्लाजा, चेन्नई, तमिलनाडु में 48.300 किलोग्राम एम्फ़ैटेमिन ज़ब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 10.10.2022 को, एनसीबी, कोचीन उप-क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने डीएचएल एक्सप्रेस इंडिया प्रा. लिमिटेड, अनुग्रहा, कोचीन, केरल।
- 07.11.2022 को, एनसीबी, दिल्ली क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने डीएचएल एक्सप्रेस प्रा. लिमिटेड, रामा रोड, कीर्ति नगर, नई दिल्ली में 294 ग्राम एम्फ़ैटेमिन ज़ब्त किया। । 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 15.11.2022 को, एनसीबी, दिल्ली क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने डीएचएल एक्सप्रेस प्रा. लिमिटेड, रामा रोड, कीर्ति नगर, नई दिल्ली में 700 ग्राम एम्फ़ैटेमिन ज़ब्त किया । 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 28.11.2022 को, एनसीबी, इंफाल उप-क्षेत्र के

अधिकारियों ने एमएसआरटीसी बस स्टैंड, मोइरांगखोम, इंफाल पश्चिम, मणिपुर में 1.049 किलोग्राम हेरोइन और 1 किलोग्राम मेथमफेटामाइन जब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

- 29.11.2022 को एनसीबी, इम्फाल उप-क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने असम राइफल और मणिपुर कमांडो के सहयोग से वार्ड नंबर 4, पैचम वेंग, मोरेह, मणिपुर में एक घर की तलाशी में 47.301 किलोग्राम मेथमफेटामाइन जब्त किया।
- 17.12.2022 को, एनसीबी , गुवाहाटी क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने रेलवे ईस्ट कॉलोनी, अमीनगांव, कामरूप (ग्रामीण), असम में 153.200 किलोग्राम गांजा, 179 ग्राम मेथामफेटामाइन की टैबलेट, 1.020 किलोग्राम हेरोइन, कोडीन आधारित खांसी की ड्रग की 16 बोतलें, मैगजीन के साथ 01 पिस्तौल, 01 टोयोटा फॉर्च्यूनर और 01 टोयोटा इनोवा कार एच.नं. बी-71, जब्त की। । 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

केस स्टडी-सबसे बड़ा मेथामफेटामाइन जब्ती

एनसीबी चेन्नई क्षेत्र द्वारा 11 किलो मेथमफेटामाइन की जब्ती

विशिष्ट सूचना के आधार पर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, चेन्नई क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने दिनांक 07.02.2022 को गुवाहाटी से गुम्मुदिपुंडी में आने वाली तमिलनाडु पंजीकरण संख्या वाले एक ट्रक को रोका। । प्रासंगिक समय पर, ट्रक में एक व्यक्ति (ए-1-चालक) सवार पाया गया। उक्त ट्रक की जांच के परिणामस्वरूप 11 किलो मेथमफेटामाइन की जब्ती हुई। ड्राइवर से पूछताछ में पता चला कि ट्रक का मालिक (ए-2) (श्रीलंकाई नागरिक) वी कावेरी ट्रेवल्स से चेन्नई जा रहा था जिसे बाद में उक्त बस से पकड़ लिया गया। महाजर (पंचनामा) के दौरान, ए-2 से प्रारंभिक पूछताछ की गई, जिसमें उसने ए-3 (श्रीलंकाई नागरिक) और ए-6 के बारे में और ए-6 की शादी के संबंध में अरियालुर में उसकी उपलब्धता के बारे में खुलासा किया। इसके अलावा ए-2 ने अन्य व्यक्तियों अर्थात ए-4 और एक अन्य श्रीलंकाई नागरिक (ए-5) के बारे में खुलासा किया, जिन्होंने कमीशन पर मेथमफेटामाइन की खरीद लेनदेन में मध्यस्थता की। सावधानी से नियोजित अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप चारों व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। (ए-3) चेन्नई में जब्त किए गए 11 किलो मेथमफेटामाइन का कथित रिसीवर था और उसे इसे अवैध रूप से श्रीलंका को निर्यात करना था। चेन्नई में रिसीवर (ए-3) के घर की तलाशी के परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेज और 4,21,100 रुपये की भारतीय करेंसी और 37,130 रुपये की श्रीलंकाई करेंसी की जब्ती हुई। इस प्रकार फाइनेंसर, आपूर्तिकर्ता और रिसीवर सहित पूरे नेटवर्क को पकड़ लिया गया और हिरासत में ले लिया गया।

1.5 प्रीकर्सर रसायन

- प्रीकर्सर केमिकल दोहरे उपयोग वाले रसायन हैं जिनका वैध उपयोग होता है, और इनका उपयोग अवैध ड्रग्स और मन:प्रभावी पदार्थों के निर्माण में भी किया जाता है।

प्रवृतियाँ :

- इफेड्रिन/स्यूडोएफेड्रिन की तस्करी मुख्य रूप से दिल्ली, चेन्नई, कोचीन और हवाई अड्डों के माध्यम से की जाती है।
- कूरियर/पार्सल के उपयोग के भी उदाहरण हैं।

इफेड्रिन / स्यूडोएफ़ेड्रिन की महत्वपूर्ण जब्ती:

- 21.01.2022 को, एनसीबी, मुंबई क्षेत्रीय इकाई ने अंधेरी, मुंबई में 3.950 किलोग्राम एफेड्रिन जब्त किया।
- 22.01.2022 को, एनसीबी , मुंबई क्षेत्रीय इकाई ने पुणे, महाराष्ट्र में 485 ग्राम एफेड्रिन जब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 05.03.2022 को, एनसीबी , बैंगलोर क्षेत्रीय इकाई ने डीएचएल एक्सप्रेस लिमिटेड यशवंतपुर, बैंगलोर में 3.904 किलोग्राम स्यूडोफेड्राइन जब्त किया।
- 11.03.2022 को, एनसीबी , बैंगलोर क्षेत्रीय इकाई ने फेडेक्स कूरियर सर्विस, बैंगलोर में 1.970 किलोग्राम स्यूडोफेड्राइन जब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 17.03.2022 को, एनसीबी , कोचीन उप-क्षेत्रीय इकाई ने डीएचएल तिरुपुर में 3.018 किलोग्राम एफेड्रिन ज़ब्त किया।
- 28.03.2022 को, एनसीबी, चेन्नई क्षेत्रीय इकाई ने डीएचएल, गुइंडी, चेन्नई में 10 किलोग्राम स्यूडोफेड्राइन जब्त किया।
- 20.05.2022 को, एनसीबी, चेन्नई क्षेत्रीय इकाई ने डीएचएल कूरियर सर्विसेज, गुइंडी, चेन्नई में 2.250 किलोग्राम स्यूडोफेड्राइन जब्त किया। मामले की अनुवर्ती कार्रवाई में 04 व्यक्तियों को 29.05.2022 को गिरफ्तार किया गया।
- 25.05.2022 को, एनसीबी, चेन्नई क्षेत्रीय इकाई ने डीटीडीसी कूरियर सर्विसेज, कोयम्बटूर, तमिलनाडु में 2.930 किलोग्राम स्यूडोफेड्राइन जब्त किया।
- 06.07.2022 को, एनसीबी , दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने अरामक्स इंडिया प्रा. लिमिटेड, सेक्टर-28, द्वारका, नई दिल्ली 4.650 किलोग्राम स्यूडोफेड्राइन जब्त किया।
- 08.09.2022 को, एनसीबी, मुंबई क्षेत्रीय इकाई ने डीएचएल कूरियर, मुंबई, महाराष्ट्र में 185 ग्राम एफेड्रिन जब्त किया।
- 20.09.2022 को, एनसीबी, बैंगलोर क्षेत्रीय इकाई ने डीएचएल एक्सप्रेस इंडिया प्रा. लिमिटेड, यशवंतपुर, बैंगलोर, कर्नाटक 4.902 किलोग्राम स्यूडोफेड्राइन जब्त किया।।
- 21.09.2022 को, एनसीबी , बैंगलोर क्षेत्रीय इकाई ने डीएचएल एक्सप्रेस इंडिया प्रा. लिमिटेड, यशवंतपुर, बैंगलोर, कर्नाटक 4.998 किलोग्राम स्यूडोफेड्राइन जब्त किया।।
- 01.10.2022 को, एनसीबी , हैदराबाद उप-क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने आईसीएल कूरियर, हैदराबाद सेंट्रल हब, तेलंगाना में 1.950 किलोग्राम स्यूडोफेड्राइन जब्त किया।
- 21.10.2022 को, एनसीबी, कोचीन उप-क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने डीएचएल एक्सप्रेस इंडिया प्रा. लिमिटेड, अनुग्रहा, मुल्लास्सेरी कैनाल रोड, कोच्चि, केरल मे २.४८० किलोग्राम स्यूडोफेड्राइन जब्त किया।
- 09.11.2022 को, एनसीबी , दिल्ली क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने बीएचएल वर्ल्डवाइड एक्सप्रेस कूरियर, शंकर मार्केट, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में 4.065 किलोग्राम स्यूडोफेड्राइन जब्त किया और 10.11.2022 को अनुवर्ती कार्रवाई मे वोल्गा इंटरनेशनल होटल, पहाड़गंज, नई दिल्ली में 4.564 किलोग्राम स्यूडोफेड्राइन जब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 06.12.2022 को, एनसीबी, चेन्नई क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने डीएचएल एक्सप्रेस कूरियर सर्विसेज, गिंडी, चेन्नई, तमिलनाडु में 4.840 किलोग्राम स्यूडोफेड्राइन जब्त किया।

एसिटिक एनहाइड्राइड की महत्वपूर्ण जब्ती :

- 14.02.2022 को, एनसीबी , बैंगलोर क्षेत्रीय इकाई और हैदराबाद उप-क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने ल्यूसेंट ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड , हैदराबाद में 277.150 किलोग्राम एसिटिक एनहाइड्राइड ज़ब्त किया।
- 26.04.2022 को, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एनसीबी, दिल्ली क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने 35.250 किलोग्राम हेरोइन और 2.750 किलोग्राम एसिटिक एनहाइड्राइड जब्त किया। 09 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

1.6 फार्मास्युटिकल ड्रग्स

भारत के पास सबसे बड़ा फार्मास्युटिकल औद्योगिक आधार है और फार्मास्युटिकल पदार्थों के डायवर्जन के कारण प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का दुरुपयोग बढ़ रहा है। देश के उत्तर-पूर्व और उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में यह समस्या गंभीर प्रतीत होती है।

जिन फार्मास्युटिकल उत्पादों का दुरुपयोग किया जाता है उनमें बुप्रेनॉर्फिन, कोडीन-आधारित कफ सिरप, अल्प्राजोलम, डायजेपाम और अन्य शामक शामिल हैं। ऐसी तैयारियों की आसान उपलब्धता प्रमुख कारक है जो उनके दुरुपयोग को प्रोत्साहित करती है। एक धारणा यह भी है कि हेरोइन, कोकीन, आदि जैसी कठोर ड्रग्स की तुलना में ये फार्मास्यूटिकल ड्रग्स कम हानिकारक हैं। हालांकि, यह एक गलत धारणा है, क्योंकि ये नशे की लत का रूप ले सकती हैं और स्वास्थ्य पर विरूप प्रभाव भी डाल सकती हैं। औषधीय तैयारी में मादक / साइकोट्रोपिक पदार्थ होते हैं जो की भारत में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के दायरे में हैं।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने बड़ी मात्रा में अल्प्राजोलम टैबलेट, ज़ोलपिडेम, ट्रामाडोल टैबलेट, स्टिडोनाफिल टैबलेट आदि भी जब्त किए हैं।

फार्मास्युटिकल ड्रग्स (टैबलेट) एवं अन्य मिश्रित ड्रग्स की महत्वपूर्ण जब्ती :

- 18.02.2022 को, एनसीबी, दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने नोएडा, यूपी में 3.075 किलोग्राम गांजा, 303 ग्राम एमडीएमए, 500 ब्लॉट्स एलएसडी और 17.75 ग्राम मेथमफेटामाइन जब्त किया। 04 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 06.02.2022 को, एनसीबी, कोलकाता क्षेत्रीय इकाई , ने बीएसएफ के साथ मिलकर बीओपी-मुस्तफपुर, पीओ-बगदाह, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल में कोडीन आधारित कफ सिरप की 3,375 बोतलें और 6 किलो गांजा जब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 29.03.2022 को, एनसीबी, मुंबई क्षेत्रीय इकाई ने गणेश नगर, पुणे, महाराष्ट्र में 75 ग्राम हशीश और एलएसडी के 52 ब्लॉट जब्त किए। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 24.08.2022 को, एनसीबी , मुंबई क्षेत्रीय इकाई ने ईगल फाल्कन कूरियर, घाटकोपर, मुंबई में 6.6 ग्राम एक्स्टसी जब्त की। अनुवर्ती कार्रवाई में 25.08.2022 को विद्या विहार (पश्चिम), मुंबई में 34 ग्राम हशीश, 2.5 ग्राम हशीश का तेल, 3.6 ग्राम एस्क्टसी, 5 ग्राम गांजा और 1 ग्राम एलएसडी पेपर जब्त किया गया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 07.09.2022 को, एनसीबी , गोवा सब-क्षेत्र ने कैलंगुट, गोवा में 3.51 ग्राम एम्फ़ैटेमिन, 6.9 ग्राम गांजा और 61 ग्राम एमडीएमए ज़ब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 04.10.2022 को, एनसीबी , मुंबई क्षेत्रीय इकाई ने एच के . ट्रेवल्स, मुंबई नाइट्राजेपम की 4.500 किलो ग्राम (750 टैबलेट) जब्त किया। 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- 11.10.2022 को, एनसीबी, दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने स्कार्ट ग्लोबल एक्सप प्रा. लिमिटेड, आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली में ट्रामाडॉल की 2,170 टैबलेट (737.80 ग्राम) ज़ब्त कीं।
- 27.10.2022 को, एनसीबी, दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने डीएचएल एक्सप्रेस प्रा. लिमिटेड, कीर्ति नगर, नई दिल्ली में अल्प्राजोलम की 2,020 टैबलेट जब्त कीं।
- 10.11.2022 को, एनसीबी , मुंबई क्षेत्रीय इकाई ने अंधेरी ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र में 1.152 किलोग्राम (3,840 टैबलेट) ट्रामाडोल जब्त किया।
- 15.11.2022 को, एनसीबी , मुंबई क्षेत्रीय इकाई ने डीटीडीसी कूरियर, ठाणे, महाराष्ट्र में 10.800 किलोग्राम (13,500 टैबलेट) नाइट्राज़ेपम ज़ब्त किया। 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- 09.12.2022 को, एनसीबी, मुंबई क्षेत्रीय इकाई ने प्लॉट नंबर 25-ए, सेक्टर-14, कोपर खैराने, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में 92 किलोग्राम (920 बोतल) कोडीन आधारित कफ सिरप की दवा जब्त की। अनुवर्ती कार्रवाई में 10.12.2022 को वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कश्मीरा मीरा रोड (ई), ठाणे, महाराष्ट्र में 700 ग्राम (07 बोतल) कोडीन आधारित कफ सिरप और 3.600 किलोग्राम नाइट्राज़ेपम टैबलेट (6000 टैबलेट) ज़ब्त की गई। अनुवर्ती कार्रवाई में 12.12.2022 को विश्वकर्मा चौक, कांदिवली, मुंबई, महाराष्ट्र में कोडीन आधारित कफ सिरप की 48 किलोग्राम (480 बोतलें) जब्त की गईं, 05 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

मामले का अध्ययन- सबसे बड़ी फार्मास्युटिकल जब्ती

एनसीबी, मुंबई क्षेत्र द्वारा कोडीन आधारित कफ सिरप (सीबीसीएस) की बोतलें और नाइट्राज़ेपम टैबलेट की ज़ब्ती

गुप्त सूचना के आधार पर, एनसीबी , मुंबई क्षेत्रीय इकाई की एक टीम ने 09.12.2022 को सेक्टर 14, कोपरखैरने, ठाणे, नवी मुंबई में क्लोरोफेनरामाइन मैलेट और कोडीन फॉस्फेट सिरप फेनसाइरेस्ट कफ सिरप 100 मिलीलीटर की 920 बोतलों की जब्ती की और एक जोड़े को गिरफ्तार किया। . उसी दिन इस मामले में एक और व्यक्ति को भी पकड़ा गया और गिरफ्तार किया गया और उसके खुलासों के आधार पर, एनसीबी मुंबई ने फिर से नाइट्राज़ेपम (नाइट्रावेट 10 मिलीग्राम) की 6000 टैबलेट (वजन 3.6 किलोग्राम) और

कोडीन फॉस्फेट और क्लोरफेनरामाइन मालेट सिरप CHOCO की सात बोतलें 10.12.2022 को वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, काशीमीरा मीरा रोड (ई), ठाणे के एक पेट्रोल पंप मे जब्त कीं और मामले के चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में से एक के खुलासे के आधार पर एनसीबी मुंबई ने 12.12.2022 को कांदिवली, मुंबई में क्लोरफेनरामाइन मैलेट और कोडीन फॉस्फेट सिरप फेनसाइरेस्ट कफ सिरप 100 एमएल की 480 बोतलें जब्त की और 5वें आरोपी को गिरफ्तार किया। आगे की जांच में 6वें आरोपी (आपूर्तिकर्ता) को भी गिरफ्तार किया गया।

1.7 नए मन: सक्रिय पदार्थ (एनपीएस)

यूएनओडीसी एनपीएस को "दुर्व्यवहार के वह पदार्थ, (शुद्ध रूप या इसकी तैयारी दोनों के रूप में) परिभाषित करता है, जो 1961 के नारकोटिक ड्रग्स पर एकल सम्मेलन या 1971 के मनोवैज्ञानिक पदार्थों पर सम्मेलन द्वारा नियंत्रित नहीं है, लेकिन जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकते है"।

यह जरूरी नहीं कि "नया" शब्द नए आविष्कारों को संदर्भित करता है - कई एनपीएस पहले संदर्भित दशकों पहले संश्लेषित किए गए थे - लेकिन उन पदार्थों करते हैं जो हाल ही में बाजार में उपलब्ध हो गए हैं।

एनपीएस को बाजार में "लीगल हाई", "बाथ सॉल्ट" और "रिसर्च केमिकल्स" जैसे शब्दों से जाना जाता है।

चुनौतियां:

- वैश्विकड्रग बाजार में बड़ी संख्या में एनपीएस का तेजी से उदय और उपस्थिति।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम और ड्रग नीति के लिए एक चुनौती है।
- एनपीएस के प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों और सामाजिक नुकसान के बारे में कम जानकारी के कारण रोकथाम और उपचार के लिए काफी चुनौती पेश करना।
- ड्रग बाजारों मे बड़ी संख्या में मौजूद रासायनिक रूप से विविध पदार्थों का विश्लेषण और पहचान करना मुश्किल है।
- इस स्थिति का जवाब देने के लिए निगरानी, सूचना साझाकरण, प्रारंभिक चेतावनी और इसके जोखिम के प्रति जागरूकता आवश्यक है।

जोखिम:

- एनपीएस के साइड इफेक्ट दौरे से लेकर घबराहट, आक्रामकता, तीव्र मनोविकृति के साथ-साथ इन पर निर्भरता के संभावित विकास तक होते हैं।
- कई एनपीएस के उत्पादों की विषाक्तता और कार्सिनोजेनिक क्षमता, दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव या जोखिम, शुद्धता और उत्पादों की संरचना पर सुरक्षा डेटा ज्ञात नहीं है।
- यह उपयोगकर्ताओं को भारी जोखिम में रखता है जैसा कि अस्पताल में आपातकालीन प्रवेश और एनपीएस से जुड़ी मौतों से पता चलता है, जिसमें अक्सर पॉली-पदार्थ उपयोग के मामले शामिल होते हैं।

1.8 2022 के दौरान अधिसूचित नए पदार्थ

भारत सरकार ने 22 सितंबर, 2022 को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत क्रमशः 07 पदार्थों को 'साइकोट्रोपिक पदार्थ' (अनुसूची में) और 08 पदार्थों को 'नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक पदार्थ' (तालिका में) के रूप में अधिसूचित किया है। भारत सरकार ने 16 नवंबर, 2022 को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत क्रमशः 01 पदार्थ को 'साइकोट्रोपिक पदार्थ' (अनुसूची में) और 03 पदार्थों को 'नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक पदार्थ' (तालिका में) के रूप में अधिसूचित किया है। इनका विवरण इस प्रकार है:

(क) अधिसूचना एस.ओ. 4428 (ई) दिनांक 22.09.2022 के तहत, निम्नलिखित 06 पदार्थों को 'साइकोट्रोपिक पदार्थ' के रूप में अधिसूचित किया गया था और साइकोट्रोपिक पदार्थों की सूची (अनुसूची) में शामिल किया गया था:

1) क्यूमिल- पेगाक्लोन
2) एमडीएमबी-4एन -पिनाका
3) 3-मेथॉक्सीफेन्सीक्लिडीन
4) डिफेनिडाइन
5) क्लोनाज़ोलम
6) डिक्लाज़ेपम
7) फ़्लुब्रोमाज़ोलम

(ख) अधिसूचना एस.ओ. 4428 (ई) दिनांक 22.09.2022 के तहत, निम्नलिखित 08 पदार्थों को अधिसूचित किया गया था और 'नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस' की 'तालिका' में शामिल किया गया था:

1) आइसोटोनिटाज़ीन
2) क्यूमिल-पेगाक्लोन
3) एमडीएमबी-4 एन-पिनाका

4) 3-मेथॉक्सीफेनीसाइक्लिडिन
5) डिफेन्डाइन
6) क्लोनज़ोलम
7) डिक्लाज़ेपम
8) फ़्लुब्रोमाज़ोलम

(ग) अधिसूचना एस.ओ. 5319 (ई) दिनांक 16.11.2022 के तहत, निम्नलिखित 01 पदार्थों को 'साइकोट्रोपिक पदार्थ' के रूप में अधिसूचित किया गया था और साइकोट्रोपिक पदार्थों की सूची (अनुसूची) में शामिल किया गया था:

1) यूटीलोन

(घ) अधिसूचना एस.ओ. 5320 (ई) दिनांक 16.11.2022 के तहत, निम्नलिखित 03 पदार्थों को अधिसूचित किया गया था और 'नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस' की 'तालिका' में शामिल किया गया था:

1) ब्रोफिन
2) मेटोनिटाज़ीन
3) यूटिलोन

1.9 ड्रग्स की तस्करी में डार्क नेट का उपयोग

डार्क नेट का उपयोग करके तस्करी की जाने वाली नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों की जब्ती

- 10.01.2022 और 17.02.2022 को, एनसीबी, दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने 303 ग्राम एक्स्टसी, 17.75 ग्राम मेथामफेटामाइन, एलएसडी के 9 ब्लाट, 3.055 किलोग्राम गांजा और 700 ग्राम चरस जब्त की और 06 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।
- 28.02.2022 को एनसीबी, दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने 1.07 किलोग्राम मेथाक्वलोन जब्त किया और 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।
- 22.09.2022 को, एनसीबी, बैंगलोर क्षेत्रीय इकाई ने 47.71 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा और 0.4 ग्राम एमडीएमए जब्त किया और 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।
- 04.11.2022 को, NCB, बैंगलोर क्षेत्रीय इकाई ने 1 7 7 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा और 7 ग्राम साइलोसाइबिन मशरूम जब्त किए और 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।
- 14.11.2022 को, NCB, बैंगलोर क्षेत्रीय इकाई ने 120 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा, 48 ग्राम ट्रामाडोल और 3.9 लीटर कैनबिस शराब की बोतलें जब्त कीं और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।
- 15.11.2022 को, NCB, बैंगलोर क्षेत्रीय इकाई ने 25 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया और 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया।
- 21.11.2022 को, NCB, बैंगलोर क्षेत्रीय इकाई ने 45 ग्राम गांजा जब्त किया और 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया।
- 22.11.2022 को, एनसीबी, बैंगलोर क्षेत्रीय इकाई ने 0.23 ग्राम (27 ब्लॉट्स) एलएसडी पेपर, 2.22 ग्राम कोकीन, 2.14 ग्राम एम्फेटामाइन, 6.18 ग्राम हशीश और 201 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया और 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

1.10 नियंत्रित डिलीवरी

- नियंत्रित डिलीवरी एक ऐसी तकनीक है जो नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों की अवैध या संदिग्ध खेप या उनके स्थान पर एवजी पदार्थों को भारत के क्षेत्र से बाहर या भारत के क्षेत्र में जाने की अनुमति देती है और जो कार्यवाही NDPS अधिनियम के धारा 50ए के तहत विधिवत अधिकृत अधिकारी की देखरेख में अपराध में शामिल व्यक्तियों की पहचान करने की दृष्टि से होती है।
- NDPS अधिनियम के धारा 4 की उप-धारा (3) के तहत गठित नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक या उनके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी, इस अधिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, किसी भी खेप की नियंत्रित डिलीवरी का कार्य निम्नलिखित स्थानों के लिए करने के लिए अधिकृत हैं: -
  - भारत में किसी भी गंतव्य स्थान मे ;
  - एक विदेशी देश मे, ऐसे विदेशी देश के सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से, जिसके लिए इस तरह की खेप नियत है, इस तरह से निर्धारित किया जा सकता है।
- वर्ष 2022 के दौरान, एनसीबी और अन्य एजेंसियों द्वारा भी कुल 42 नियंत्रित वितरण संचालन किए गए।

1.11 ड्रग्स का निपटान

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान विभिन्न नारकोटिक ड्रग्स या साइकोट्रोपिक पदार्थों का निपटान चोरी, प्रतिस्थापन, उचित भंडारण स्थान की बाधाओं के प्रति उनकी भेद्यता के कारण किया।

01/01/2022 - 31/12/2022 तक जोन वार ड्रग डिस्पोजल डेटा			
क्र.सं. नहीं	क्षेत्र	वर्जित ड्रग	किग्रा / नग में मात्रा।
1.	अहमदाबाद	हेरोइन	40.51
2.		गांजा	536.7
3.		मेथमफेटामाइन	185.02
4.		गांजा	1753.62
5.		मेफेड्रोन	4.52
6.		सभी प्रकार की टैबलेट्स	316.47
7.		पोस्ता भूसा	332.33
8.		अफ़ीम	6.08
9.		अफ़ीम का सत्त्व	9.58
10.	बैंगलोर	एम्फ़ैटेमिन	4.11
11.		एफेड्रीन	2.85
12.		गांजा	138.83
13.		गांजा	3.84
14.		चरस का तेल	0.19
15.		एलएसडी	0.02
16.		एमडीएमए	3.78
17.		मेथमफेटामाइन	0.57
18.		सभी प्रकार की टैबलेट्स	106.26
19.	चंडीगढ़	हेरोइन	145.52
20.		गांजा	42.7
21.		सभी प्रकार की टैबलेट्स	1,31,978
22.	चेन्नई	कोकीन	0.01
23.		एफेड्रीन	9.79
24.		गांजा	1291.70
25.		चरस का तेल	0.91
26.		हेरोइन	6.33
27.		मेथमफेटामाइन	0.68
28.	दिल्ली	एम्फ़ैटेमिन	6.29
29.		गांजा	31.82
30.		कोकीन	3.64
31.		कोडीन आधारित कफ सिरप (सीबीसीएस)	1,59,214
32.		गांजा	894.02
33.		हेरोइन	15.87
34.		मेथमफेटामाइन	2.86
35.		मेथक्वलोन (मैंड्रैक्स)	0.82
36.		सूडोएफेड्रीन	15.69
37.		स्पास्मो आदि।	43,540
38.		सभी प्रकार की टैबलेट्स	259.78 और 1,09,45,036
39.		केटामाइन	1.06
40.		एमडीएमए	0.21

41.		पोस्ता भूसी	5.45
42.		अन्य औषधि	3.08
43.		अन्य मनोदैहिक पदार्थ	16.73
44.	गुवाहाटी	कोडीन आधारित कफ सिरप (सीबीसीएस)	68,002
45.		गांजा	7341.24
46.		मेथमफेटामाइन	167.23
47.		सभी प्रकार की टैबलेट्स	44.17 और 1,82,440
48.	इंदौर	गांजा	4693.54
49.		गांजा	9.47
50.		हेरोइन	1.08
51.		पोस्ता भूसा	430.49
52.	जम्मू	कोडीन आधारित कफ सिरप (सीबीसीएस)	30,018
53.		गांजा	30.97
54.		पोस्ता भूसा	1118.64
55.		सभी प्रकार की टैबलेट्स	25310
56.	जोधपुर	अफ़ीम	35.84
57.		गांजा	3085.08
58.		पोस्ता भूसा	17985.35
59.		हेरोइन	67.57
60.		सभी प्रकार की टैबलेट्स	0.26 और 1,49,020
61.		कोकीन	0.07
62.		मेथमफेटामाइन	0.13
63.	कोलकाता	गांजा	15082.56
64.		अन्य औषधि	8.2
65.		एसिटिक एनहाईड्राइड	232.28
66.		गांजा	5.45
67.		मेथमफेटामाइन	0.75
68.		सूडोएफेड्रीन	12.83
69.			35.78
70.		अफ़ीम	31.36
71.		अफ़ीम का सत्त्व	12.22
72.		कोडीन आधारित कफ सिरप (सीबीसीएस)	20,273
73.		पोस्ता भूसा	473.34
74.	लखनऊ	एसिटिक एनहाईड्राइड	69.95
75.		कोडीन आधारित कफ सिरप (सीबीसीएस)	1,26,261
76.		गांजा	4299.33
77.		हेरोइन	35.10
78.		अफ़ीम का सत्त्व	6.72
79.		सभी प्रकार की टैबलेट्स	6,22,194
80.		अफ़ीम	77.68

81.		स्पास्मो आदि।	797.00
82.		गांजा	255.45
83.		पोस्ता भूसा	257.18
84.	मुंबई	गांजा	58.53
85.		कोकीन	0.55
86.		गांजा	162.86
87.		एमडीएमए	0.97
88.		कौडीन	43.50
89.		हेरोइन	22.12
90.		मेफेड्रोन	0.16
91.		मेथमफेटामाइन	0.09
92.		अफ़ीम का सत्त्व	0.27
93.		सूडोएफेड्रीन	1094.24
94.		सभी प्रकार की टैबलेट्स	171.14 और 1,13,580
95.		एम्फ़ैटेमिन	13.41
96.	पटना	गांजा	20605.96
97.		अन्य औषधि	8.99
98.		सभी प्रकार की टैबलेट्स	3.27
99.		गांजा	49.22
100.		हेरोइन	2.35
101.		पोस्ता भूसा	5697.03
102.		एफेड्रीन	3912.60

अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई

इम्फ़ाल उप क्षेत्रीय इकाई (गुवाहाटी)

पटना क्षेत्रीय इकाई

चंडीगढ़ क्षेत्रीय इकाई

दिल्ली क्षेत्रीय इकाई

गुवाहाटी क्षेत्रीय इकाई

जोधपुर क्षेत्रीय इकाई

अजमेर उप क्षेत्रीय इकाई

लखनऊ क्षेत्रीय इकाई

पटना क्षेत्रीय इकाई

2 क्षमता निर्माण

2.1 प्रशिक्षण

एनसीबी का अधिदेश इसको देश में ड्रग कानूनों को लागू करने के लिए उत्तदायी अन्य ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता निर्माण के लिए भी जिम्मेदार बनाती है । राज्य सहायता योजना के माध्यम से उन्हें भौतिकवादी सहायता प्रदान करने के अलावा, उनके कर्मियों/ड्रग कानून प्रवर्तन अधिकारियों में प्रवर्तन कौशल विकसित करना और बढ़ाना भी अनिवार्य है।

विभिन्न चैनलों के माध्यम से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जागरूकता और क्षमता निर्माण विंग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत में, ड्रग कानून प्रवर्तन के लिए काम करने वाले अधिकारियों में केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के अधिकारी शामिल हैं जिनमें निम्नलिखित संस्थाएं शामिल हैं:

- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो
- सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क
- राजस्व खुफिया विभाग
- सीमा सुरक्षा बल
- राज्य पुलिस
- राज्य उत्पाद शुल्क
- राज्य ड्रग नियंत्रक, आदि।

उपर्युक्त एजेंसियों की सामान्य प्रशिक्षण आवश्यकताओं में, प्रमुख कानून जैसे NDPS अधिनियम, 1985, PITNDPS अधिनियम, 1988, नियंत्रित पदार्थों का विनियमन आदेश (आरसीएस आदेश), 2013, परिपत्र/अधिसूचनाएं, दस्तावेज़ीकरण प्रक्रियाएं, नए मन: सक्रिय पदार्थ (एनपीएस) का उद्भव, प्रिकर्सर नियंत्रण तंत्र, आसूचना जानकारी का संग्रह, ड्रग तस्करी में राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय प्रवृतियाँ , मामलों से बरी होने के कारणों का अध्ययन शामिल हैं ।

एनसीबी या तो स्वयं या अन्य प्राधिकरणों जैसे राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स अकादमी (NACIN), इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी (NEPA), राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और फोरेंसिक विज्ञान संस्थान (NICFS), केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी (CAPT), राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU), सीमा रक्षक बल, राज्य पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, आदि के साथ समन्वय में, ऐसे क्षेत्र के अधिकारियों के लिए नियमित रूप से लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है,

ये कार्यक्रम एजेंसियों की क्षमता के अपने संबंधित क्षेत्रों में सर्वोत्तम पद्धतियों जैसे ड्रग कानून प्रवर्तन के ज्ञान में वृद्धि, खुफिया संग्रह में वृद्धि के साथ-साथ जांच, ड्रग्स की तस्करी के नए रुझानों और पैटर्न को जानना, निष्पादन को समझना "नियंत्रित वितरण" संचालन, गुप्त प्रयोगशालाओं का पर्दाफाश आदि को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं।

एनसीबी ड्रग कानून प्रवर्तन में विशेष प्रशिक्षण के लिए NACIN, सीबीआई अकादमी, NICFS, BSF, SSB, NPA और राज्य पुलिस अकादमियों जैसे अन्य सहयोगी संगठनों को 'विशेषज्ञ' और प्रशिक्षण सामग्री भी प्रदान करता है।

देश में ड्रग कानून प्रवर्तन पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, वर्ष 2022 में, एनसीबी द्वारा राजस्व विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय , NACIN , BPR&D और CAPT के समन्वय से एक कोर मॉड्यूल और 05 प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए थे, जो विभिन्न विभागों के केंद्रीय/राज्य कानून प्रवर्तन अधिकारी, SPPs और सिविल संस्थाओं के विभिन्न रैंक के अधिकारियों के लिए तैयार किए गए । ये मॉड्यूल सभी केंद्रीय/राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों, NACIN और

BPR&D को उनके संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल करके प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए परिचालित किए गए थे।

विकसित किए गये 05 ट्रेनिंग मॉड्यूल निम्नलिखित हैं

i. डीएसपी और ऊपर के लिए ड्रग कानून प्रवर्तन (DLE) पर 05 दिन (01 सप्ताह) मॉड्यूल।

ii. आसूचना अधिकारी /कनिष्ठ आसूचना अधिकारी (इंस्पेक्टर/सब-इंस्पेक्टर) स्तर के लिए DLE पर 10 दिन (02 सप्ताह) का मॉड्यूल।

iii. एसपीपी/पीपी स्तर के लिए 03 दिवसीय मॉड्यूल।

iv. कांस्टेबल / हेड कांस्टेबल स्तर के लिए 03 दिन का मॉड्यूल।

v. नागरिक समाज / नागरिक संगठनों के लिए 01 दिन का मॉड्यूल।

ये मॉड्यूल सभी केंद्रीय/राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों, NACIN और BPR&D को उनके संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल करके प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए परिचालित किए गए थे।2022 में, एनसीबी ने पूरे भारत में 203 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 18,086 व्यक्तियों ने भाग लिया। एनसीबी द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों का माहवार विवरण निम्नानुसार है:-

माह	डीएलई प्रशिक्षणों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
जनवरी	20	7394
फ़रवरी	20	1303
मार्च	15	763
अप्रैल	19	793
मई	11	610
जून	24	930
जुलाई	20	1931
अगस्त	11	731
सितंबर	18	799
अक्टूबर	15	697
नवंबर	15	1267
दिसंबर	15	868
कुल	203	18086

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निम्नलिखित एनसीबी अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :

- श्री पद्मा दत्त, अनुभाग अधिकारी (स्था. शाखा), श्री मनोज कुमार अग्रवाल, अनुभाग अधिकारी (लेखा शाखा), श्री आशुतोष सिंह, (स्था. शाखा), श्रीमति एकता श्रीवास्तव (स्था. शाखा), एनसीबी, मुख्यालय और बिपिन चंद्र पाल, सहायक, एनसीबी, लखनऊ जोन ने स्थापना नियमों पर 17 से 21 जनवरी, 2022, तक ISTM , नई दिल्ली द्वारा संचालित ऑनलाइन प्रशिक्षण में भाग लिया।।
- एनसीबी के 34 आसूचना अधिकारियों के पहले बैच ने अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए 21.02.2022 से 11.03.2022 तक, CAPT, भोपाल द्वारा संचालित ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया।।
- एनसीबी के 30 आसूचना अधिकारियों के दूसरे बैच ने अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए 21.03.2022 से 08.04.2022 तक, CAPT, भोपाल द्वारा संचालित ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया।।

- 24.03.2022 को, विदेश मंत्रालय के निदेशक श्री अरुण कंठ मनोहरन ने एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली में NDPS, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ड्रग पहचान और अन्य ड्रग्स से संबंधित मामलों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया था।
- दिनांक 04.04.2022 से 13.04.2022 तक श्री अमनजीत सिंह उप निदेशक /क्षेत्रीय निदेशक , एनसीबी ने सीबीआई अकादमी, गाजियाबाद में इंडक्शन कोर्स में भाग लिया है।
- 04.04.2022 से 22.04.2022 तक श्री नितिन चौबे, सहायक निदेशक (जोधपुर जोन), एनसीबी ने सीबीआई अकादमी, गाजियाबाद में 03 सप्ताह के इंडक्शन कोर्स में भाग लिया।
- 13.04.2022 को श्री पी. अरविंदन, उप निदेशक /क्षेत्रीय निदेशक ने एनसीबी मुख्यालय और दिल्ली ज़ोनल यूनिट में परिचय कार्यक्रम में भाग लिया।
- 25.04.2022 से 15.07.2022 तक, आ.अ./क.आ.अ.जो प्रतिनियुक्ति पर एनसीबी में शामिल हुए हैं, ने सीबीआई अकादमी, गाजियाबाद में अपने 12 सप्ताह के इंडक्शन कोर्स में भाग लिया था, नए आसूचना अधिकारी /कनिष्ठ आसूचना अधिकारी में शामिल हुए, सीबीआई में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे और दिनांक 05.07.2022 से 06.07.2022 तक सीबीएन नीमच और एल्कोलाइड फैक्ट्री, नीमच, म.प्र. का दौरा किया।

- दिनांक 13.05.2022 से 27.05.2022 तक श्री अजय कुमार, सहायक निदेशक (प्रतिनियुक्ति पर एनसीबी में शामिल हुए) ने एनसीबी मुख्यालय / दिल्ली क्षेत्रीय इकाई में 10 दिनों के परिचय कार्यक्रम में भाग लिया।
- 25.05.2022 को, महानिदेशक, एनसीबी ने राजस्थान पुलिस के मिड-कैरियर प्रशिक्षण के लिए 'नार्को टेररिज्म' पर राजस्थान पुलिस को एक ऑनलाइन व्याख्यान दिया।
- 25.05.2022 को श्री पीयूष कुमार सिंह, सहायक निदेशक (प्रवर्तन) ने आईटीसी मौर्य, नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय द्वारा यूके की प्रत्यर्पण प्रक्रिया पर एक गोलमेज चर्चा/कार्यशाला में भाग लिया।
- 26.05.2022 को श्री पंकज कुमार द्विवेदी, सहायक निदेशक (ऑप्स) ने क्लाउड सुरक्षा चुनौतियों और जांच पर एक ऑनलाइन वेबिनार में भाग लिया।
- 02-03.06.2022 को श्री अजय कुमार, सहायक निदेशक (ऑप्स), एनसीबी मुख्यालय ने बीपीआरएंडडी द्वारा आयोजित सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, गाजियाबाद में भारत में पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखों की 38वें राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रशिक्षण में भाग लिया था।
- दिनांक 30.05.2022 से 03.06.2022 तक श्री शांतनु आइच, अधीक्षक (ऑप्स), एनसीबी मुख्यालय ने NIA, मुख्यालय, नई दिल्ली में RCMP के सहयोग से NIA द्वारा 05 दिनों के संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।
- 30.05.2022 से 03.06.2022 तक, एनसीबी मुख्यालय के स्थापना और लेखा अनुभाग के अधिकारियों ने ISTM नई दिल्ली में स्थापना नियम -02 पर प्रशिक्षण में भाग लिया था।
- 10.06.2022 को, IS-।। डिवीजन, गृह मंत्रालय से, 02 परिवीक्षाधीन सहायक अनुभाग अधिकारियों ने एनसीबी के कामकाज और ड्रग्स के प्रकारों और पहचान पर अर्धदिवसीय अटैचमेंट प्रशिक्षण में भाग लिया।
- 06.06.2022 से 17.06.2022 तक श्री रविंदर सिंह बिष्ट, सहायक निदेशक, इंदौर क्षेत्रीय इकाई ने सीएपीटी भोपाल में "मोबाइल डिवाइस फोरेंसिक कॉन्सल्टेशन ट्रेन द ट्रेनर" और "मोबाइल डिवाइस फोरेंसिक कॉन्सल्टेशन" पाठ्यक्रम में भाग लिया।
- दिनांक 14.06.2022 से 16.06.2022 तक श्री आर. एस. जोशी सहायक निदेशक (प्रशासन), एनसीबी और श्री अजय कुमार, सहायक निदेशक (ऑप्स), एनसीबी मुख्यालय ने NIA मुख्यालय, नई दिल्ली में फ्रांसीसी दूतावास के सहयोग से NIA द्वारा "ड्रग ट्रैफिकिंग के माध्यम से आतंकवाद का वित्तपोषण" पर 03 दिनों की संयुक्त कार्यशाला में भाग लिया था।
- श्री मुथा अशोक जैन, उप महानिदेशक (द.प.क्षेत्र), मुंबई ने SVPNPA, हैदराबाद में "आर्थिक अपराध" पर 20.06.2022 से 24.06.2022 तक 05 दिनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।
- श्री शैलेंद्र कुमार मिश्रा, क्षेत्रीय निदेशक , अहमदाबाद ने 24.06.2022 को आरआरयू, गांधीनगर, गुजरात में सरकारी संगठनों में सूचना सुरक्षा पर एक दिवसीय प्रशिक्षण में भाग लिया।
- 28.06.2022 को एनसीबी मुख्यालय द्वारा SPP, एनसीबी के लिए हाइब्रिड मोड में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- 05.07.2022 को हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुबन में NDPS मामलों पर एक दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण में हरियाणा पुलिस के 313 कर्मियों ने भाग लिया।
- 12.07.2022 को, महानिदेशक, एनसीबी ने BIMSTEC देशों के कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को "ड्रग व्यापार-संगठित अपराध और नार्को आतंकवाद, मोडस ऑपरेंडी और प्रोफाइलिंग" विषय पर संबोधित किया था।
- दिनांक 11.07.2022 से 15.07.2022 तक श्री राजेश कुमार, क्षेत्रीय निदेशक , जम्मू क्षेत्रीय इकाई ने BPR&D मुख्यालय, महिपालपुर, नई दिल्ली में 'राष्ट्रीय पुलिस प्रौद्योगिकी नेतृत्व (NPTL) कार्यक्रम' में भाग लिया।
- श्री रोहित, आ.अ., हैदराबाद सब जोन और श्री जमील सैफी, क.आ.अ., दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने दिनांक 18.07.2022 से 22.07.2022 तक RBVRR TSPA, राजिंदर नगर, हैदराबाद में OSINT कोर्स में भाग लिया।
- 25.07.2022 से 29.07.2022 तक श्री रतन के., आ.अ., बैंगलोर क्षेत्रीय इकाई ने RBVRR TSPA राजिंदर नगर, हैदराबाद में डार्कवेब इन्वेस्टिगेटर कोर्स और वर्कशॉप में भाग लिया।

- श्री अप्पुकुट्टन जे, अधीक्षक (प्रशिक्षण), एनसीबी ने 22.07.2022 को कालीकट विश्वविद्यालय के उन छात्रों को "नारकोटिक्स ड्रग्स, एनडीपीएस अधिनियम और संबंधित मामलों" पर एनसीबी मुख्यालय में व्याख्यान दिया, जो केरल पुलिस अकादमी में प्रशिक्षु थे।

- 03.08.2022 को श्री एस.एन. प्रधान, महानिदेशक , एनसीबी ने 03-05.08.2022 के दौरान आयोजित नए मन: स्क्रिय पदार्थ (एनपीएस) पर राष्ट्रीय परामर्श पर तीन दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया, जो UNODC द्वारा होटल आईटीसी मौर्य, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। श्री रितेश रंजन, उप निदेशक (पी एंड सी), श्री राकेश चंद्र शुक्ला, क्षेत्रीय निदेशक गुवाहाटी, श्री ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, क्षेत्रीय निदेशक दिल्ली और श्री विकास कुमार, सहायक निदेशक (पी एंड सी) ने कार्यशाला में भाग लिया।
- श्री अजय कुमार, सहायक निदेशक (ऑप्स) ने Webex के माध्यम से BPR&D मुख्यालय, नई दिल्ली में 04.08.2022 को पुलिस आधुनिकीकरण पर एक दिवसीय विचार-मंथन वेबिनार में भाग लिया।
- श्री रितेश रंजन, उप निदेशक (पी एंड सी) और श्री विकास कुमार, सहायक निदेशक (पी एंड सी) ने 16.08.2022 को 01 दिवसीय कार्यशाला के दौरान 05 आईएएस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया।

- 30.08.2022 को, एनसीबी द्वारा IDSA, नई दिल्ली में राज्यों, सीएपीएफ और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों के लिए "डार्कनेट इन्वेस्टिगेशन" पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। महानिदेशक, एनसीबी ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला में एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। श्री। रितेश रंजन, उप निदेशक (पी एंड सी), श्री विकाश कुमार, सहायक निदेशक (पी एंड सी), श्री प्रणीत शर्मा, अधीक्षक (पी एंड सी), श्री अरविंद शर्मा, आसूचना अधिकारी (प्रशिक्षण), श्री अवधेश कुमार, आसूचना अधिकारी (प्रका.), श्री कृष्ण कुमार, सहायक, (प्रशिक्षण) और पी एंड सी अनुभाग के अन्य अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया।

- 05.09.2022 से 09.09.2022 तक, एनसीबी जोधपुर जोनल यूनिट ने "ड्रग्स की पहचान, एनडीपीएस अधिनियम और प्रक्रियाओं" पर BSF अधिकारियों के लिए 05 दिनों का इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

- 08.09.2022 को, एनसीबी चंडीगढ़ जोनल यूनिट ने 79 हिमाचल पुलिस अधिकारियों के लिए “NDPS अधिनियम और महत्वपूर्ण न्यायालय के निर्णय/जांच में कमी" पर एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन किया।

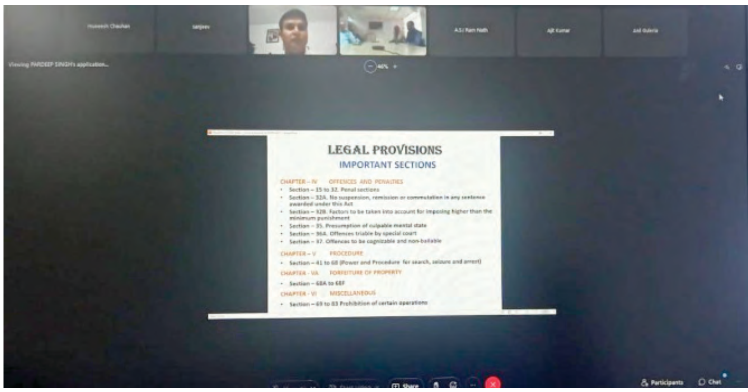

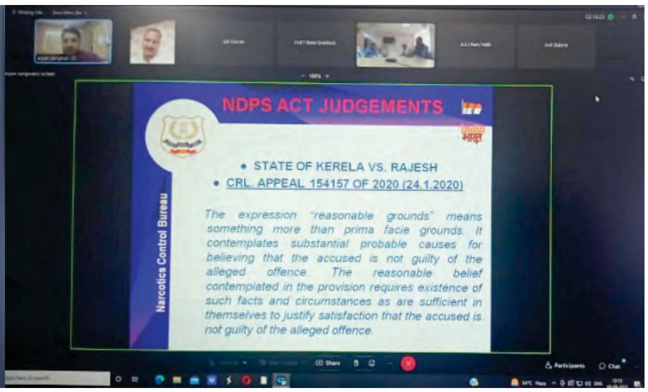

- 09.09.2022 से 10.09.2022 तक, एनसीबी चंडीगढ़ जोनल यूनिट ने खुफिया और निगरानी, निदान पोर्टल/असतत पूछताछ पर दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया, एनसीबी, हिमाचल प्रदेश पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस के 30 अधिकारियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया।

- 14.09.2022 को, श्री ज्ञानेश्वर सिंह, उप महानिदेशक (उ.क्षे.), एनसीबी, ने 12.09.2022 से16.09.2022 के दौरान राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा आयोजित एक मध्य कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में R P S अधिकारियों को व्याख्यान दिया था।
- 12.09.2022 से 23.09.2022 तक, एनसीबी के सहायकों के लिए अनुभाग अधिकारी के पद पर 02 सप्ताह का ऑनलाइन प्रचार पाठ्यक्रम एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। एनसीबी के 13 सहायकों द्वारा प्रमोशनल कोर्स में वर्चुअल रूप से भाग लिया गया ।
- दिनांक 30.09.2022 को पुलिस प्रशिक्षण अकादमी मधुबन, करनाल, हरियाणा में गांजा और अफीम के नष्टिकरण एवं अवैध खेती पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें 08 उपाधीक्षक उपस्थित थे।

- दिनांक 30.09.2022 को पुलिस प्रशिक्षण अकादमी मधुबन, करनाल, हरियाणा में गांजा और अफीम अवैध खेती एवं नष्टिकरण पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें 08 उपाधीक्षक उपस्थित थे।
- 17 से 21.10.2022 तक, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने IDSA, नई दिल्ली में US ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से एयरपोर्ट इंटरडिक्शन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण आयोजित किया। श्री. रितेश रंजन, उप निदेशक (पी एंड सी), श्री. विकाश कुमार, सहायक निदेशक (ए एंड सी), श्री जे. अप्पुकुट्टन अधीक्षक (प्रशिक्षण) और श्री. अरविंद शर्मा, आसूचना अधिकारी (प्रशिक्षण) ने प्रशिक्षण में भाग लिया।
- 22.11.2022 को, श्री संजय कुमार सिंह, उप महानिदेशक (OEC) ने SVP NPA, हैदराबाद में आयोजित किए जा रहे 20वें मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम (MCTP) के प्रतिभागियों को "भारत में नारकोटिक्स व्यापार और अंतर-एजेंसी समन्वय की आवश्यकता" विषय पर संबोधित किया।।
- 07.12.2022 को, श्री सचिन जैन, उप महानिदेशक (पी एंड ए), श्री विकाश कुमार, सहायक निदेशक (ए एंड सी), श्री रोहित श्रीवास्तव, अधीक्षक (आसूचना) और श्री शांतनु आइच, अधीक्षक (परिचालन) ने सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स राष्ट्रीय अकादमी, फरीदाबाद, हरियाणा में व्याख्यान दिया।
- 16.12.2022 को, श्री रोहित श्रीवास्तव, अधीक्षक (आसूचना), एनसीबी मुख्यालय ने "डार्कनेट/डार्क वेब के विशेष संदर्भ में नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में ऑनलाइन ट्रेडिंग के बदलते आयामों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन" नामक

शीर्षक शोध अध्ययन के संबंध में BPR&D में एक बैठक में भाग लिया । 20.12.2022 से 21.12.2022 तक, एनसीबी के विशेष लोक अभियोजकों (एसपीपी) ने एनसीबी के सहयोग से दिल्ली न्यायिक अकादमी द्वारा आयोजित एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित मामलों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण में भाग लिया।

- 21.12.2022 को, श्री प्रणीत शर्मा, अधीक्षक (ए एंड सी) ने " विभिन्न ड्रग्स की सैम्पल्स की ड्रॉइंग, भंडारण, निपटान के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया" तथा " ड्रग्स की जब्ती से संबंधित दस्तावेजों और ड्रग्स युक्त वाहन/परिसरों/व्यक्तियों की तलाशी/जब्ती से निपटने के लिए अपनाई जाने वाली कानूनी प्रक्रिया के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रिया" पर जी (इंटेलिजेंस) ट्रेनिंग स्कूल, बीएसएफ, पुष्पा भवन, नई दिल्ली में एक व्याख्यान दिया।
- दिनांक 23.12.2022 को श्रीमती. मोनिका ए. बत्रा, उप महानिदेशक (एल, ए और सी) ने असम राइफल्स द्वारा "शांति और स्थिरता बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र को पूंजीगत समर्थन तथा भारत की एक्ट ईस्ट नीति को उन्नत बनाने" के संबंध में विषय पर "USI, नई दिल्ली में आयोजित तीसरे बॉब खटिंग मेमोरियल लेक्चर, 2022 में भाग लिया।

2.2 राज्यों को सहायता

ड्रग्स के खतरे को खत्म करने की दृष्टि से, भारत सरकार ने राज्य सरकारों को नारकोटिक्स ड्रग्स और मनःप्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने के लिए उनकी प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए नारकोटिक्स नियंत्रण हेतु वित्त पोषण के लिए 'राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता' नाम से एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, राज्यों की ड्रग कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

यह योजना गृह मंत्रालय द्वारा 24 अक्टूबर, 2004 को 05 वर्षों के लिए शुरू की गई थी जिसे मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर बढ़ाया गया था। योजना की समय-सीमा का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वैधता अवधि	प्रारंभ में आवंटित बजट	टिप्पणी
01	24.12.2004 से 31.03.2009 तक	10 करोड़	योजना 24.12.2004 को शुरू की गई
02	01.04.2009 से 31.03.2014 तक	15 करोड़	2009-14 तक 05 वर्ष के लिए बढ़ाया गया
03	01.04.2014 से 31.03.2017 तक	15 करोड़	2014-17 तक 03 वर्ष के लिए बढ़ाया गया
04	01.04.2017 से 31.03.2020 तक	21 करोड़	2017-20 तक 03 वर्ष के लिए बढ़ाया गया
05	01.04.2020 से 31.03.2021तक	07 करोड़	2020-21 तक 01 वर्ष के लिए बढ़ाया गया
06	01.04.2021 से 31.03.2026 तक	50 करोड़	2021-26 तक 05 वर्ष के लिए बढ़ाया गया

ड्रग्स के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी होने के नाते नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ड्रग्स के खतरे की आपूर्ति पक्ष से निपटने में प्रवर्तन क्षमताओं में सुधार के लिए केंद्रीय सहायता के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी गई है। 2018 से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 18,86,81,522/- रुपये की राशि प्रदान की गई है।

इस योजना के तहत 31.12.2022 तक जारी की गई धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	राज्य	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	Total (2018-23)
1	आंध्र प्रदेश	7189750	0	0	0	0	7189750
2	असम	115000	0	0	3571750	0	3686750
3	अरुणाचल प्रदेश	6318410	6180910	0	0	0	12499320
4	बिहार	4713686	0	0	42212	0	4755898
5	छत्तीसगढ	0	0	0	0	0	0
6	दिल्ली	0	0	0	0	0	0
7	गोवा	1234897	0	0	0	0	1234897
8	गुजरात	188998	0	1400000	0	0	1588998
9	हरयाणा	4500000	0	5157387	0	0	9657387
10	हिमाचल प्रदेश	5997214	6274200	282711	0	440000	12994125
11	जम्मू और कश्मीर	2771045	0	0	0	0	2771045
12	झारखंड	0	0	0	3768638	0	3768638
13	कर्नाटक	1328809	796699	0	0	17315589	19441097
14	केरल	1004357	0	0	0	0	1004357
15	मध्य प्रदेश	2831000	0	0	0	0	2831000
16	महाराष्ट्र	5286700	4590000	0	0	0	9876700
17	मेघालय	3064966	0	0	0	0	3064966
18	मिजोरम	3559000	11176000	12307000	0	3736000	30778000
19	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
20	नगालैंड	0	5700000	0	0	0	5700000
21	ओडिशा	0	4165000	0	978987	0	5143987
22	पंजाब	0	0	0	0	0	0
23	राजस्थान	1823552	0	0	3574227	0	5397779
24	सिक्किम	6499995	86000	0	0	0	6585995
25	तमिलनाडु	2418940	0	2120000	0	0	4538940
26	तेलंगाना	5159910	4284920	0	0	2130643	11575473
27	त्रिपुरा	2147385	4478000	4125000	0	0	10750385
28	उतार प्रदेश	3725000	0	0	0	0	3725000
29	उत्तराखंड	3077448	0	0	0	0	3077448
30	पश्चिम बंगाल	5043587	0	0	0	0	5043587
क्र.सं.	**संघ राज्य क्षेत्र**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**Total (2018-23)**
1	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
2	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
3	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
4	दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
	कुल	**7,99,99,649**	**4,77,31,729**	**2,53,92,098**	**1,19,35,814**	**2,36,22,232**	**18,86,81,522**

2.3 ड्रग डिटेक्शन किट

एनसीबी देश भर में ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के उपयोग हेतु उनके लिए ड्रग डिटेक्शन किट खरीदता है और प्रदान करता है। ये डीडी किट गैर-तकनीकी अधिकारियों द्वारा भी संदिग्ध सामग्री के 'मौके पर' परीक्षण के लिए सरल, सही और उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीका प्रदान करते हैं। ये ड्रग डिटेक्शन किट तीन प्रकार के होते हैं:

क) नारकोटिक ड्रग्स डिटेक्शन किट,

ख) प्रिकर्सर केमिकल डिटेक्शन किट और

ग) केटामाइन डिटेक्शन किट।

1989 से हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे से डीडी किट एनसीबी मुख्यालय द्वारा केंद्रीय रूप से खरीदे जाते हैं और एनसीबी की क्षेत्रीय इकाइयों को वितरित किया जाता आ रहा है। क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा प्राप्त डीडी किट को आगे उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों को वितरित किया जाता है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो देश की सभी ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए ड्रग डिटेक्शन किट खरीदता है। इसे एनसीबी क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा राज्य पुलिस और अन्य ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निम्नानुसार वितरित किया गया :

क) मानक आकार के नारकोटिक्स ड्रग डिटेक्शन किट - 2400

ख) प्रीकर्सर केमिकल डिटेक्शन किट - 700

ग) केटामाइन डिटेक्शन किट – 315

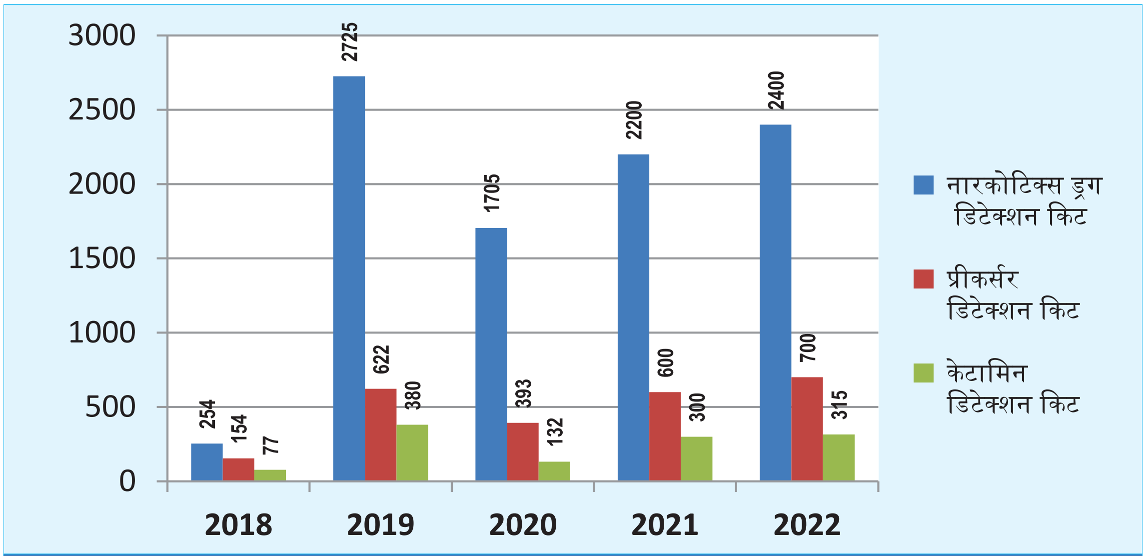

पिछले 5 वर्षों के दौरान एनसीबी द्वारा वर्षवार डीडी किट वितरण (आंकड़े संख्या में)

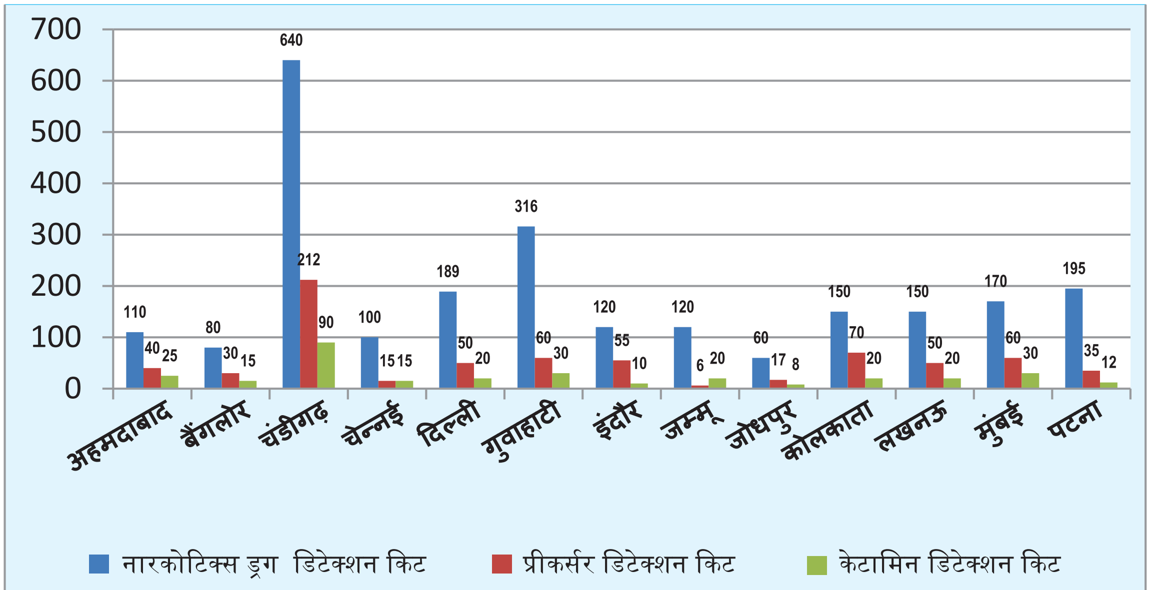

2022 के दौरान एनसीबी द्वारा क्षेत्रवार डीडी किट वितरण (आंकड़े संख्या में)

2.4 ड्रग्स की मांग में कमी

डिमांड रिडक्शन का अर्थ किसी भी एजेंसी द्वारा नारकोटिक ड्रग्स या साइकोट्रोपिक पदार्थों के उपभोग की मांग को कम करने के लिए उठाए गए कदम हैं। मांग में कमी की रणनीति आपूर्ति में कमी की रणनीति के अतिरिक्त है जो ड्रग्स पर प्रतिबंध लगाने पर केंद्रित है।

भारत सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MSJ&E) को विभिन्न मांग कटौती कार्यक्रम चलाने के लिए अधिकृत किया है।

मांग में कमी के लिए अपनाए गए उपायों में शामिल हैं:

- ड्रग्स के हानिकारक परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करना और लोगों को शिक्षित करना
- नशा करने वालों की पहचान, उपचार, प्रेरणा, परामर्श और पुनर्वास के लिए समुदाय आधारित हस्तक्षेप
- स्वयंसेवकों/सेवा प्रदाताओं और अन्य हितधारकों का प्रशिक्षण।

ड्रग्स के खिलाफ ई-प्रतिज्ञा लेने की पहल

एनसीबी एक प्रमुख ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसी होने के अलावा, इसको राज्य के अधिकारियों और अन्य हितधारकों के समन्वय में ड्रग्स के दुष्प्रभावों के खिलाफ जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से, mygov.in वेबसाइट पर "जीवन को हां, ड्रग्स को ना" शीर्षक से एक ई-प्रतिज्ञा अपलोड की गई।

इस संकल्प का उद्देश्य नागरिकों के बीच ड्रग्स के दुष्प्रभाव का संदेश फैलाना है ताकि वे भारत को नशा मुक्त राष्ट्र बनाने और स्वस्थ जीवन जीने का संकल्प दिखा सकें। ई-प्रतिज्ञा का लिंक नीचे दिया गया है:-

"https://pledge.mygov.in/fightagainstdrugabuse/"

विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय जैसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, CAPF और पुलिस और राज्य प्राधिकरण सहित अन्य सहयोगी एजेंसियों को इस ई-प्रतिज्ञा के बारे में जागरूक किया गया और अनुरोध किया गया कि इस जानकारी को शिक्षण संस्थानों सहित पूरे समाज में प्रसारित किया जाए, ताकि नशे के खिलाफ लड़ाई में एक जन आंदोलन उत्पन्न किया जा सके।

एनसीबी ने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के समग्र मार्गदर्शन में एक मिशन/अभियान मोड में चयनित स्कूलों और कॉलेजों/शैक्षिक संस्थानों में अपनी क्षेत्रीय इकाइयों के माध्यम से 'पूरी तरह से प्रतिज्ञा-बद्ध परिसर (ड्रग्स के खिलाफ)' आंदोलन भी शुरू किया है। 2022 के अंत तक लगभग 30 लाख लोगों ने नशे के खिलाफ यह ई-प्रतिज्ञा ली।

एनसीबी द्वारा मांग में कमी कार्यक्रम

ड्रग्स के निषेध के क्षेत्र में अपने नियमित काम के अलावा, एनसीबी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच जागरूकता फैलाने में भी कुछ काम करता है। इन कार्यक्रमों में शामिल हैं:

- नुक्कड़ नाटक/सांस्कृतिक कार्यक्रम
- ड्रग्स के दुरुपयोग के खिलाफ दौड़
- पब, बार और हवाई अड्डे आदि में जागरूकता बोर्ड का प्रदर्शन
- चित्रकला और नारा लेखन प्रतियोगिता
- शपथ ग्रहण समारोह
- प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर बैनर और पोस्टर प्रदर्शित करना
- प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन
- रेडियो चैनल के माध्यम से ड्रग्स के खिलाफ संदेश का प्रसारण
- ड्रग्स जागरूकता के बारे में एसएमएस अलर्ट
- जागरूकता पैदा करने के लिए 26 जून को 'ड्रग्स के दुरुपयोग और अवैध ट्रैकिंग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस' के रूप में मनाना

2022 के दौरान, एनसीबी ने देश भर में ड्रग्स की मांग में कमी की गतिविधियों के अंशस्वरूप देश भर के विभिन्न राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 574 जागरूकता और शैक्षिक कार्यक्रम चलाए, जिसमें माननीय प्रधान मंत्री के विजन 'नशा मुक्त भारत' को पूरा करने के लिए लगभग 1,50,120 प्रतिभागियों को शामिल किया गया।

एनसीबी द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों का मासिक-वार विवरण नीचे दिया गया है:-

माह	जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
जनवरी	34	9187
फ़रवरी	30	2119
मार्च	23	2557
अप्रैल	25	1822
मई	27	2420
जून	307	106144
जुलाई	32	5914
अगस्त	23	1490
सितंबर	15	2630
अक्टूबर	19	3430
नवंबर	19	4712
दिसंबर	20	7695
कुल	**574**	**150120**

"ड्रग्स के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस"

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर, 1987 में पारित एक प्रस्ताव में प्रत्येक वर्ष 26 जून को "ड्रग्स के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस" के रूप में घोषित किया। इस घोषणा के अनुसरण में, ड्रग्स के खतरे के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे विश्व में यह दिवस मनाया जाता है। ड्रग्स के दुरुपयोग की बुराइयों के बारे में जनता, विशेष रूप से छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए, एनसीबी मुख्यालय और इसकी क्षेत्रीय इकाइयां, विभिन्न राज्यिक एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स, राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के सहयोग से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं।

वर्ष 2022 में दिनांक 12.06.2022 से 26.06.2022 तक "नशे से आजादी" पखवाड़ा के रूप में एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें नशा विरोधी जागरूकता अभियान, ई-प्रतिज्ञा, नशा विरोधी जागरूकता प्रतियोगिता, हस्ताक्षर अभियान, संगोष्ठी जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यशाला/ प्रशिक्षण, साइक्लाथॉन/ मैराथन/ बाइक रैली, नाटक/ नुक्कड़ नाटक, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया और साथ ही ड्रग डिस्पोजल का भी आयोजन किया गया। 26 जून अर्थात 'ड्रग्स के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस' के अवसर पर जन-जागरूकता पैदा करने के लिए इन उपरोक्त जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। एनसीबी ने देश के युवाओं को प्रेरित करने और उन्हें ड्रग्स के दुष्प्रभाव से दूर करने के लिए एनसीबी के आधिकारिक चैनल/हैंडल्स से यूट्यूब, ट्विटर आदि के माध्यम से एक जागरूकता अभियान भी शुरू किया। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, एफएम रेडियो, टेलीविजन चैनलों का भी एनसीबी और इसकी फील्ड इकाइयों और इसके अधिकारियों द्वारा आम जनता में ड्रग्स के खिलाफ संदेश फैलाने के लिए उपयोग किया गया।

माननीय गृह मंत्री का ट्वीट

महानिदेशक, एनसीबी का ट्वीट

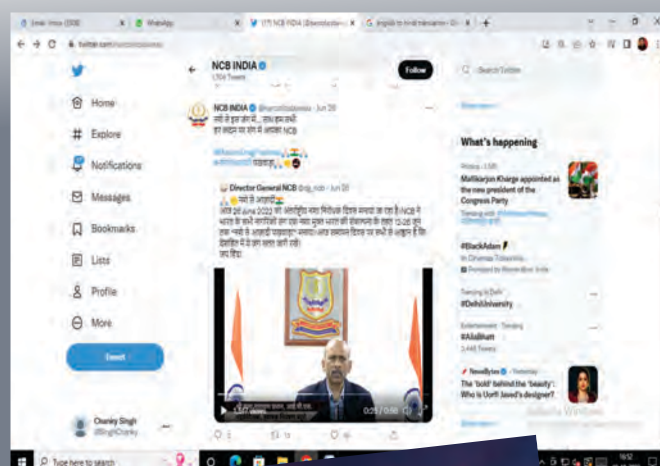

12-26 जून, 2022 के दौरान आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के संस्मरण स्वरूप "नशे से आज़ादी पखवाड़ा, घटनाओं का संग्रह-2022" भी एनसीबी द्वारा प्रकाशित किया गया था।

बच्चों के बीच ड्रग्स और पदार्थों के उपयोग और अवैध तस्करी की रोकथाम पर एक संयुक्त कार्य योजना

एनसीबी के सक्रिय समर्थन के साथ, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने "बच्चों के बीच ड्रग्स और पदार्थों के उपयोग और अवैध तस्करी की रोकथाम पर एक संयुक्त कार्य योजना" तैयार की थी, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था।

एनसीपीसीआर ने एनसीबी के साथ मिलकर जुलाई और अगस्त 2021 के महीने में 272 कमजोर जिलों में से 260 में "बच्चों और अवैध तस्करी की रोकथाम" पर संयुक्त कार्य योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए वर्चुअल बैठकें आयोजित की थीं।

श्री सत्य नारायण प्रधान, महानिदेशक, एनसीबी और श्री. प्रियंका कानूनगो, अध्यक्ष, एनसीपीसीआर ने 2 मार्च 2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में ड्रग्स और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम पर संयुक्त कार्य योजना के रोल आउट पर राष्ट्रीय स्तर की सह परामर्श समीक्षा का उद्घाटन किया।

ड्रग्स के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के आयोजन की तस्वीरें

एनसीबी के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा रैलियां और जागरूकता अभियान

अहमदाबाद जोन

बैंगलोर जोन

चंडीगढ़ क्षेत्रीय इकाई

चैन्नई क्षेत्रीय इकाई

दिल्ली क्षेत्रीय इकाई

गुवहाटी क्षेत्रीय इकाई

इंदौर क्षेत्रीय इकाई

जम्मू क्षेत्रीय इकाई

जोधपुर क्षेत्रीय इकाई

कोलकाता क्षेत्रीय इकाई

लखनऊ क्षेत्रीय इकाई

मुंबई क्षेत्रीय इकाई

पटना क्षेत्रीय इकाई

2.5. एनकॉर्ड पोर्टल

ड्रग कानून प्रवर्तन के क्षेत्र में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी होने के नाते एनसीबी ने एनकॉर्ड पोर्टल विकसित करने की पहल कि। इस पोर्टल तक https://narcoordindia.in/ लिंक द्वारा पहुंचा जा सकता है। यह एनकॉर्ड पोर्टल भारत के माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा 30-31.07.2022 के दौरान चंडीगढ़ में आयोजित "ड्रग्स की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा" पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान 30.07.2022 को लॉन्च किया गया था।

यह मंच केंद्र सरकार के अधीन मंत्रालयों सहित जिला स्तर से राज्य स्तर तक सभी चार स्तरों के हितधारकों के लिए सभी ड्रग्स और एनसीबी से संबंधित सूचनाओं और कुल ज्ञान प्रबंधन प्रणाली (Knowledge Management System) के लिए एक प्रवेश द्वार है। ज्ञान प्रबंधन प्रणाली सभी के लिए सुलभ है जबकि एनकॉर्ड वाले भाग के लिए प्रतिबंधित पहुंच प्रदान की जाती है जहां विभिन्न एनकॉर्ड बैठकों के दौरान लिए गए सभी निर्णयों को श्रेणीवार देखा जा सकता है। यहां, उपयोगकर्ता मीटिंग नोटिस, एजेंडा, मीटिंग के मिनट और संबंधित मीटिंग के एटीआर को देख और डाउनलोड कर सकते हैं। आगामी बैठकों का विवरण अपलोड करने का भी प्रावधान है। उपयोगकर्ता कार्यवृत्त देखकर अब तक हुई बैठकों और बैठक के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के विवरण भी सरसरी तौर से देख सकते हैं।

आम तौर पर, लोगों के बीच जागरुकता पैदा करने के लिए एनसीबी ने ई- प्रतिज्ञा का लिंक भी पेज के ऊपर दाईं ओर रखा है। इसमें एक इवेंट कॉर्नर भी है जहाँ उपयोगकर्ता नए ईवेंट सृजित कर सकते हैं और इसके बारे में जनता को जागरूक कर सकते हैं।

ज्ञान प्रबंधन प्रणाली पोर्टल, समझौता ज्ञापनों, द्विपक्षीय समझौतों, प्रत्यर्पण संधियों, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कार्यक्रम और प्रशिक्षण कैलेंडर, महत्वपूर्ण निर्णयों, सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/न्यायालयों के निर्णयों/नियमों और विनियमों आदि के मामले में समृद्ध है। इस पोर्टल में एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट, एनडीपीएस से संबंधित योजनाएं, एनडीपीएस अधिनियम पर राष्ट्रीय नीति, एनसीबी की हैंडबुक, एनसीबी और एनसीबी द्वारा समाचार में प्रकाशित प्रेस विज्ञप्तियां भी शामिल हैं।

2.6 निदान डैशबोर्ड

एनसीबी ने आईसीजेएस (इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) के सहयोग से नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ओफ़ेंडर्स (निदान) पोर्टल पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस भी विकसित किया है ताकि किसी भी ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए गए पूरे भारत के सभी नार्को-अपराधियों के बारे में एकीकृत और कार्रवाई योग्य पैन-इंडिया जानकारी प्रदान की जा सके। निदान द्वारा आईसीजेएस और सीसीटीएनएस के डाटा को एकीकरण कर पूरे भारत में प्रत्येक नार्को-अपराधी और अपराध की रूपरेखा तैयार करने विजन रखा गया है। निदान, जेलों में बंद सभी गिरफ्तार नार्को-अपराधियों के संबंध में एक एकीकृत डेटाबेस है। यह सभी नार्को अपराधियों के संबंधित डेटा का एक स्थान मे समाधान है और जांच एजेंसियों को एक प्रभावी जांच उपकरण के रूप में मदद करेगा। निदान अपना डेटा ई-जेल

और सिम्स (जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली) से प्राप्त करता है जो एनसीबी का सॉफ्टवेयर है। इस पोर्टल की एक यूएसपी यह भी है की प्रत्येक नार्को अपराधि जो अन्य अपराधों में शामिल हो सकते हैं या जिनके अन्य सहयोगी भी हो सकते हैं, के डेटा को अंतर प्रचलनीय और सहक्रियाशील बनाया गया है।

निदान पोर्टल तक https://nidaan.nic.in पर पहुंचा जा सकता है। निदान पोर्टल को भारत के माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा 30-31.07.2022 को चंडीगढ़ में आयोजित "ड्रग्स की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा" पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान 30.07.2022 को लॉन्च किया गया था

निदान अपना डेटा सभी भारतीय ई-जेलों और एनसीबी के डेटाबेस से चयन करता है। इस डेटाबेस में नार्को अपराधियों के नाम के अलावा, पूरे भारत में कम से कम पिछले 10 वर्षों के सभी ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सभी नार्को अपराधियों से संबंधित दर्ज की गई तस्वीरें, उंगुलियों के निशान, मामले का विवरण, माननीय न्यायालयोन के आदेश आदि भी युक्त हैं।

2.7 राष्ट्रीय नारकोटिक्स केनाइन पूल (Nar-K9)

केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 30-31 जुलाई, 2022 को चंडीगढ़ में आयोजित 'ड्रग्सकी तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन' के दौरान राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में राष्ट्रीय नारकोटिक्स कैनाइन पूल (नार- के9) का प्रमोचन किया गया। उक्त सम्मेलन के दौरान नार- के9 पूल के प्रतीक चिन्ह (लोगो) को भी प्रदर्शित किया गया।

प्रारम्भ मे बीएसएफ, एसएसबी और असम राइफल्स द्वारा दिल्ली, जम्मू, अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई, इंफाल और चंडीगढ़ में एनसीबी को डॉग हैंडलर/सहायक डॉग हैंडलर के साथ नार- कैनाइन प्रदान किया गया।

क्षेत्रीय उप महानिदेशक के मार्गदर्शन में एनसीबी क्षेत्रीय निदेशकों को उनके संबंधित क्षेत्रों में स्थापित कैनाइन स्क्वॉड के संबंध में सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। बेहतर निगरानी और इष्टतम उपयोग के लिए उप महानिदेशक (OEC), एनसीबी मुख्यालय को तैनात कैनाइन दस्ते के संबंध में क्षेत्रीय निदेशक को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए महानिदेशक-एनसीबी द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

केंद्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के डीएलईए और एनडीपीएस अधिनियम से अधिकार प्राप्त सीएपीएफ से प्राप्त नार- कैनाइन की मांगों को संबंधित एनसीबी क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा आवश्यकता के आधार पर पूरा किया जा सकता है। डीएलई द्वारा एनकॉर्ड पोर्टल पर ही आवश्यक मांग पत्र भरा और ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। इससे संबन्धित फीडबैक रिपोर्ट का प्रोफार्मा एनकॉर्ड पोर्टल पर भी उपलब्ध कराया गया है।

Ministry of Home Affairs
NAR-K9
National Narcotics Canine Pool

नेशनल नारकोटिक्स कैनाइन पूल (नार-के9) के पहले फेज के रूप में एनसीबी के विभिन्न स्थानों पर तैनात डॉग के साथ-साथ हैंडलर की स्थिति

क्र. सं.	स्थान (एनसीबी जोन/ सब जोन)	कैनाइन दस्ते की उपलब्धता
		एसएसबी से
1	दिल्ली क्षेत्रीय इकाई	एसएसबी कार्यालय आदेश दिनांक 18.07.2022 के अनुसार 02 डॉग के साथ 03 डॉग हैंडलर्स।
2	जम्मू क्षेत्रीय इकाई	एसएसबी कार्यालय आदेश दिनांक 18.07.2022 के अनुसार 02 डॉग के साथ 03 डॉग हैंडलर्स।
3	कोलकाता क्षेत्रीय इकाई	एसएसबी कार्यालय आदेश दिनांक 18.07.2022 के अनुसार 02 डॉग के साथ 03 डॉग हैंडलर्स।
4.	गुवहाटी क्षेत्रीय इकाई	एसएसबी कार्यालय आदेश दिनांक 12.01.2023 के अनुसार 02 डॉग के साथ 03 डॉग हैंडलर्स।
		असम राइफल्स से
5	इंफाल उप- क्षेत्रीय इकाई	असम राइफल्स के पत्र दिनांक 25.07.2022 के अनुसार 02 डॉग के साथ 03 डॉग हैंडलर्स।
		बीएसएफ से
6	अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई	बीएसएफ के पत्र दिनांक 10.10.2022 के अनुसार 02 डॉग के साथ 03 डॉग हैंडलर्स।
7	बैंगलुरु क्षेत्रीय इकाई	बीएसएफ के पत्र दिनांक 10.10.2022 के अनुसार 02 डॉग के साथ 03 डॉग हैंडलर्स।
8	चंडीगढ़ क्षेत्रीय इकाई	बीएसएफ के पत्र दिनांक 25.07.2022 के अनुसार 02 डॉग के साथ 03 डॉग हैंडलर्स।
9	चेन्नई क्षेत्रीय इकाई	बीएसएफ के पत्र दिनांक 13.03.2023 के अनुसार 02 डॉग के साथ 03 डॉग हैंडलर।
10	मुंबई क्षेत्रीय इकाई	बीएसएफ के पत्र दिनांक 03.10.2022 के अनुसार 02 डॉग के साथ 03 डॉग हैंडलर।

चरण- II: दूसरे चरण में, एनसीबी के शेष 20 स्थानों पर सिएपीएफ से पिल्लों की खरीद, ड्रग्स की खोज का प्रशिक्षण, CAPFs से डॉग हैंडलर की प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति तथा आवास के साथ-साथ कामकाज के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से राष्ट्रीय नारकोटिक्स कैनाइन पूल (नार-के9) की स्थापना का प्रस्ताव है।

Ministry of Home Affairs

NAR-K9

National Narcotics Canine Pool

2.8

मानस

24X7 राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन (प्रस्तावित)

MANAS

मादक-पदार्थ निषेध आसूचना-केन्द्र

- 27.12.2021 को हुई तीसरी शीर्ष समिति एनकॉर्ड की बैठक के दौरान, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय द्वारा एक समर्पित 24x7, टोल-फ्री राष्ट्रीय नारकोटिक्स कॉल सेंटर के लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन स्थापित करने का निर्देश दिया गया था, ताकि ड्रग्स की तस्करी, ड्रग्स के दुरुपयोग या एनसीबी की ड्रग्स और नीतियों के संबंध में कोई भी सूचना दी जा सके।
- उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन में, एनसीबी द्वारा डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डीआईसी) के सहयोग से एक समर्पित, 24x7 टोल-फ्री राष्ट्रीय नारकोटिक्स कॉल सेंटर बनाने के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित करने की पहल की गई है।
- तदनुसार, डीआईसी के सहयोग से एक राष्ट्रीय नारकोटिक हेल्पलाइन मानस (मादक पदार्थ निषेध आसूचना - केंद्र) के विकास, संचालन और कार्यान्वयन के प्रस्ताव पर विचार और अनुमोदन के लिए गृह मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।

2.9

गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए कर्तव्य पथ पर एनसीबी की झांकी

थीम : नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो:संकल्प @75 - नशा मुक्त भारत

एनसीबी के लिए यह गर्व का क्षण था जब रक्षा मंत्रालय ने दिनांक 29.12.2022 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से कई दौर की चयन बैठकों के पश्चात इतिहास में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड, 2023 के लिए एनसीबी की झांकी के अंतिम चयन की जानकारी दी , और तदनुसार, इतिहास में पहली बार, एनसीबी की झांकी गणतंत्र दिवस परेड, 2023 में माननीय गणमान्य व्यक्तियों और लाखों लोगों के सामने प्रदर्शित हुई

एनसीबी की झांकी का थीम और 3डी मॉडल

थीम :

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, (एनसीबी), गृह मंत्रालय की झांकी “RESOLVE @75-DRUG FREE INDIA” थीम के साथ भारत को 'नशा मुक्त' बनाने के संकल्प को दर्शाती है।

झांकी के आगे के हिस्से में एक वृहत मानव सदृश मूर्तिकला को दर्शाया गया है जो कैक्टस के बगीचे संरूप कंटकमय नशे के दुष्परिणामों को दमन करता हुआ एवं अपने हाथों को क्रॉस किए हुये व सिर को दाईं ओर लहराते हुए ड्रग्स के खिलाफ एक मजबूत संकेत दे रहा है।

झांकी के पिछले हिस्से में पर्वतमय भूभाग से उभरती हुई भारत के विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग, लिंग निर्विशेष का प्रतिनिधित्व करती हुई वृहतआकार के हाथ अपने संयुक्त श्रम एवं उद्देश्य से "नशा मुक्त भारत" के सपने को जन जन तक विस्तार हेतु प्रयासरत है। झांकी के दोनों तरफ, भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को "टुगेदर वी कैन डू इट" संदेश के साथ ड्रग्स से लड़ने का संकल्प लेते हुए सभी वर्गों के सामूहिक प्रयासों को जन आन्दोलन स्वरूप दर्शाता है।

झांकी के निचले हिस्से पर उच्च समोच्च में दो हाथों का मिलाप नशे के विरुद्ध सभी हितधारकों की सहभागिता, समर्पण और एकजुटता को दर्शाता है।

झांकी के समीप, राष्ट्र को नशामुक्त करने के अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित, एनसीबी के कार्मिक Nar-K9 दस्ते के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने अधिदेशित कार्य को पूर्ण करने हेतु सतत एवं सजग रूप से आगे बढ़ रहें हैं।

एनसीबी के निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी एनसीबी झांकी की तैयारी **से लेकर** 26 जनवरी, 2023 को कर्तव्य पथ पर इसके अंतिम प्रदर्शन तक सक्रिय रूप से शामिल **रहे:**

श्री सत्य नारायण प्रधान, महानिदेशक एनसीबी	मुख्य मार्गदर्शक
श्रीमती मोनिका आ बत्रा ,उपमहानिदेशक (वि., जा. एवं क्ष. नि.)	झांकी परियोजना की समग्र प्रभारी

क्र. संख्या	अधिकारी का नाम और पदनाम	भूमिका
1	श्री विकाश कुमार, सहायक निदेशक	नोडल अधिकारी
2	श्री प्रणीत शर्मा, अधीक्षक	सहायक नोडल अधिकारी
3.	श्री सूरज प्रकाश जायसवाल, अनुभाग अधिकारी	टीम सहायक

एनसीबी दल के झांकी मे भाग लेने वाले अधिकारी		
1.	श्री अवधेश कुमार, आसूचना अधिकारी	टीम लीडर एवं सदस्य
2.	**श्रीमती** सरिता कटारिया, आसूचना अधिकारी	टीम की सदस्या
3.	**श्रीमती** पुर्णिमा जी. एन., आसूचना अधिकारी	टीम की सदस्या
4.	श्री दीपक कौशिक, आसूचना अधिकारी	टीम के सदस्य
5.	श्री सुधीर कुमार, क. आसूचना अधिकारी	टीम के सदस्य
6.	श्री रामभरोसे, सिपाही	टीम के सदस्य
7.	श्री अजय कुमार, सिपाही	टीम के सदस्य
8.	श्री संजीव कुमार, सिपाही	टीम के सदस्य
9.	श्री दलबीर सिंह , सिपाही	टीम के सदस्य
10.	श्री अरविंद सिंह, कांस्टेबल (एसएसबी)-श्वान 'जेली' के साथ	टीम के सदस्य
11.	श्री अजय कुमार यादव , कांस्टेबल (एसएसबी)-श्वान 'लिम्बो' के साथ	टीम के सदस्य

भारत के माननीय प्रधान मंत्री के साथ NCB टीम

भारत के माननीय राष्ट्रपति के साथ NCB टीम

झांकी के साथ एनसीबी की टीम

3 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय

3.1 अंतर्राष्ट्रीय बैठकें/सम्मेलन

3.1.1 द्विपक्षीय बैठकें

- श्री सत्य नारायण प्रधान, महानिदेशक, एनसीबी, श्री मुथा अशोक जैन, उप महानिदेशक (एसडब्ल्यूआर), एनसीबी और श्री एस. के. मोहंती, निदेशक (एन), गृह मंत्रालय ने ईरान के तेहरान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), भारत और एंटी-नारकोटिक्स पुलिस (एएनपी) ईरान के बीच 09-11.05.2022 को द्विपक्षीय बैठक में भाग लिया।

- श्री सत्य नारायण प्रधान, महानिदेशक, एनसीबी ने वर्चुअल मोड में एनसीबी, इंडिया एंड सेंट्रल कमेटी फॉर ड्रग एब्यूज कंट्रोल (सीसीडीएसी), म्यांमार के बीच 26.05.2022 को 6वीं डीजी स्तर की वार्ता के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

- श्री सत्य नारायण प्रधान, महानिदेशक, एनसीबी ने भारत में इंडोनेशियाई राजदूत के साथ 'नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक पदार्थों और इसके प्रीकर्सर में अवैध तस्करी का प्रतिरोध' के संबंध में सुषमा स्वराज भवन, चाणक्यपुरी में विदेश मंत्री के नेतृत्व में भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, भारत और राष्ट्रीय नारकोटिक्स बोर्ड, इंडोनेशिया के बीच नए सिरे से 17.06.2022 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और इसका आदान-प्रदान किया।

- श्री सत्य नारायण प्रधान, महानिदेशक, एनसीबी के साथ-साथ श्री संजय कुमार सिंह, उप महानिदेशक (ओईसी), एनसीबी, श्रीमती मोनिका अ बत्रा, उप महानिदेशक (एलएसी), एनसीबी, श्री ज्ञानेश्वर सिंह, उप महानिदेशक (एनआर), एनसीबी, श्री पीयूष कुमार सिंह, सहायक निदेशक (ईएनएफ), एनसीबी और अधीक्षक, ऑप्स शाखा ने नई दिल्ली में 07.07.2022 से 08.07.2022 तक काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप (सीएनडब्ल्यूजी) की तीसरी बैठक में भाग लिया।

- श्री सत्य नारायण प्रधान, महानिदेशक, एनसीबी, श्री संजय कुमार सिंह, उप महानिदेशक (ओईसी), एनसीबी और एनसीबी के अन्य अधिकारियों ने दिनांक 30.08.2022 को नई दिल्ली में इंडोनेशिया के साथ 5वें उप महानिदेशक द्विपक्षीय संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठक में वर्चुअल मोड में भाग लिया।

- दिनांक 02.11.2022 से 03.11.2022 तक श्री सत्य नारायण प्रधान, महानिदेशक, एनसीबी, श्री संजय कुमार सिंह, उप महानिदेशक (ओईसी), एनसीबी और एनसीबी के अन्य अधिकारियों ने नई दिल्ली में भारत-अमेरिका काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप (सीएनडब्लूयजी) प्रवर्तन संचालन समूह की बैठक में भाग लिया।
- दिनांक 06.12.2022 से 07.12.2022 तक श्री सत्य नारायण प्रधान, महानिदेशक, एनसीबी, श्री संजय कुमार सिंह, उप महानिदेशक (ओईसी), एनसीबी और एनसीबी के अन्य अधिकारियों ने नई दिल्ली में एनसीबी इंडिया और एनडीएलईए, नाइजीरिया के बीच द्विपक्षीय बैठक में भाग लिया।

3.1.2 बहुपक्षीय बैठकें / सहयोग

- श्रीमती मोनिका अ बत्रा, उप महानिदेशक (पूर्वी क्षेत्र), एनसीबी, श्री पंकज द्विवेदी, सहायक निदेशक (ऑप्स), एनसीबी, श्री शांतनु ऐच, अधीक्षक (ऑप्स), एनसीबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फेंटानाइल्स, सिंथेटिक ओपिओइड्स और संबंधित खतरनाक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑनलाइन विशेषज्ञ समूह बैठक (ईजीएम) में 18-20 जनवरी, 2022 के दौरान भाग लिया।
- श्री रितेश रंजन, उप निदेशक (पी एंड सी), एनसीबी ने वैकल्पिक विकास पर 26 से 27 जनवरी, 2022 तक ऑनलाइन विशेषज्ञ समूह की बैठक में भाग लिया।
- 21.02.2022 को श्री संजय कुमार सिंह, उप महानिदेशक (ऑप्स), एनसीबी ने सुरक्षा और कानूनी सहयोग पर भारत-सऊदी अरब संयुक्त कार्य समूह की पहली ऑनलाइन बैठक में भाग लिया।
- 08.03.2022 को श्री संजय कुमार सिंह, उप महानिदेशक, एनसीबी ने एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली में ऑनलाइन इंडो-यूएसए काउंटर वर्किंग ग्रुप मीटिंग के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

- 10.03.2022 को श्री पीयूष कुमार सिंह, सहायक निदेशक (ईएनएफ), एनसीबी और श्री शांतनु ऐच, अधीक्षक (ऑप्स), एनसीबी ने हाइब्रिड मोड में उज्बेकिस्तान में प्रीकर्सर कंट्रोल पर एससीओ विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक में भाग लिया।

- श्री सत्य नारायण प्रधान, महानिदेशक, एनसीबी, श्री संजय कुमार सिंह, उप महानिदेशक (ऑप्स), एनसीबी, श्रीमती मोनिका अ बत्रा, उप महानिदेशक (ईआर), एनसीबी, श्री पीयूष कुमार सिंह, उप निदेशक प्रभारी (ईएनएफ), एनसीबी ने नारकोटिक ड्ग्स (सीएनडी) पर 14 -18 मार्च 2022 के दौरान 65वें ऑनलाइन आयोग की बैठक में भाग लिया।
- 14.03.2022 को श्री संजय कुमार सिंह, उप महानिदेशक (ऑप्स), एनसीबी ने सीएनडी के मौके पर ऑनलाइन एससीओ-यूएनओडीसी साइड इवेंट में भाग लिया।
- 22.03.2022 को श्री संजय कुमार सिंह, उप महानिदेशक (ऑप्स), एनसीबी, श्री पंकज द्विवेदी, सहायक निदेशक (ऑप्स), एनसीबी, श्री शांतनु आइच, अधीक्षक (ऑप्स), एनसीबी ने आईएनसीबी प्रीकर्सर टास्क फोर्स की एक ऑनलाइन बैठक में भाग लिया।
- 28.03.2022 को श्रीमती मोनिका अ बत्रा, उप महानिदेशक (पूर्वी क्षेत्र), एनसीबी, श्री पंकज कुमार द्विवेदी, सहायक निदेशक (ऑप्स), एनसीबी ने हाईब्रिड मोड में उज्बेकिस्तान में कानून प्रवर्तन और ड्रग अपराध पर एससीओ विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक में भाग लिया।
- 18-19.04.2022 को श्री संजय कुमार सिंह, उप महानिदेशक (ऑप्स), एनसीबी ने हाइब्रिड मोड में ताशकंद, उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के एंटी-ड्रग एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में भाग लिया।
- 20.04.2022 को श्री सत्य नारायण प्रधान, महानिदेशक, एनसीबी और श्री संजय कुमार सिंह, उप महानिदेशक (ऑप्स), एनसीबी ने हाइब्रिड मोड में ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य राज्यों के सक्षम अधिकारियों के प्रमुखों की बैठक में भाग लिया।

- 26.04.2022 को श्री सत्य नारायण प्रधान, महानिदेशक, एनसीबी ने आभासी मोड में "6 वीं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) एंटी-ड्रग वर्किंग ग्रुप ऑफ ड्रग कंट्रोल एजेंसियों के प्रमुख की बैठक" के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

- 27.04.2022 को श्री पंकज द्विवेदी, सहायक निदेशक (ऑप्स), एनसीबी, श्री विकाश कुमार, ए डी (पी एंड सी), एनसीबी, श्री अरविंद एम आर, अधीक्षक (डी एंड एम), एनसीबी, श्री अप्पुकुट्टन जे, अधीक्षक (प्रशिक्षण), एनसीबी और श्री अरविंद शर्मा, खुफिया अधिकारी (प्रशिक्षण), एनसीबी ने एससीओ प्रशिक्षण (रूस द्वारा आयोजित) में वर्चुअल मोड में भाग लिया।
- 18-19.05.2022 को श्री सचिन जैन, उप महानिदेशक (मुख्यालय), एनसीबी ने सिंगापुर में सीटीटीसी पर चौथी भारत-सिंगापुर बैठक में भाग लिया।
- 30-31.05.2022 को श्री संजय कुमार सिंह, उप महानिदेशक (ऑप्स), एनसीबी ने विएना, ऑस्ट्रिया में "अफगानिस्तान में होने वाले ओपियेट्स में अवैध ट्रैफ़िक से जुड़े वित्तीय प्रवाह का पता लगाने और उसे रोकने" पर पेरिस पैक्ट एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप (ईडब्ल्यूजी) की बैठक में भाग लिया।
- 24.06.2022 को एनसीबी के महानिदेशक श्री सत्य नारायण प्रधान ने वर्चुअल मोड में उज्बेकिस्तान की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के अभियान 'ए वर्ल्ड विदाउट ड्रग्स' के कार्यक्रम में भाग लिया।
- 01.08.2022 से 05.08.2022 तक, श्रीमती मोनिका अ बत्रा, उप महानिदेशक (एलएसी), एनसीबी ने वियना, ऑस्ट्रिया में "फेंटैनिल्स, सिंथेटिक ओपिओइड्स और संबंधित खतरनाक पदार्थों के निषेध" के संबंध में परिचालन अधिकारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (आईएनसीबी) सम्मेलन में भाग लिया।
- 05.09.2022 से 09.09.2022 तक श्री अमित एफ घवाटे, जोनल निदेशक, एनसीबी मुंबई और श्री पी. अरविंदन, जोनल निदेशक, एनसीबी चेन्नई ने यूएनओडीसी क्रिप्टोकरेंसी और डार्कनेट इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग कोर्स में भाग लिया, जिसे एनएसीआईएन फरीदाबाद द्वारा बैंकॉक, थाईलैंड में समन्वित किया गया।
- 06.09.2022 से 09.09.2022 तक श्री पीयूष कुमार सिंह, सहायक निदेशक (ईएनएफ), एनसीबी ने विएना, ऑस्ट्रिया में "डाक, कूरियर और एयर कार्गो सेवाओं के माध्यम से खतरनाक सिंथेटिक दवाओं और संबंधित रसायनों की तस्करी" पर 5वीं परिचालन बैठक में भाग लिया।
- अवैध ड्रग तस्करी के क्षेत्र में नई चुनौतियों और खतरों से निपटने के लिए दिनांक 07.09.2022 को श्री अमनजीत सिंह, जोनल निदेशक, चंडीगढ़, श्री बृजेंद्र चौधरी, जोनल निदेशक, इंदौर, श्री सुधांशु कु. सिंह, जोनल निदेशक, गुवाहाटी, श्री रितेश रंजन, उप निदेशक (पी एंड सी) और श्री पंकज कु. द्विवेदी, सहायक निदेशक (ऑप्स), एनसीबी ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) सहायक निदेशक डब्ल्यूजी सेमिनार में भाग लिया, जो रूस द्वारा वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया।
- 11.09.2022 से 14.09.2022 तक श्री रोहित श्रीवास्तव, अधीक्षक (एसयू), एनसीबी ने काहिरा, मिस्र में "इंटरनेट के माध्यम से खतरनाक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी" पर आईएनसीबी अंतर-क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया।
- 13.09.2022 को श्री अजय कुमार, सहायक निदेशक (संचालन), एनसीबी ने नई दिल्ली में चौथे भारत-ताजिकिस्तान संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी-सीटी) में भाग लिया।
- 21.09.2022 को श्री संजय कुमार सिंह, उप महानिदेशक (ओईसी), एनसीबी ने नई दिल्ली में यूएनओडीसी (आरओएसए) क्षेत्रीय विशेषज्ञ समूह की बैठक में भाग लिया।
- 22.09.2022 को श्री सत्य नारायण प्रधान, महानिदेशक, एनसीबी, श्री संजय कुमार सिंह, उप महानिदेशक (ओईसी), एनसीबी और एनसीबी के अन्य अधिकारियों ने वर्चुअल मोड में भारत-अमेरिका काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप (सीएनडब्ल्यूजी) के कार्यकारी संचालन समूह की बैठक में भाग लिया।
- 26.09.2022 से 30.09.2022 तक श्री सुधांशु कुमार सिंह, जोनल निदेशक, एनसीबी कोलकाता और श्री अरविंद एमआर अधीक्षक (ऑप्स), एनसीबी ने यूएनओडीसी "क्रिप्टो-मुद्राएं और डार्कनेट जांच प्रशिक्षण पाठ्यक्रम" में भाग लिया, जिसे एनएसीआईएन फरीदाबाद द्वारा बैंकॉक, थाईलैंड में समन्वित किया गया था।
- 11.10.2022 से 12.10.2022 तक श्री पी. अरविंदन, जोनल निदेशक चेन्नई ने "अवैध दवा निर्माण उपकरण पर आईएनसीबी-सदस्य राज्य परामर्श" बैठक में वर्चुअल मोड में भाग लिया।
- 17.10.2022 से 19.10.2022 तक श्री संजय कुमार सिंह, उप महानिदेशक (ऑप्स) और श्री एस.के.

मोहंती, निदेशक (एन), गृह मंत्रालय ने विएना, ऑस्ट्रिया में अग्रदूतों के लिए आईएनसीबी टास्क फोर्स की बैठक में भाग लिया।

- 19.10.2022 से 21.10.2022 तक श्री संजय कुमार सिंह, उप महानिदेशक (ऑप्स) और श्री एस के मोहंती, निदेशक (एन), गृह मंत्रालय ने विएना, ऑस्ट्रिया में एनपीएस के लिए आईएनसीबी टास्क फोर्स की बैठक में भाग लिया।
- 24.10.2022 से 28.10.2022 तक श्री कुमार मनीष, जोनल निदेशक एनसीबी पटना ने बैंकाक, थाईलैंड में राष्ट्रीय औषधि कानून प्रवर्तन एजेंसियों, एशिया और प्रशांत (एचओएनएलईए) के प्रमुखों की 44वीं बैठक में भाग लिया।
- 22.11.2022 से 25.11.2022 तक श्री शैलेश कुमार जाम्बोतकर, जोनल निदेशक, एनसीबी जोधपुर ने अशगबत, तुर्कमेनिस्तान में निकट और मध्य पूर्व में अवैध ड्रग ट्रैफिक और संबंधित मामलों पर उप-आयोग के 55वें सत्र में भाग लिया।
- 28.11.2022 से 30.11.2022 तक श्री ज्ञानेश्वर सिंह, उप महानिदेशक (उत्तरी क्षेत्र), एनसीबी ने इस्तांबुल, तुर्की में "अफगानिस्तान में संचालित सरकारों और लॉजिस्टिक कंपनियों के बीच सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर आईएनसीबी की अंतर-क्षेत्रीय कार्यशाला" में भाग लिया।
- 06.12.2022 से 10.12.2022 तक श्री विजेंद्र सिंह, उप निदेशक (प्रशासन), एनसीबी ने चियांग राय, थाईलैंड में "एनडीपीएस पर 7वें बिम्सटेक उप-समूह" बैठक में भाग लिया।

3.1.3 न्यायिक सहयोग

क) नियंत्रित वितरण संचालन:

- एनसीबी अन्य देशों के साथ समन्वय से नियंत्रित वितरण संचालन करता है। महानिदेशक, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 50क के तहत भारत या विदेश में किसी भी वर्जित ड्रग्स की "नियंत्रित डिलीवरी" को अधिकृत करने का अधिकार है।
- वर्ष 2021 के दौरान, एनसीबी और साथ ही, अन्य एजेंसियों द्वारा कुल 08 नियंत्रित वितरण संचालन किए गए।

ख) पारस्परिक कानूनी सहायता:

- पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) साक्ष्य एकत्र करने और हस्तांतरण के लिए दो देशों के बीच एक समझौता है। पारस्परिक कानूनी सहायता संधि सामन्यतया पारस्परिक सहायता के व्यापक उपाय को सुविधाजनक बनाने के लिए रूपरेखा प्रदान करती है:
- व्यक्तियों से साक्ष्य या बयान लेना;
- न्यायिक दस्तावेजों का प्रभावी प्रयोग;
- तलाशी और जब्ती को निष्पादित करना;
- वस्तुओं और स्थलों की जांच करना;
- सूचना और प्रमाणिक मदें प्रदान करना;
- प्रासंगिक दस्तावेजों और बैंक, वित्तीय, कॉर्पोरेट और व्यावसायिक रिकॉर्ड सहित रिकॉर्ड की मूल या प्रमाणित प्रतियां प्रदान करना;
- साक्ष्य प्रयोजनों के लिए आय, संपत्ति, उपकरणों या अन्य बातों की पहचान करना या उनका पता लगाना;
- पारस्परिक कानूनी सहायता का विशिष्ट रूप जो प्रदान किया या प्राप्त किया जा सकता है, विदेशी सरकार के साथ संधि के प्रावधानों पर निर्भर करता है।
- भारत ने ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, बुल्गारिया, कनाडा, मिस्र, फ्रांस, हांगकांग, इंडोनेशिया, ईरान, इज़राइल, कजाकिस्तान, कुवैत, किर्गेज़ गणराज्य, मालदीव, मलेशिया, मंगोलिया, मॉरीशस, मैक्सिको, म्यांमार, रूस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, स्पेन, श्रीलंका, ओमान की सल्तनत, स्विट्जरलैंड, ताजिकिस्तान, थाईलैंड, तुर्की, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात, यूके, यूएसए, उजबेकिस्तान और वियतनाम जैसे 40 देशों के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं।

ग) प्रत्यर्पण:

- किसी देश में रहने वाले एक भगोड़े को आत्मसमर्पण करने की प्रक्रिया प्रत्यर्पण है, जो उचित प्रक्रिया के बाद दूसरे देश के कानून प्रवर्तन द्वारा वांछित है।
- भारत की 48 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां हैं।
- भारत के पास 12 देशों के साथ पारस्परिकता के आधार पर प्रत्यर्पण व्यवस्था है।
- भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम में प्रावधान है जिसके अनुसार प्रत्यर्पण संधि के अभाव में भी प्रत्यर्पण पर विचार किया जा सकता है, यदि वह अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण की मांग की गई है, किसी भी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल है जिसमें भारत और प्रत्यर्पण की मांग करने वाला अन्य देश दोनों पक्षकार शामिल हैं।

3.1.4 आईएनसीबी/यूएनओडीसी रिपोर्टिंग

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों पर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते, भारत संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) और अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (आईएनसीबी) को निर्धारित प्रारूपों में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। एनसीबी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत भारत के दायित्वों के कार्यान्वयन के लिए नोडल/केंद्रीय एजेंसी है।

अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (आईएनसीबी)

नारकोटिक ड्रग्स, 1961, साइकोट्रोपिक पदार्थों पर कन्वेंशन, 1971 और नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ, 1988 में अवैध यातायात के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए, एनसीबी निर्धारित प्रारूपों नामतः फॉर्म ए, बी, सी, डी, पी, ए/पी और बी/पी में आईएनसीबी वियना को सात रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के आयात और निर्यात से संबंधित फॉर्म ए और ए / पी क्रमशः आईएनसीबी को तिमाही आधार पर जमा किए जा रहे हैं।

अन्य फॉर्म अर्थात बी, सी, डी और पी को वार्षिक आधार पर आईएनसीबी को जमा किया जा रहा है। ये प्रपत्र विभिन्न क्षेत्रों में ड्रग्स और मन:प्रभावी पदार्थों के वार्षिक मूल्यांकन/अनुमान से संबंधित हैं। जबकि प्रपत्र बी/पी जो अनुसूचित पदार्थों के चिकित्सा एवं वैज्ञानिक आवश्यकता के वार्षिक आकलन से संबंधित है, तीन वर्ष में एक बार जमा किया जा रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के अलावा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (सीबीएन), चीफ कंट्रोलर ऑफ फैक्ट्रीज (सीसीएफ), ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) जैसी एजेंसियों से विभिन्न प्रपत्रों पर इनपुट मिलते हैं।

ड्रग्स और अपराध संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी)

प्रत्येक सदस्य देश द्वारा यूएनओडीसी को अंतरराष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण संधियों की कार्यपद्धति के संबंध में प्रति वर्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रश्नावली (एआरक्यू) में इनपुट प्रदान किया जाना होता है। वर्ष 2021 से पूर्व, वार्षिक रिपोर्ट प्रश्नावली को ऑफलाइन जमा करना होता था और इसमें 04 भाग शामिल थे:

- भाग I: विधायी और संस्थागत ढांचा
- भाग II: ड्रग की मांग और आपूर्ति में कमी के लिए व्यापक दृष्टिकोण
- भाग III: ड्रग के उपयोग की सीमा और पैटर्न
- भाग IV: ड्रग फसल की खेती और ड्रग उत्पादन और तस्करी की सीमा और पैटर्न एवं प्रवृत्तियां

हालांकि, वर्ष 2021 से आधिकारिक तौर पर नियुक्त फोकल प्वाइंट द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रश्नावली (एआरक्यू) ऑनलाइन भरी जानी है। वर्ष 2020 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रश्नावली को 14 वार्षिक मॉड्यूल (ए01-ए14) और 06 रोटेटिंग मॉड्यूल (आर 06, आर 07, आर 09, आर 11, आर 12, आर 13) में विभाजित किया गया है।

नई वार्षिक रिपोर्ट प्रश्नावली (एआरक्यू) के मॉड्यूल का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	मॉड्यूल सं.	मॉड्यूल का नाम
1	ए 01	ड्रग्स के प्रयोग की व्यापकता और सीमा
2	ए 02	ड्रग प्रयोक्ताओं का पंजीकरण
3	ए 03	ड्रग का इंजेक्शन लगाने वाले लोग
4	ए 04	ऐसे लोग जिनमें ड्रग के प्रयोग से होने वाले विकार हैं
5	ए 05	ड्रग से संबंधित मृत्यु दर
6	ए 06	ड्रग से संबंधित उपचार
7	ए 07	बरामदगी और तस्करी
8	ए 08	गोपनीय प्रयोगशालाएँ
9	ए 09	अवैध खेती और फसलों का उन्मूलन
10	ए 10	कीमतें और शुद्धता
11	ए 11	इंटरनेट और संबंधित तकनीकों का उपयोग करके ड्रग्स की बिक्री
12	ए 12	ड्रग्स से संबंधित आपराधिक न्याय प्रक्रिया
13	ए 13	विधायी, संस्थागत और रणनीतिक ढांचा
14	ए 14	डेटा संग्रहण के लिए नए तरीके
15	आर 06	ड्रग्सकी तस्करी, भ्रष्टाचार और संगठित अपराध के अन्य रूपों के बीच संबंध
16	आर 07	आपूर्ति में कमी गतिविधियों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग
17	आर 09	दोषसिद्धि या सजा के विकल्प
18	आर 11	अवैध वित्तीय प्रवाह और मनी लॉन्ड्रिंग
19	आर 12	राष्ट्रीय ढांचा
20	आर 13	अंतरराष्ट्रीय नियंत्रित दवाओं तक पहुंच

एनसीबी द्वारा यूएनओडीसी को वार्षिक रिपोर्ट प्रश्नावली (एआरक्यू) प्रस्तुत की जाती है जो प्रति वर्ष प्रकाशित होने वाली वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट का हिस्सा बन जाती है।

3.2 नार्को-समन्वय केंद्र (एनकॉर्ड) बैठकें

नार्को-समन्वय (एनकॉर्ड) एक 4-स्तरीय समन्वय तंत्र है जिसे नीतिगत मामलों में बेहतर समन्वय के साथ-साथ क्षेत्र स्तर के मुद्दों से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

2022 में एनकॉर्ड का पुनर्गठन

वर्ष 2022 में, गृह मंत्रालय ने आदेश संख्या I-12023/2017-एनसीबी-II (वॉल्यूम-I), दिनांक 25.03.2022 और इसके परिशिष्ट, दिनांक 23.09.2022 के तहत, केंद्रीय स्तर पर, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल्स विभाग, पत्तन, पोत और जलमार्ग मंत्रालय, एनसीआरबी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), भारतीय तट रक्षक, डीआरआई, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक (एनएमएससी), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ) एनकॉर्ड समिति (ओं) को शामिल किया था। इसके अलावा, राज्य स्तर पर, शिक्षा विभाग, डाक विभाग, आसूचना ब्यूरो (आईबी) और जिला स्तर पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), एमएचए / आसूचना ब्यूरो (आईबी) के प्रतिनिधियों को एनकॉर्ड समिति में शामिल किया गया।

राज्यों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) का गठन

27.12.2021 को आयोजित एनकॉर्ड की तीसरी शीर्ष स्तर की बैठक के दौरान, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने निर्देश दिया

कि प्रत्येक राज्य में एडीजी/आईजी स्तर के पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में एक समर्पित एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की स्थापना की जानी चाहिए। तदनुसार, गृह मंत्रालय ने 25.03.2022 के आदेश के तहत निर्देश दिया था कि एडीजी/आईजी स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक राज्य में एएनटीएफ का गठन किया जा सकता है और उन्हें निम्नलिखित उत्तरदायित्व सौंपे जा सकते हैं:-

i. एडीजी/आईजी स्तर के पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में एक समर्पित एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) के पास राज्य में ड्रग्स की तस्करी और दुरूपयोग परिदृश्य से निपटने के लिए पर्याप्त जनशक्ति होनी चाहिए।

ii. यह राज्य के लिए एनकॉर्ड सचिवालय के रूप में भी कार्य करेगा और एनकॉर्ड के विभिन्न स्तरों पर लिए गए निर्णयों के अनुपालन पर अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी करेगा।

iii. एएनटीएफ के प्रमुख सभी ड्रग्स से संबंधित मामलों जैसे कि नारकोटिक्स कंट्रोल स्कीम के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता, एनएफसीडीए, अवैध खेती विनाश संचालन का समन्वय, आदि पर एनसीबी के लिए नोडल बिंदु के रूप में काम करेंगे।

उपर्युक्त निर्देश के अनुपालन में, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने अधिकार क्षेत्र में एएनटीएफ का गठन किया है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के एएनटीएफ प्रमुखों का विवरण अनुबंध-IV में दिया गया है।

वर्ष 2022 के दौरान आयोजित विभिन्न एनकॉर्ड बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	शीर्ष स्तरीय बैठक	कार्यकारी समिति की बैठक	मासिक बैठक	राज्य स्तरीय बैठक*	जिला स्तरीय बैठक*
1	05.05.2022 (4th शीर्ष)	05.09.2022 (3rd)	28.01.2022 (19th) ऑनलाइन	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (03 बैठकें)	-
2	01.12.2022 (5th शीर्ष)		09.03.2022 (20th) ऑनलाइन	अरुणाचल प्रदेश (01 बैठक)	-
3			15.06.2022 (21st) ऑनलाइन	असम (02 बैठकें)	16 बैठकें
4			08.09.2022 (22nd) ऑनलाइन	बिहार (01 बैठक)	07 बैठकें
5			14.12.2022 (23rd) ऑनलाइन	चंडीगढ़ (03 बैठकें)	-
6				छत्तीसगढ़ (01 बैठक)	-
7				दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव (01 बैठक)	04 बैठकें
8				दिल्ली (02 बैठकें)	25 बैठकें
9				गोवा (01 बैठक)	01 बैठक
10				गुजरात (02 बैठकें)	38 बैठकें
11				हरियाणा (02 बैठकें)	59 बैठकें
12				जम्मू और कश्मीर (02 बैठकें)	97 बैठकें
13				झारखंड (01 बैठक)	02 बैठकें
14				केरला (01 बैठक)	02 बैठकें
15				लद्दाख (02 बैठकें)	08 बैठकें
16				लक्षद्वीप (01 बैठक)	-
17				मध्य प्रदेश (01 बैठक)	08 बैठकें
18				महाराष्ट्र (02 बैठकें)	33 बैठकें
19				मणिपुर (02 बैठकें)	05 बैठकें
20				मेघालय (01 बैठक)	-
21				मिजोरम (02 बैठकें)	38 बैठकें
22				पुदुचेरी (03 बैठकें)	-
23				पंजाब (01 बैठक)	21 बैठकें
24				राजस्थान (03 बैठकें)	08 बैठकें
25				सिक्किम (02 बैठकें)	08 बैठकें
26				तमिलनाडु (01 बैठक)	-
27				उत्तर प्रदेश (02 बैठकें)	60 बैठकें
28				उत्तराखंड (02 बैठकें)	15 बैठकें
29				पश्चिम बंगाल (01 बैठक)	-

* मुख्यालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार

- 05.05.2022 को, एनकॉर्ड (नार्को समन्वय केंद्र) की शीर्ष स्तरीय समिति की चौथी बैठक गृह मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता माननीय केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय भल्ला द्वारा की गई। एनसीबी के अधिकारियों और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/ एजेंसियों के अधिकारियों ने ऑफलाइन मोड में भाग लिया। उपर्युक्त के अलावा, सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशक या उनके प्रतिनिधियों ने वर्चुअल मोड में बैठक में भाग लिया।

एमएचए, एनसीबी और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एजेंडा बिंदु:

- 27.12.2021 को आयोजित तीसरी शीर्ष समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा।
- समुद्री मार्गों के माध्यम से ड्रग्स की तस्करी और इसकी रोकथाम के लिए विभिन्न उपाय।
- अफीम और भांग की अवैध खेती को नष्ट करने के लिए प्रभावी तंत्र का विकास।
- एनडीपीएस मामलों के कानूनी पहलुओं से निपटने में प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया में सुधार।
- ड्रग मांग कमी के संबंध में पहल (ड्रग डिमांड रिडक्शन इनिशिएटिव) - 'नशा मुक्त भारत अभियान'।

माननीय केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि ड्रग्स के दुरुपयोग का खतरा एक गंभीर चिंता का विषय है जिसे "नशा मुक्त भारत" के माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए सभी विभागों/मंत्रालयों और ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है। बैठक के दौरान लिए गए कुछ प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:

- तीसरे शीर्ष एनकॉर्ड के दौरान दिए गए निर्देशों से संबंधित लंबित मुद्दों पर राज्यों द्वारा उचित ध्यान देने की आवश्यकता है और मुख्य सचिवों से बेहतर कार्यान्वयन और बेहतर परिणामों के लिए संबंधित राज्य एनकॉर्ड बैठकों में स्थिति की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया था।
- इस बात पर जोर दिया गया था कि जब्त किए गए ड्रग्स के निपटान के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16.01.2015 की समीक्षा करने की आवश्यकता है जिसमें विभिन्न हितधारकों के विचारों और सुझावों और साथ ही, इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा जारी निर्देशों का भी संज्ञान लिया गया है।
- डीएलईए की सक्रिय भागीदारी के साथ भारतीय नौसेना, भारतीय तट रक्षक और बंदरगाह प्राधिकरण जैसे तटीय सुरक्षा से संबंधित संबंधित अधिकारियों को समुद्री मार्ग से ड्रग्स की तस्करी से निपटने और निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग करने की संभावना की जांच करने के लिए एक 'विशेष अध्ययन समूह' बनाना चाहिए।
- यह प्रस्ताव किया गया था कि अफीम/भांग की अवैध खेती को नष्ट करने के साथ-साथ विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां ऐसी खेती परंपरा का हिस्सा है, में शामिल किसानों के लिए वैकल्पिक आजीविका स्रोत प्रदान करने के संबंध में यदि आवश्यक हो तो राजस्व विभाग द्वारा नियमों में उपयुक्त संशोधन किए जा सकते हैं।
- 23.09.2022 को तीसरी कार्यकारी एनकॉर्ड समिति की बैठक विशेष सचिव (आईएस), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में सम्मेलन कक्ष, नॉर्थ ब्लॉक, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें तीसरी और चौथी शीर्ष स्तरीय एनकॉर्ड बैठकों में दिए गए निर्णयों/निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर चर्चा और समीक्षा की गई। इस बैठक में श्री एस.एन. प्रधान, उप महानिदेशक, एनसीबी, श्री एस. के. सिंह, उप महानिदेशक (ऑप्स), श्री सचिन जैन, उप महानिदेशक (मुख्यालय), श्री रितेश रंजन, उप निदेशक (पी एंड सी), श्री अप्पुकुटन जे अधीक्षक, (पी एंड सी) और श्री प्रणीत शर्मा, अधीक्षक (पी एंड सी) ने बैठक में भाग लिया।

5वीं शीर्ष स्तरीय एनकॉर्ड बैठक

एनकॉर्ड (नार्को समन्वय केंद्र) की शीर्ष समिति की 5वीं बैठक 01.12.2022 को गृह मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक में हाईब्रिड मोड में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव द्वारा की गई और इसमें विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। पहली बार, नए सदस्य अर्थात राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आदि को समाज में ड्रग्स के बढ़ते खतरे के आलोक में और अधिक समन्वित दृष्टिकोण रखने के लिए आमंत्रित किया गया था। उपर्युक्त के अलावा, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशक या उनके प्रतिनिधियों ने वर्चुअल मोड में बैठक में भाग लिया। बैठक में, केंद्रीय गृह सचिव ने भारत में अवैध ड्रग्स के मुद्दे का जायजा लिया और सभी संबंधित एजेंसियों को इस खतरे से लड़ने के लिए एक साथ आने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव ने इस संबंध में कई निर्देश जारी किए।

प्रक्रिया पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार पर चर्चा की गई

- ड्रग्स के प्रमुख मामलों की जांच के लिए राज्य नारकोटिक्स रोधी कार्य बल (एएनटीएफ) का अधिकार।
- नारकोटिक्स अपराध से संबंधित मुद्दों के लिए नोडल अधिकारी नामित करना।
- भारत सरकार द्वारा केन्द्रित और ठोस नियंत्रण कार्यों के प्रति नए मनः सक्रिय पदार्थों (एनपीएस) की अधिसूचना के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संवेदनशील बनाना।
- एडीआरआईएन और बीआईएसएजी-एन द्वारा उत्पन्न प्रत्येक उपग्रह छवि के संबंध में जमीनी सर्वेक्षण और विनाश संचालन पर फीडबैक रिपोर्ट प्रदान करना।

संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के संबंध में की गई चर्चा

- पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम से संबंधित प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर परामर्शी बोर्डों की स्थापना।
- एनडीपीएस मामलों के त्वरित निपटान के लिए नामित एनडीपीएस न्यायालयों/फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना।
- नियमित आधार पर उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए मौजूदा प्रशिक्षण मॉड्यूल का उन्नयन और फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करना।
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा ड्रग अपराधों की वित्तीय जांच के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं और ईडी और एफआईयू जैसी एजेंसियों की सहायता प्राप्त किया जाना।

केंद्रीय गृह सचिव ने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देशानुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों द्वारा राज्य एनकॉर्ड समितियों की नियमित बैठकें और जिलाधिकारियों द्वारा जिला स्तरीय एनकॉर्ड बैठकों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने टिप्पणी की कि देश में ड्रग्स के खतरे से लड़ने के लिए सभी हितधारकों द्वारा एक संयुक्त और समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। इसके लिए, एक दूसरे के साथ सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करना ही, आगे बढ़ने का तरीका था। प्रत्येक राज्य में समर्पित के-9 दस्ते एक अन्य क्षेत्र है जिस पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को माननीय प्रधान मंत्री के 'नशा मुक्त भारत' के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए सचेत और सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया।

एनकॉर्ड की मासिक बैठक

- 28.01.2022 को महानिदेशक, एनसीबी की अध्यक्षता में एनकॉर्ड की 19वीं मासिक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक के लिए मासिक एनकॉर्ड के नियमित सदस्यों के अलावा, तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, भारतीय नौसेना, भारतीय तट रक्षक और विभिन्न बंदरगाह प्राधिकरणों को आमंत्रित किया गया था।

- 09.03.2022 को महानिदेशक, एनसीबी की अध्यक्षता में एनकॉर्ड की 20वीं मासिक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक के लिए मासिक एनकॉर्ड के नियमित सदस्यों के अलावा, तटीय संघ राज्य क्षेत्रों सहित तटीय राज्यों को आमंत्रित किया गया था।

- 15.06.2022 को, महानिदेशक, एनसीबी की अध्यक्षता में एनकॉर्ड की 21वीं मासिक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें ड्रग्स की तस्करी से संबंधित विभिन्न मुद्दों, विशेष रूप से पूर्वी राज्यों से संबंधित मुद्दों को शामिल किया गया। इस बैठक में मासिक एनकॉर्ड के नियमित सदस्यों के अलावा बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

- 08.09.2022 को, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों से संबंधित मुद्दों पर विशेष ध्यान देने के लिए महानिदेशक, एनसीबी की अध्यक्षता में एनकॉर्ड की 22वीं मासिक बैठक एनसीबी मुख्यालय में वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी। एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी और अधिकारी एनसीबी मुख्यालय में बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय एजेंसियों और राज्यों की पुलिस के अधिकारियों ने वर्चुअल रूप से बैठक में भाग लिया था।

- महानिदेशक, एनसीबी की अध्यक्षता में एनकॉर्ड की 23वीं मासिक बैठक 14.12.2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। मासिक एनकॉर्ड के नियमित सदस्यों के अलावा, उत्तरी राज्यों (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़) को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था।

3.3 राष्ट्रीय बैठकें/ सम्मेलन

30-31 जुलाई, 2022 को चंडीगढ़ में "ड्रग्स की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा" पर राष्ट्रीय सम्मेलन

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तरी क्षेत्रों में ड्रग परिदृश्य और इसे कम करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्रियों/प्रशासकों/उपराज्यपालों के साथ " ड्रग्स की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा" पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन और क्षेत्रीय सम्मेलन 30-31 जुलाई, 2022 को चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था।

सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां की गईं:-

- एनकॉर्ड पोर्टल का शुभारंभ
- निदान पोर्टल का शुभारंभ
- एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, चंडीगढ़ के कार्यालय-एवं-आवासीय (ओसीआर) परिसर का उद्घाटन।
- "नशे से आज़ादी पखवाड़ा - आयोजनों का संग्रह-2022" का अनावरण।
- "माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐतिहासिक निर्णयों का संकलन" का अनावरण।
- "नेशनल नारकोटिक्स कैनाइन पूल" (नार-के9) का शुभारंभ।
- राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (एनएफडीसी) के माध्यम से तैयार की गई एनसीबी की कार्यप्रणाली पर लघु वृत्तचित्र फिल्म का विमोचन।
- जब्त किए गए ड्रग्स का निपटान भी विभिन्न स्थानों पर किया गया था, जिसे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा वर्चुअल रुप से किया गया था। विशेष अभियान के दौरान 30,000 किलो से ज्यादा मादक पदार्थ नष्ट किया गया।

राष्ट्रीय सम्मेलन
ड्रग तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के द्वारा
एनकॉर्ड पोर्टल का लोकार्पण
NCORD PORTAL
NATIONAL CONFERENCE ON DRUG TRAFFICKING AND NATIONAL SECURITY

राष्ट्रीय सम्मेलन
ड्रग तस्करी
एवं राष्ट्रीय सुरक्षा

समग्र भारत में ड्रग्स के विरुद्ध, आओ मिलकर लड़ें

Context: National Security Connection
DRUG TRAFFICKING
NATIONAL CONFERENCE ON DRUG TRAFFICKING AND NATIONAL SECURITY

NATIONAL CONFERENCE ON DRUG TRAFFICKING AND NATIONAL SECURITY

INAUGURATION OF
NATIONAL NARCOTICS CANINE POOL
July 30, 2022
In the virtual presence of
Shri Amit Shah
NATIONAL CONFERENCE ON DRUG TRAFFICKING AND NATIONAL SECURITY

NIDAAN
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NIDAAN
NATIONAL CONFERENCE ON DRUG TRAFFICKING AND NATIONAL SECURITY

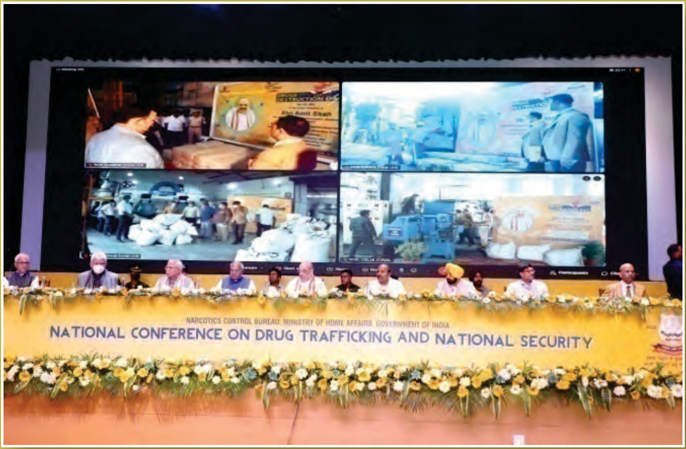

08.10.2022 को गुवहाटी में आयोजित पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में गुवाहाटी, असम में उत्तर पूर्वी राज्य (असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा) और सिक्किम के मुख्य मंत्रियों, मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ दिनांक 08.10.2022 को 'ड्रग्स की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा' पर क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

इस सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गई:-

- राष्ट्रीय सुरक्षा परिप्रेक्ष्य के साथ उत्तर पूर्व में ड्रग्स की तस्करी का परिदृश्य।
- राज्य और जिला एनकॉर्ड बैठकों का अनिवार्य बारंबारता से आयोजन।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में फोरेंसिक लैब की स्थापना और उन्नयन।
- पूर्वोत्तर के प्रत्येक जिले में विशेष एनडीपीएस न्यायालयों/फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना
- ड्रग्स की तस्करी की जांच करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल।

इस बैठक के दौरान माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए निर्देश/सुझाव इस प्रकार थे:-

- ड्रग्स की तस्करी में अवैध धन और संगठित माफिया के प्रति शून्य सहनशीलता।
- ड्रग्स की तस्करी में शामिल पूरे नेटवर्क पर नकेल कसने के लिए गहन जांच की आवश्यकता।
- प्रत्येक राज्य में एक अत्याधुनिक फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला होनी चाहिए जिसके लिए केंद्र सरकार 50% तक वित्तीय सहायता प्रदान करने को तैयार है।
- पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य मंत्रियों को राज्य एनकॉर्ड बैठकों की अध्यक्षता करनी चाहिए और यह प्रयास जिला स्तर तक पहुंचने चाहिए।

क्षेत्रीय बैठक
NARCOTICS CONTROL BUREAU HQRS

- इस दिन, माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में एनसीबी और उत्तर पूर्वी राज्यों के प्रशासन द्वारा लगभग 40,000 किलोग्राम ड्रग्स को नष्ट कर दिया गया।

26.10.2022 को गांधीनगर, गुजरात में पश्चिम मध्य राज्यों के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन

दिनांक 26.10.2022 को माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में गांधीनगर, गुजरात में पश्चिम-मध्य राज्यों (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, राजस्थान, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्रों) के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशक के साथ 'ड्रग्स की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा' (पश्चिम मध्य राज्यों के लिए) पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

इस सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई:-

- पश्चिमी तट पर हेरोइन की समुद्री तस्करी में वृद्धि देखी गई है
- समुद्री मार्ग से कोकीन, एटीएस जैसे ड्रग्स की तस्करी के बढ़ते मामले
- अफीम, गांजा और अफीम जैसे ड्रग्स की अवैध खेती
- क्षेत्र में भंडाफोड़ की गई अवैध, गोपनीय प्रयोगशालाओं की अधिक संख्या
- ड्रग्स की तस्करी में कूरियर और पार्सल का उपयोग कोविड के बाद बढ़ा है
- डार्कनेट और क्रिप्टो करेंसी का उपयोग कर ड्रग्स की तस्करी में वृद्धि
- सिंथेटिक ड्रग्स और एनपीएस के उत्पादन के लिए रासायनिक कारखानों का उपयोग
- ट्रामाडोल, स्पैस्मो-प्रॉक्सीवॉन जैसे फार्मास्युटिकल ड्रग्स की तस्करी में वृद्धि

बैठक के दौरान माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने निम्नलिखित पर जोर दिया:-

- ड्रग्स की तस्करी में अवैध धन और संगठित माफिया के प्रति शून्य सहनशीलता
- समुद्री ड्रग्स की तस्करी को नियंत्रित करने के लिए केंद्रित दृष्टिकोण
- युवा और भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को बर्बाद करता ड्रग्स
- इस सीमाहीन अपराध से निपटने के लिए सभी डीएलईए और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच समन्वय समय की मांग है
- विदेशों में रहने वाले ड्रग्स की तस्करी के मास्टरमाइंड को पकड़ने की आवश्यकता है
- सभी डीएलईए के संस्थागत ढांचे, सशक्तिकरण और समन्वय को मजबूत करना ड्रग आपूर्ति में कमी की सफलता का सूत्र है
- ड्रग्स की अवैध खेती को नियंत्रित करने के लिए ड्रोन, एआई और अन्य तकनीक का उपयोग
- ड्रग्स की तस्करी में शामिल पूरे नेटवर्क पर नकेल कसने के लिए गहन जांच की आवश्यकता है

- इस दिन, माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में एनसीबी और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, राजस्थान, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लगभग 14,000 किलोग्राम ड्रग्स को नष्ट किया गया।

अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समन्वय बैठकें

- 27.01.2022 को श्री एस. एन. प्रधान, महानिदेशक, एनसीबी, नई दिल्ली और श्री प्रियांक कानूनगो, अध्यक्ष, एनसीपीसीआर ने एनसीबी मुख्यालय में 'बच्चों के बीच ड्रग्स और मादक द्रव्यों के सेवन और अवैध तस्करी की रोकथाम पर एक संयुक्त कार्य योजना' के रोल आउट पर चर्चा और अद्यतन करने के लिए बैठक आयोजित की।
- 01.02.2022 को श्री एस.एन. प्रधान, महानिदेशक, एनसीबी और कुलपति, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने एनसीबी की वर्तमान में चल रही और भविष्य की भर्ती के लिए आवश्यकताओं, योजनाओं और प्रक्रियाओं को समझने और युवा जो प्रमाण पत्र/डिप्लोमा और प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के माध्यम से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में शामिल होना चाहते हैं, को तैयार करने के लिए आरआरयू की भूमिका को समझने के लिए वर्चुअल रूप से चर्चा की।
- 10.02.2022 को श्री रितेश रंजन, उप निदेशक (पी एंड सी) ने वर्ष 2021-22 के लिए राजस्व विभाग द्वारा आयोजित एनएफसीडीए के शासी निकाय की 31वीं बैठक में भाग लिया।
- 11.02.2022 को, श्री एस एन प्रधान, महानिदेशक, एनसीबी की अध्यक्षता मे "भारत में ड्रग्स की तस्करी और इसके दुरुपयोग की समस्या का निवारण - एक समग्र दृष्टिकोण" पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला वर्चुअल मोड में एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित की गई।

- 02.03.2022 को श्री संजय कुमार सिंह, उप महानिदेशक (OEC), एनसीबी मुख्यालय ने बीपीआर एंड डी द्वारा "पिछली अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस (एआईपीएससी) के संकल्पों के अनुपालन का अखिल भारतीय अवलोकन" विषय पर आयोजित ऑनलाइन अवलोकन बैठक में भाग लिया।

- 04.03.2022 को श्री पीयूष कुमार, सहायक निदेशक (प्रवर्तन), एनसीबी मुख्यालय ने बीपीआर एंड डी द्वारा "पिछली अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस (एआईपीएससी) के संकल्पों के अनुपालन का अखिल भारतीय अवलोकन" विषय पर आयोजित दूसरी ऑनलाइन अवलोकन बैठक में भाग लिया।
- दिनांक 07.03.2022 को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए "नारकोटिक्स नियंत्रण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता" योजना के तहत राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में विशेष सचिव (आईएस), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में श्री सत्य नारायण प्रधान, महानिदेशक, एनसीबी, श्री सचिन जैन, उप महानिदेशक (P & A), श्री रितेश रंजन, उप निदेशक (पी एंड सी), श्री विकाश कुमार, सहायक निदेशक (पी एंड सी), श्री प्रणीत शर्मा, अधीक्षक (पी एंड सी) और एनसीबी अधिकारी शामिल हुए।

- 08.04.2022 को श्री ज्ञानेश्वर सिंह, उप महानिदेशक (NR), श्री ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, उप निदेशक (प्रशिक्षण), श्री कुलदीप शर्मा, सहायक निदेशक (दिल्ली क्षेत्रीय इकाई) और अधीक्षक (उत्तरी क्षेत्र/दिल्ली क्षेत्रीय इकाई/प्रशिक्षण), एनसीबी ने साइबर संबंधित मामलों पर एनसीबी अधिकारियों के प्रशिक्षण के संबंध में एनसीबी मुख्यालय में आईआईटी, चेन्नई के विशेषज्ञों की एक टीम के साथ बैठक में भाग लिया।
- 29.04.2022 को श्री एस के बर्नवाल, संयुक्त सचिव, आईएस-।।, गृह मंत्रालय ने हाल के वर्षों में माननीय प्रधान मंत्री/गृह मंत्री द्वारा जारी किए गए विभिन्न निर्देशों की कार्रवाई रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए एनसीबी मुख्यालय में एक समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में श्री सचिन जैन, उप महानिदेशक (P & A), श्री एस के सिंह, उप महानिदेशक (OEC), श्री ज्ञानेश्वर सिंह, उप महानिदेशक (उत्तरी क्षेत्र), श्री विजेंद्र सिंह, उप निदेशक (प्रशासन), श्री रितेश रंजन, उप निदेशक (पी एंड सी), श्री एस के मोहंती, निदेशक (एन), आईएस-।।, गृह मंत्रालय, श्री अजय कुमार चक्रवर्ती, अवर सचिव, आईएस-।।, गृह मंत्रालय, श्री पीयूष कुमार, सहायक निदेशक (Enf), श्री विकाश कुमार, सहायक निदेशक (पी एंड सी), श्री प्रणीत शर्मा, अधीक्षक (पी एंड सी), श्रीमती महक जैन, अधीक्षक (उत्तरी क्षेत्र) और श्री अवधेश कुमार, आ. अ. (प्रकाशन, पी एंड सी) ने बैठक में भाग लिया।
- 02.06.2022 को श्री एस के बर्नवाल, संयुक्त सचिव, आईएस-।। प्रभाग, एमएचए और सत्य नारायण प्रधान, महानिदेशक, एनसीबी के बीच 26 जून अर्थात "ड्रग्स के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस" के अवसर पर उत्सव समारोह/व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में श्री सचिन जैन, उप महानिदेशक (P&A) के साथ श्री रितेश रंजन, उप निदेशक (पी एंड सी) और श्री विकास कुमार, सहायक निदेशक (पी एंड सी) ने भी बैठक में भाग लिया।
- 22.06.2022 को केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में नॉर्थ ब्लॉक, गृह मंत्रालय में एनसीबी में राष्ट्रीय नारकोटिक्स कैनाइन पूल (नार-के9) के निर्माण के लिए सीएपीएफ द्वारा एनसीबी के साथ कैनाइन संसाधनों को साझा करने के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एनसीबी से श्री एस एन प्रधान, महानिदेशक (एनसीबी), श्रीमती मोनिका अ बत्रा, उप महानिदेशक (प्रशिक्षण/विधिक), श्री रितेश रंजन, उप निदेशक (पी एंड सी) और श्री अवधेश कुमार, आ. अ. (प्रकाशन) ने भाग लिया।
- 19.07.2022 को 'एनडीपीएस अधिनियम, 1985 में शामिल किए जाने वाले पदार्थों की छोटी मात्रा और वाणिज्यिक मात्रा' पर विचार करने के लिए समिति की बैठक नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में संयुक्त सचिव-राजस्व के कक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक में एनसीबी की ओर से श्री सचिन जैन, उप महानिदेशक (P & A) और श्री रितेश रंजन, उप निदेशक (पी एंड सी) ने भाग लिया।
- 20.07.2022 को नारकोटिक्स कंट्रोल स्कीम के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता के संबंध में गृह मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक में संयुक्त सचिव (आईएस-II) की अध्यक्षता में मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में श्री सचिन जैन उप महानिदेशक (P & A), श्री रितेश रंजन, उप निदेशक (पी एंड सी), श्री विकाश कुमार, सहायक निदेशक (पी एंड सी) और श्री प्रणीत शर्मा, अधीक्षक (पी एंड सी) ने भाग लिया।
- 22.07.2022 को श्री रितेश रंजन, उप निदेशक (पी एंड सी) ने आईबी कार्यालय, एसपी मार्ग, नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक सम्मेलन के नोडल अधिकारियों की समीक्षा बैठक में भाग लिया।
- 08.08.2022 को, विशेष सचिव (आईएस), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में वर्ष 2022-23 के लिए "नारकोटिक्स नियंत्रण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता" योजना के तहत राज्य सरकार को केंद्रीय सहायता के अनुदान के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए अधिकृत समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में श्री एस.एन. प्रधान, उप महानिदेशक, एनसीबी, श्री सचिन जैन, उप महानिदेशक (P & A), श्री रितेश रंजन, उप निदेशक (पी एंड सी), श्री विकाश कुमार, सहायक निदेशक (पी एंड सी) और श्री प्रणीत शर्मा, अधीक्षक (पी एंड सी) ने भाग लिया।
- 26.08.2022 को, संयुक्त सचिव (आईएस-II), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में एनसीबी की दो योजनाओं अर्थात नारकोटिक्स नियंत्रण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता और भूमि और निर्माण (एनसीबी की अवसंरचना योजना) की खरीद के लिए योजना) की समीक्षा करने के लिए मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में श्री सचिन जैन, उप महानिदेशक (P & A), एनसीबी, श्री रितेश रंजन, उप निदेशक (पी एंड सी), श्री आर.एस. जोशी सहायक निदेशक (प्रशासन), श्री विकाश कुमार, सहायक निदेशक (पी एंड सी), श्री प्रणीत शर्मा, अधीक्षक (पी एंड सी) और श्री करण सिंह, कनिष्ठ आसूचना अधिकारी (पी एंड सी) ने भाग लिया।
- 02.09.2022 को संयुक्त सचिव (आईएस-II), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में ड्रग आपूर्ति में कमी के क्षेत्र में

उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के संबंध में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में श्री सचिन जैन, उप महानिदेशक (P & A), श्री रितेश रंजन, उप निदेशक (पी एंड सी) और श्री प्रणीत शर्मा, अधीक्षक (पी एंड सी) ने भाग लिया।

- 21.09.2022 को, संयुक्त सचिव (आईएस-II), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में 'नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु सहायक' योजना के तहत स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। श्री सचिन जैन, उप महानिदेशक (P & A), एनसीबी, श्री रितेश रंजन, उप निदेशक (पी एंड सी) और श्री प्रणीत शर्मा, अधीक्षक (पी एंड सी) ने उक्त मुद्दे पर आयोजित बैठक में भाग लिया था।
- 23.09.2022 को श्री रितेश रंजन, उप निदेशक (पी एंड सी) ने अपर सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता में आयोजित एनएफसीडीए के शासी निकाय की 32वीं बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।
- 11.10.2022 को वैकल्पिक विकास पर अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) द्वारा की गई सिफारिशों की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से श्री एस.एन. प्रधान, महानिदेशक, एनसीबी, श्री संजय कुमार सिंह, उप महानिदेशक (OEC), श्री रितेश रंजन, उप निदेशक (पी एंड सी), श्री विकास कुमार, सहायक निदेशक (पी एंड सी), श्री अप्पुकुट्टन जे, अधीक्षक (प्रशिक्षण), श्री करण सिंह, कनिष्ठ आसूचना अधिकारी (एनकॉर्ड) ने भाग लिया।
- 27.10.2022 और 28.10.2022 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने सूरजकुंड, फरीदाबाद, हरियाणा में राज्य के गृह मंत्रियों के साथ सुरक्षा, पुलिस, नागरिक सुरक्षा आदि से संबंधित पारस्परिक रूप से प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए चिंतन शिविर आयोजित किया। इस सम्मेलन में राज्यों के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक उपस्थित रहे। इस सम्मेलन में श्री एस.एन. प्रधान, महानिदेशक, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भाग लिया।
- दिनांक 03.11.2022 को गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (आईएस-II) की अध्यक्षता में दो योजनाओं नामतः "नारकोटिक्स नियंत्रण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता" और अवसंरचना परियोजना (राजस्व और पूंजीगत व्यय) की स्थिति और व्यय की समीक्षा के लिए एक मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एनसीबी की ओर से श्री विजेंद्र सिंह, उप निदेशक (पी एंड सी / प्रशासन), श्री प्रणीत शर्मा, अधीक्षक (पी एंड सी), श्री मनोज कुमार अग्रवाल, अनुभाग अधिकारी (लेखा), और श्री रीखी राम, सहायक (भूमि एवं भवन) ने भाग लिया।
- 07.11.2022 को सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) की अध्यक्षता में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधान मंत्री पुरस्कारों की बैठक में श्री रितेश रंजन उप निदेशक (पी एंड सी) ने भाग लिया।
- 04.11.2022 को श्री विकाश कुमार, सहायक निदेशक (पी एंड सी) ने एनसीआरबी मुख्यालय, महिपालपुर, नई दिल्ली में सीसीटीएनएस 2.0 और आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 के सफल कार्यान्वयन के लिए डोमेन समिति की बैठक में भाग लिया।
- 23.11.2022 को सचिव (सीमा प्रबंधन), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में सीमावर्ती गांवों में नशा मुक्त भारत अभियान के कार्यान्वयन के संबंध में आयोजित बैठक में श्री संजय कुमार सिंह एनसीबी के उप महानिदेशक (OEC) ने भाग लिया।
- 29.11.2022 को श्री संजय कुमार सिंह, उप महानिदेशक (OEC), एनसीबी ने "राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) की सामान्य परिषद बैठक" में भाग लिया।
- दिनांक 06.12.2022 को संयुक्त सचिव (आईएस-II), गृह मंत्रालय के नेतृत्व में एनसीबी की योजनाओं नामतः "मानस हेल्पलाइन, राष्ट्रीय नारकोटिक कैनाइन पूल का निर्माण और उत्तर पूर्व भारत के विशेष संदर्भ में राज्य फोरेंसिक प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण" की समीक्षा करने के लिए एक मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में श्रीमती मोनिका अ बत्रा, उप महानिदेशक (LAC), श्री विकास कुमार, सहायक निदेशक (ए एंड सी) और श्री प्रणीत शर्मा, अधीक्षक (ए एंड सी), एनसीबी ने भाग लिया।
- दिनांक 07.12.2022, 14.12.2022, 22.12.2022, 26.12.2022 और 29.12.2022 को श्रीमती मोनिका आ. बत्रा, उप महानिदेशक (LAC), श्री विकाश कुमार, सहायक निदेशक (ए एंड सी) और श्री प्रणीत शर्मा, अधीक्षक (ए एंड सी) ने डीआरडीओ भवन, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली में आयोजित झांकी प्रस्ताव के चयन के लिए विशेषज्ञ समिति की क्रमश: तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी और अन्य बैठकों में भाग लिया।

4 संगठन

4.1 एनसीबी चार्टर

एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 4 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 17 मार्च, 1986 से दिल्ली में मुख्यालय के साथ 'नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो' का गठन किया गया था। केंद्र सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन ब्यूरो द्वारा केंद्र सरकार की शक्तियों और कार्यों को निम्नलिखित के संबंध में उपाय करने के लिए प्रयोग किया जाता हैः-

- एन.डी.पी.एस. अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, ड्रग और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम और एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रवर्तन प्रावधानों के संबंध में इस समय लागू होने वाले किसी अन्य कानून के तहत विभिन्न कार्यालयों, राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकरणों द्वारा कार्रवाई का समन्वय।
- विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और प्रोटोकॉल जो भारत द्वारा वर्तमान में लागू हैं या जिन्हें भविष्य में अनुसमर्थित या स्वीकार किया जा सकता है, के तहत अवैध व्यापार के विरुद्ध प्रत्युपायों के संबंध में दायित्व का कार्यान्वयन।
- ड्रग्स और मादक पदार्थों में अवैध व्यापार की रोकथाम और दमन के लिए समन्वय और सार्वभौमिक कार्रवाई को सुचारु बनाने के लिए विदेशों में संबंधित अधिकारियों और संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठनों को सहायता।
- ड्रग्स के दुरुपयोग से संबंधित मामलों के संबंध में अन्य संबंधित मंत्रालयों, विभागों और संगठनों द्वारा की गई कार्रवाई का समन्वय।
- राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की सिफारिश पर, एनसीबी को राजस्व विभाग (डीओआर) से दिनांक 18.02.2003 को गृह मंत्रालय (एमएचए) में स्थानांतरित कर दिया गया था।

एनसीबी में 419 नए पदों का सृजन

- गृह मंत्रालय (आईएस-II प्रभाग) ने दिनांक 22.07.2022 के आदेश के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में विभिन्न संवर्गों में 419 (चार सौ उन्नीस) नए पदों के सृजन के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति की सूचना दी है।
- व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने अपने पत्र/आदेश दिनांक 16.06.2022 द्वारा पहले चरण में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) में निम्नलिखित 419 पदों के सृजन के लिए सहमति व्यक्त की थी।
- पहले चरण के इस विस्तार के साथ, 12 मौजूदा उप-क्षेत्रों के उन्नयन और ईटानगर, अगरतला, सिलीगुड़ी, गोरखपुर और रायपुर में 05 नए क्षेत्रों के निर्माण के साथ एनसीबी की कुल एनसीबी क्षेत्रीय इकाइयों की संख्या 13 से बढ़ाकर 30 कर दी जाएगी।
- साथ ही इस विस्तार के साथ, अमृतसर, अहमदाबाद, चेन्नई और गुवाहाटी में नए क्षेत्रीय उपमहानिदेशक कार्यालयों की स्थापना के साथ क्षेत्रीय उपमहानिदेशक कार्यालयों की संख्या मौजूदा 03 (दिल्ली, मुंबई और कोलकाता) से बढ़ाकर 07 कर दी गई है।
- इसके अलावा, पांच (05) क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित 111 पदों पर विचार किया जाएगा, एक बार इन स्थानों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार हो जाएगा और एक बार गृह मंत्रालय बाद के प्रस्ताव में इन कार्यालयों के लिए समान पदों का प्रस्ताव करेगा।
- तत्पश्चात् भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त महानिदेशक के 01 पद एवं उपमहानिदेशक के 05 अतिरिक्त पदों को स्वीकृत किया गया।
- उम्मीद है कि सभी नए कार्यालय वर्ष 2023 में काम करना शुरू कर देंगे।

स्वीकृत नए पदों का विवरण:

क्र. सं.	पद का नाम	वेतन स्तर	स्वीकृत पदों की संख्या
	प्रवर्तन		
1.	अपर महानिदेशक	स्तर-15/16	01*
2.	उप महानिदेशक	स्तर-14	05*
3.	अपर निदेशक	स्तर-13	**08**
4.	उप निदेशक	स्तर-12/13	**06**
5.	उप निदेशक (विधि)	स्तर-12	**01**
6.	वरिष्ठ लोक अभियोजक	स्तर-11	**13**
7.	लोक अभियोजक	स्तर-10	**17**
8.	सहायक निदेशक	स्तर-11	**18**
9.	अधीक्षक	स्तर-8	**20**
10.	निरीक्षक (आसूचना अधिकारी)	स्तर-7	**50**
11.	उप निरीक्षक (कनिष्ठ आसूचना अधिकारी)	स्तर-6	**100**
12.	निगरानी सहायक	स्तर-4	**40**
13.	हवलदार	स्तर-1*	**17**
14.	स्टाफ कार चालक	स्तर-2	**25**
15.	सिपाही	स्तर-1*	**49**
16.	मल्टी टास्किंग स्टाफ	स्तर-1	**00**
	मंत्रालयिक संवर्ग		
17.	प्रशासनिक अधिकारी	स्तर-10	**00**
18.	कार्यालय अधीक्षक	स्तर-8	**04**
19.	अनुभाग अधिकारी	स्तर-7	**15**
20.	सहायक	स्तर-6	**15**
21.	प्रमुख निजी सचिव	स्तर-11	**00**
22.	वरिष्ठ निजी सचिव	स्तर-8	**00**
23.	निजी सचिव	स्तर-7	**00**
24.	स्टेनो ग्रेड – **I**	स्तर-6	**00**
25.	स्टेनो ग्रेड – **II**	स्तर-4	**14**
	कंप्यूटर / सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग		
26.	सिस्टम विश्लेषक (हार्डवेयर और नेटवर्किंग)	स्तर-10	**01**
27.	प्रोग्रामर (आईटी / सॉफ्टवेयर)	स्तर-8	**02**
	साइबर विंग		
28.	सहायक निदेशक (साइबर)	स्तर-11	**01**
29.	अधीक्षक (साइबर)	स्तर-8	**03**

एनसीबी के प्रस्तावित / विद्यमान जोन एवं क्षेत्रीय कार्यालय

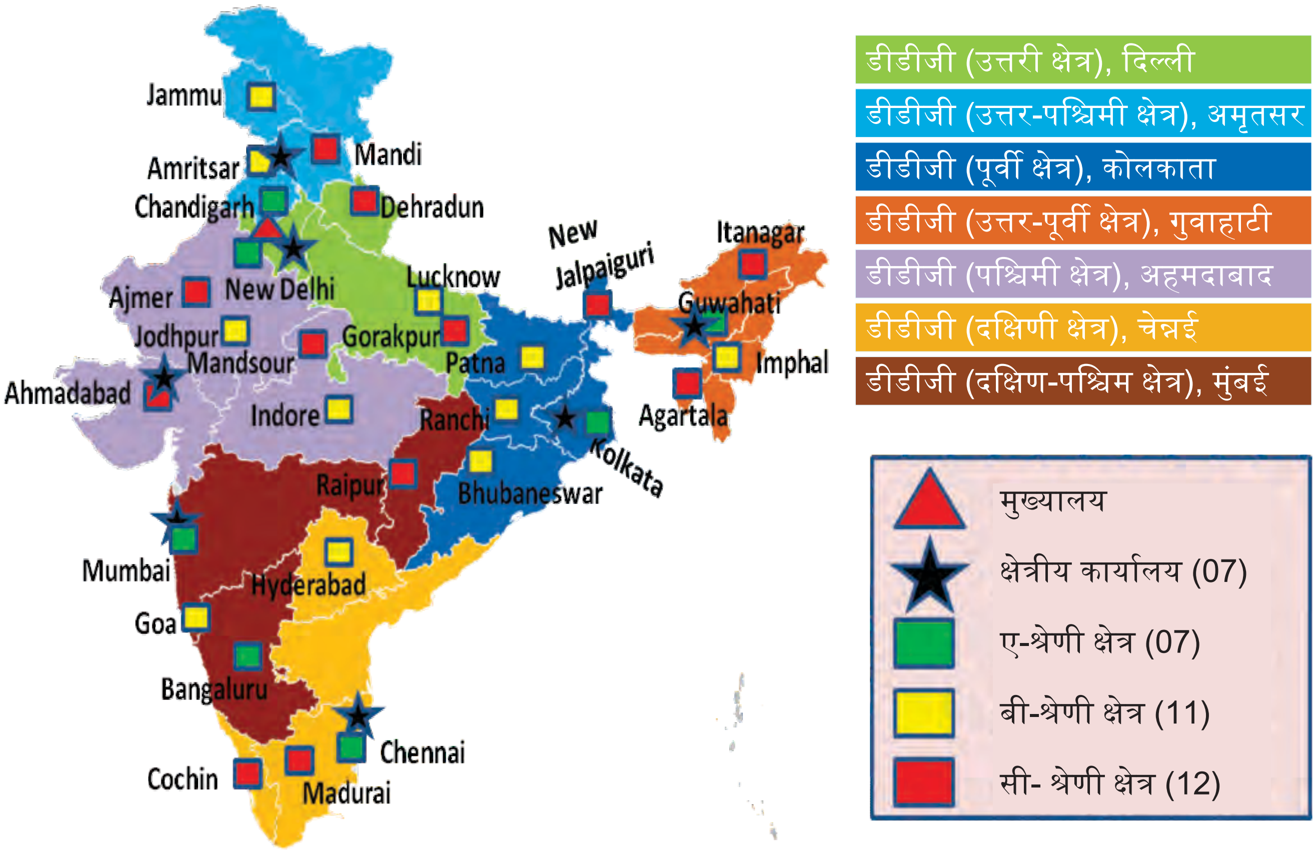

4.2 एनसीबी संगठन

वर्ष 1986 में एनसीबी की स्थापना, 164 स्वीकृत जनशक्ति तथा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और वाराणसी में जोनल इकाइयों के साथ की गई थी। बाद में, जोधपुर, चंडीगढ़, जम्मू, अहमदाबाद, इंदौर, गुवाहाटी, पटना और बैंगलोर में नए जोन स्वीकृत किए गए जबकि वाराणसी जोन को लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके अलावा, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में तीन उप महानिदेशक (क्षेत्र) के कार्यालय सृजित किए गए। पिछले दशक के दौरान देहरादून, अमृतसर, मंडी, अजमेर, रांची, भुवनेश्वर, इंफाल, गोवा, मंदसौर, कोचीन, मदुरै और हैदराबाद में सब जोन बनाए गए हैं। वर्तमान में, एनसीबी की स्वीकृत जनशक्ति 1501 है।

वर्ष 2022 में निम्नलिखित पदों पर पदोन्नति हुई है:-

i. आसूचना अधिकारी से अधीक्षक (01)

ii. निगरानी सहायक से कनिष्ठ आसूचना अधिकारी (14) (एलडीसीई के माध्यम से)

iii. उच्च श्रेणी लिपिक से सहायक (01)

iv. अवर श्रेणी लिपिक से उच्च श्रेणी लिपिक (02)

v. सिपाही से हवलदार (23)

vi. ग्रेड-II से ग्रेड-I तक स्टाफ कार ड्राइवर (05)

vii. सामान्य ग्रेड से ग्रेड-।। तक स्टाफ कार ड्राइवर (10)

viii. सीधी भर्ती कोटा के तहत 2022 में तीन (03) सहायक और 02 अवर श्रेणी लिपिकों की भर्ती की गई थी

2022 में प्रतिनियुक्ति से भरे गए पदों का विवरण :-

	पदनाम	अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या
i.	उप निदेशक/जोनल निदेशक	02
ii.	सहायक निदेशक	02
iii.	आसूचना अधिकारी	04
iv.	कनिष्ठ आसूचना अधिकारी	20
v.	सहायक	01
vi.	निगरानी सहायक	02
vii.	हवलदार	01
viii.	सिपाही	09
	कुल	41

4.2.1 वर्ष 2022 के दौरान अवसंरचना/परियोजनाएं

- इंदौर जोन में कार्यालय परिसर (ओसी) का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और कार्यालय को नए कार्यालय भवन परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया है।
- दिल्ली जोन के लिए द्वारका में और अमृतसर जोन के लिए अमृतसर में कार्यालय परिसरों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है।
- भुवनेश्वर जोन में कार्यालय परिसर (ओसी) का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और नए कार्यालय भवन परिसर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शीघ्र ही की जाएगी।
- इम्फाल जोन में कार्यालय परिसर (ओसी) और लखनऊ में कार्यालय सह आवासीय परिसर (ओसीआर) के संबंध में मिट्टी की जांच पूरी कर ली गई है। आरेखण/एलओपी प्राप्त किया जा रहा है।
- गुवाहाटी जोन में कार्यालय-सह-आवासीय परिसर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।
- अहमदाबाद और चंडीगढ़ जोन में कार्यालय-सह-आवासीय परिसर (ओसीआर) का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और कार्यालयों को नए कार्यालय भवन परिसरों में स्थानांतरित कर दिया गया है।

4.2.2 वर्ष 2022 में आयोजित कुछ कल्याणकारी कार्यक्रमों की झलकियां

4.3

एनसीबी के अधिकारियों को पदक / पुरस्कार द्वारा सम्मान

विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक (पीपीएम)

श्री संजय कुमार सिंह,
उप महानिदेशक (प्रचालन, प्रवर्तन एवं समन्वय),
एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली
को
गणतंत्र दिवस - 2023 के अवसर पर
विशिष्ट सेवा के लिए
राष्ट्रपति पुलिस पदक (पीपीएम)
द्वारा सम्मानित किया गया।

प्रतिभाशाली सेवा के लिए पुलिस पदक (पीएम)

श्री राकेश चंद्र शुक्ला, क्षेत्रीय निदेशक,
एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, कोलकाता
को
गणतंत्र दिवस - 2023 के अवसर पर
प्रतिभाशाली सेवा के लिए
पुलिस पदक (पीएम)
द्वारा सम्मानित किया गया।

एनसीबी के निम्नलिखित 05 अधिकारियों को वर्ष 2022 में
"जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक" द्वारा सम्मानित किया गया है:-

Sl. No.	Name	Designation	Place of Posting
1.	श्री सुधांशु कुमार सिंह	क्षेत्रीय निदेशक	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, गुवहाटी
2.	श्री कुलदीप शर्मा	सहायक निदेशक	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, दिल्ली
3.	श्री पंकज कुमार द्विवेदी	सहायक निदेशक	एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली
4.	श्रीमती महक जैन	अधीक्षक	उत्तरी क्षेत्र कार्यालय, नई दिल्ली
5.	श्री एम सुरेश कुमार	अधीक्षक	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, चेन्नई

महानिदेशक, एनसीबी द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके द्वारा की गई प्रशंसनीयसेवा / कार्य हेतु वर्ष 2022 के लिए डीजी डिस्क तथा डीजी प्रशस्ति पुरस्कार प्रदान किए गए।

क्र.सं.	नाम (श्री/श्रीमती/कुमारी)	पदनाम	तैनाती का स्थान
	डीजी प्रशस्ति डिस्क एवं प्रशस्ति पत्र		
1.	अमित घावटे	क्षेत्रीय निदेशक	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, मुम्बई
2.	पीयूष कुमार सिंह	सहायक निदेशक	एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली
3.	रवि शंकर जोशी	सहायक निदेशक	एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली
4.	रोहित श्रीवास्तव	अधीक्षक	एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली
5.	टी. अनिल कुमार	आसूचना अधिकारी	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, चेन्नई
6.	विजयसिंह मारुति शिंदे	आसूचना अधिकारी	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, मुम्बई
7.	दीपक कौशिक	आसूचना अधिकारी	एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली
8.	विकाश शर्मा	कनिष्ठ आसूचना अधिकारी	एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली
9.	सूरज प्रकाश जायसवाल	सहायक	एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली
10.	शैलेंद्र सिंह	सहायक	एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली
11.	ज़ुबिन सैम	निगरानी सहायक	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, बैंग्लोर
		डीजी प्रशस्ति पत्र	
1.	राकेश चन्द्र शुक्ला	क्षेत्रीय निदेशक	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, कोलकाता
2.	दिलीप रोबिदास	सहायक निदेशक	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, कोलकाता
3.	विकास कुमार	सहायक निदेशक	एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली
4.	कविता रावत	सहायक निदेशक	एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली
5.	प्रणीत शर्मा	अधीक्षक	एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली
6.	शांतनु आइच	अधीक्षक	एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली
7.	सुरेश कुमार सिंह	अधीक्षक	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, गुवाहाटी
8.	खेमचंद पाल	निजी सचिव	एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली
9.	त्रिलोक चंद	निजी सचिव	एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली
10.	पीयूष कुमार	आसूचना अधिकारी	एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली
11.	प्रदीप	आसूचना अधिकारी	एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली
12.	चन्द्र शेखर कुमार सिंह	आसूचना अधिकारी	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, गुवाहाटी
13.	एम. मीना कुमारी	आसूचना अधिकारी	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, पटना
14.	राज कुमार सॉ	आसूचना अधिकारी	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, लखनऊ
15.	रजनीश	आसूचना अधिकारी	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, चंडीगढ़
16.	कृतिका गोयल	कनिष्ठ आसूचना अधिकारी	एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली
17.	सांतनु गुहा	कनिष्ठ आसूचना अधिकारी	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, गुवाहाटी
18.	संजीव कुमार	कनिष्ठ आसूचना अधिकारी	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, जोधपुर
19.	अभिषेक यादव	सहायक	एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली
20.	अरुण कुमार	उच्च श्रेणी लिपिक	एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली
21.	चन्दन कुमार	उच्च श्रेणी लिपिक	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, कोलकाता
22.	मलया कुमार राऊत	निगरानी सहायक	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, कोलकाता
23.	स्वपनेन्दु पांडा	निगरानी सहायक	एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली
24.	संतोष कुमार लिवारिया	निगरानी सहायक	एनसीबी क्षेत्रीय इकाई, जोधपुर
25.	दिनेश कुमार	चालक (विशिष्ट श्रेणी)	एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली
26.	राजपाल	हवलदार	एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली

4-4 राजभाषा हिंदी

उल्लेखनीय प्रयास

संघ की राजभाषा नीति के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का ब्यूरो मुख्यालय एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों में अनुपालन कार्य किया जा रहा है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो मुख्यालय, उप महानिदेशक के कार्यालयों, क्षेत्रीय व उप क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा इस संगठन में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के निम्नांकित सार्थक प्रयास किए गएः-

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, मुख्यालय में विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का प्रत्येक तिमाही में आयोजन किया गया। बैठकों में हिंदी में कार्य करने और हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए चर्चा की गई तथा इस संबंध में कार्य नीतियां बनाकर उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया गया।

तिमाही, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक प्रगति रिपोर्ट का संकलन

ब्यूरो मुख्यालय की प्रत्येक तिमाही प्रगति रिपोर्ट का संकलन करने के लिए मुख्यालय के सभी अनुभागों से आंकड़े मंगवाए गए और ब्यूरो मुख्यालय की समेकित रिपोर्ट गृह मंत्रालय तथा राजभाषा विभाग को भी भिजवाई गई। ब्यूरो मुख्यालय की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तथा अर्धवार्षिक रिपोर्ट भी समेकित कर तैयार करके भेजी गई।

ब्यूरो मुख्यालय के सभी उप महानिदेशक के कार्यालयों, क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय कार्यालयों से राजभाषा प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्टें नियमित रूप से मँगवाई गई। उप महानिदेशक (उत्तरी क्षेत्र), उप महानिदेशक (दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र) व उप महानिदेशक (पूर्वी क्षेत्र) के कार्यालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों की वर्ष 2022 में सभी तिमाहियों की राजभाषायी रिपोर्टों की मदवार विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई तथा पाई गई कमियों को दूर करने हेतु सुझाव दिए गए।

हिंदी प्रशिक्षण

हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी टंकण प्रशिक्षण के लिए ब्यूरो मुख्यालय से 01 कार्मिक नामतः श्री भाला राम मेघवाल, सिपाही को नामित किया गया। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित अहनलाइन गहन हिंदी कार्यशालाओं के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की गई।

राजभाषायी निरीक्षण

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, मुख्यालय की ओर से श्रीमती कविता रावत, सहायक निदेशक द्वारा बैंगलुरू क्षेत्रीय कार्यालय का दिनांक 26-05-2022 को तथा उप महानिदेशक (दक्षिण पश्चिम क्षेत्र) कार्यालय तथा मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय का दिनांक 11-07-2022 को राजभाषा नीति कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एक ओर संबंधित कार्यालयों में हिंदी में हो रहे कार्यों की सराहना की तो दूसरी ओर पाई गई कमियों को दूर करने के सुझाव देते हुए सरकारी कामकाज को अधिकाधिक हिंदी भाषा में किये जाने के लिए प्रेरित भी किया।

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय, एनसीबी का दिनांक 20-08-2022 को राजभाषायी निरीक्षण किया गया जिसमें ब्यूरो की ओर से उप महानिदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन), उप महानिदेशक (दक्षिण पश्चिम क्षेत्र), सहायक निदेशक (अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई) तथा सहायक निदेशक (राजभाषा) ने भाग लिया। उक्त निरीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

गृह मंत्रालय द्वारा निरीक्षण

गृह मंत्रालय द्वारा बैंगलूरू क्षेत्रीय कार्यालय, उप महानिदेशक (दक्षिण पश्चिम क्षेत्र) कार्यालय एवं मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय तथा जोधपुर क्षेत्रीय कार्यालय का क्रमशः दिनांक 23-06-2022, 12-07-2022 तथा 18-10-2022 को राजभाषायी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में ब्यूरो मुख्यालय की ओर से आवश्यक निर्देश दिये गए तथा उक्त कार्यालयों द्वारा गृह मंत्रालय को अनुपालना रिपोर्ट भिजवाई गई।

मूल रूप से हिन्दी में टिप्पण आलेखन हेतु नकद पुरस्कार योजना

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की ब्यूरो, मुख्यालय तथा इसके कार्यालयों में लागू उक्त प्रोत्साहन योजना- वर्ष 2021-22 के लिए ब्यूरो मुख्यालय से 10 (दस) कार्मिकों को पुरस्कार हेतु नामित किया गया। इनमें से दो कार्मिकों को प्रथम पुरस्कार अर्थात् 5000×2=10,000/- (दस हजार रुपये) तथा तीन कार्मिकों को द्वितीय पुरस्कार अर्थात् 3000×3=9000/-(नौ हजार रुपये) तथा पांच कार्मिकों को तृतीय पुरस्कार अर्थात 2000×5=10,000/- (दस हजार रुपये) की राशि प्रदान की गई।

पुस्तकालय में हिन्दी पुस्तकों की खरीद

ब्यूरो मुख्यालय के पुस्तकालय में हिन्दी पुस्तकों की खरीद के लिए निर्धारित 50% का लक्ष्य प्राप्त करते हुए वर्ष 2022 में निर्धारित लक्ष्य के तहत पुस्तकों की खरीद की गई।

हिन्दी पखवाड़ा एवं हिन्दी दिवस

ब्यूरो, मुख्यालय व सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में 14 सितंबर से 29 सितंबर, 2022 के दौरान हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। ब्यूरो, मुख्यालय में हिंदी पखवाड़ा, 2022 के दौरान चार प्रतियोगिताओं (हिंदी निबंध, हिंदी टिप्पण–आलेखन, राजभाषा हिंदी सामान्य ज्ञान तथा हिंदी श्रुतलेखन प्रतियागिता) का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में कुल 44 प्रतिभागियों ने भाग लिया तथा कुल 20 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया।

14 सितंबर, 2022 को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर माननीय गृह मंत्री एवं गृह सचिव के हिन्दी संदेश ऑनलाइन प्रेषित किए गए तथा साथ ही, महानिदेशक महोदय द्वारा एक अपील जारी की गई जिसमें ब्यूरो मुख्यालय व सभी अधीनस्थ कार्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों को इस दौरान अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने के लिए निदेश दिया गया।

हिंदी कार्यशालाएं

ब्यूरो मुख्यालय में दिनांक 22-02-2022, 15-06-2022, 22-09-2022 तथा 21-12-2022 को हिंदी कार्याशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में ब्यूरो मुख्यालय के कार्मिकों सहित उप महानिदेशक, उत्तरी क्षेत्र तथा क्षेत्रीय निदेशक, दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय के कार्मिकों ने भी भाग लिया।

इन कार्यशालाओं में सरकारी कामकाज हिंदी भाषा में किए जाने के लिए प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया गया एवं इस संबंध में राजभाषा नीति के संबंध में सरल व रोचक ढ़ग से व्याख्यान हुआ। कार्याशालाओं के आयोजन में यह ध्यान रखा जाता है कि हिंदी कार्यशालाओं में बुलाए जाने वाले वक्ता तथा उनको दिया जा रहा विषय दोनों ही प्रतिभागियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकें।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (दक्षिण दिल्ली-२) की बैठक

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 20 मई, 2022 एवं 01-12-2022 को अध्यक्ष कार्यालय केंद्रीय विद्धुत प्राधिकरण द्वारा गूगल मीट के माध्यम से आयोजित बैठक में ब्यूरो मुख्यालय की ओर से श्री विजेंद्र सिंह, उप निदेशक (प्रशासन) द्वारा भाग लिया गया। नराकास की इस बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई की गई तथा अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट समयबद्ध प्रेषित की गई।

दिनांक 14 एवं 15 सितंबर, 2022 को गुजरात (सूरत) में आयोजित दो दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में सहायक निदेशक (राजभाषा) एवं वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी द्वारा भाग लिया गया। दिनांक 03-11-2022 को अमृतसर में आयोजित एक दिवसीय क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में सहायक निदेशक, अमृतसर क्षेत्र, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा भाग लिया गया।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के हिंदी-अंग्रेजी अनुवाद संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन

राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अंतर्गत यथापेक्षित द्विभाषी रूप से जारी किए जाने वाले कागजातों का हिंदी अनुवाद उपलब्ध करवाया गया।

ब्यूरो के विभिन्न पदों के भर्ती नियमों, कार्यालय आदेशों, मानक प्रपत्रों आदि का हिंदी रूपांतर उपलब्ध कराया गया। गृह मंत्रालय से संबंधित विभिन्न प्रकार की सामग्री का हिंदी अनुवाद उपलब्ध कराया गया।

भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और केंद्र सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में ब्यूरो मुख्यालय एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यान्वयन तथा अनुवाद संबंधी सभी अपेक्षित कार्यों को समयबद्ध संपन्न किया गया।

5 विधिक अनुभाग

एनसीबी मुख्यालय में विधिक अनुभाग, सभी विधिक मामलों में एनसीबी मुख्यालय के साथ-साथ एनसीबी क्षेत्रों और जोनों की सहायता के लिए अपर/उप विधिक सलाहकार और उप महानिदेशक (विधिक, जागरूकता और क्षमता निर्माण) के अधीन कार्य करता है। इस अनुभाग द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं:

- **एसएलपी प्रस्तावों के संबंध में प्रक्रिया:** विधिक अनुभाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालयों के आदेशों के संबंध में प्राप्त एनसीबी क्षेत्रों के एसएलपी प्रस्तावों पर कार्रवाई करता है। इन प्रस्तावों पर विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से कार्रवाई की जाती है। यह अनुभाग केंद्रीय एजेंसी अनुभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के समन्वय से सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी का मसौदा तैयार करना, दाखिल करना सुनिश्चित करता है।
- **सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी की निगरानी:** विधिक अनुभाग सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी मामलों की निगरानी करता है और सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर माननीय अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और अन्य पैनल परामर्शदाता की ब्रीफिंग सुनिश्चित करता है। एनसीबी मामलों में प्राप्त आदेशों को आगे की कार्रवाई/सूचना के लिए एनसीबी जोनों को भेजा जाता है।
- **उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाओं पर कार्रवाई करना:** विधिक अनुभाग विभिन्न उच्च न्यायालयों जहां एनसीबी एक पक्षकार है, में दायर रिट याचिकाओं की निगरानी भी करता है। जवाबी हलफनामा समय पर दाखिल करना और पैनल काउंसेलों की ब्रीफिंग भी सुनिश्चित की जाती है।
- **विधिक दस्तावेजों की जांच:** विधिक अनुभाग, विभिन्न अदालतों में दायर किए जाने वाले आवेदनों, याचिकाओं, शिकायतों, जवाबों/ प्रति शपथ-पत्र आदि सहित सभी विधिक दस्तावेजों की भी जांच करता है।
- **विधिक राय देना:** विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में अपर/उप विधिक सलाहकार एनसीबी मुख्यालय/क्षेत्रों/क्षेत्रीय इकाई /उप क्षेत्रीय इकाई द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत सभी विधिक और प्रशासनिक मामलों में राय देते हैं। विधिक अनुभाग उत्तरी क्षेत्र, एनसीबी क्षेत्रीय इकाई जहां विधि और न्याय मंत्रालय का कोई शाखा सचिवालय मौजूद नहीं है, में उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करने के लिए राय भी प्रदान करता है।
- **एनसीबी परिपत्रों/एसओपी का प्रारूपण और वितरण:** विधिक अनुभाग को विधिक मामलों के संबंध में महत्वपूर्ण परिपत्रों और एसओपी का मसौदा तैयार करने का कार्य भी सौंपा गया है।
- **एनसीबी में एसपीपी की नियुक्ति:** विधिक अनुभाग एसपीपी की रिक्तियों की मांग, प्रकाशन, और कानून और न्याय मंत्रालय के साथ काम करने से लेकर नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया को भी देखता है।
- **एसपीपी के कार्य-निष्पादन की निगरानी:** विधिक अनुभाग एसपीपी के कार्य-निष्पादन की भी निगरानी करता है और मामले में उचित दिशा-निर्देश जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखता है।
- **दोषमुक्ति के मामलों का विश्लेषण:** विधिक अनुभाग निचली अदालतों के दोषमुक्ति के आदेशों का भी विश्लेषण करता है और अवलोकन के लिए क्षेत्रीय इकाइयों को आवश्यक निर्देश जारी करता है।
- **ऐतिहासिक निर्णयों का परिचालन:** विधिक अनुभाग माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णयों को भी एनसीबी क्षेत्रीय इकाई /उप क्षेत्रीय इकाई में उनकी सूचना और अनुपालन के लिए प्रसारित करता है।
- **भारत और अन्य देशों के बीच आरोपित व्यक्तियों के प्रत्यावर्तन/स्थानांतरण पर टिप्पणियां प्रस्तुत करना:** विधिक अनुभाग भारत और अन्य देशों के बीच आरोपी व्यक्तियों के प्रत्यावर्तन और स्थानांतरण के संबंध में भी टिप्पणियां प्रस्तुत करता है।
- **विधिक विषयों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना:** प्रशिक्षण कार्यक्रमों/संगोष्ठियों आदि के दौरान विधिक विषयों पर व्याख्यान देने के लिए विधिक अनुभाग में अपर/उप विधिक सलाहकार और अन्य स्टाफ सदस्यों को भी नियुक्त किया जाता है।

5.1 प्रमुख निर्णय:

वर्ष 2021 और 2022 के दौरान एनडीपीएस मामलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण/ऐतिहासिक निर्णय निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	वर्ष	मामलों के शीर्षक	उद्धरण	भाग
1.	2021	गुरदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य	आपराधिक अपील संख्या 2021 की 375	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि ड्रग्स का कारोबार करने वाले लोग युवा, निर्दोष व्यक्ति जो ड्रग्स के व्यसन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं, की मौत का कारण बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए, एनडीपीएस अधिनियम के मामले में अभियुक्त को दंड या सजा देते समय, अभियुक्त की गरीबी या यह ध्यान में रखते हुए कि वह अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाला था, उसके दंड/सजा को कम नहीं किया जा सकता। किंतु बरामद ड्रग्स की मात्रा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 32B के तहत 10 वर्ष से अधिक की सजा देने के लिए एक प्रासंगिक कारक होगी।
2.	2021	बूटा सिंह बनाम हरियाणा राज्य	आपराधिक अपील संख्या 2021 की 421	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में पाया कि एक निजी वाहन एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "सार्वजनिक स्थान" के अंतर्गत नहीं आएगा। इस मामले में आरोपियों के पास से ड्रग्स तब बरामद किया गया जब वे एक सार्वजनिक स्थान पर जीप में सवार थे।
3.	2021	नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, लखनऊ बनाम मोहम्मद नवाज खान के माध्यम से भारत संघ	आपराधिक अपील संख्या 2021 की 1043	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत किसी अभियुक्त को जमानत तभी दी जा सकती है जब यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हों कि अभियुक्त निर्दोष था और जमानत पर रिहा होने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं थी।
4.	2022	नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाम मोहित अग्रवाल	आपराधिक अपील संख्या 2022 की 1001-1002	इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिव्यक्त किया कि धारा 37 की उप-धारा (1) के खंड (B) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "उचित आधार" का अभिप्राय न्यायालय के लिए विश्वसनीय, स्वीकार्य आधार होगा कि आरोपी व्यक्ति कथित अपराध का दोषी नहीं है। इस प्रकार के किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, ऐसे तथ्य और परिस्थितियां एक मामले में मौजूद होनी चाहिए जो न्यायालय को यह मानने के लिए राजी कर सकें कि आरोपी व्यक्ति ने ऐसा अपराध नहीं किया होगा। धारा 37 के संदर्भ में जमानत के लिए आवेदन की जांच

				के चरण में अधिनियम के अनुसार, न्यायालय को यह निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है कि अभियुक्त व्यक्ति दोषी नहीं है। इस स्तर पर न्यायालय द्वारा की जाने वाली पूरी कवायद उसे जमानत पर रिहा करने के सीमित उद्देश्य के लिए है। इस प्रकार, यह विश्वास करने के लिए उचित आधार की उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि अभियुक्त उन अपराधों का दोषी नहीं है जिनके लिए उस पर आरोप लगाया गया है और जमानत पर रहते हुए अधिनियम के तहत अपराध करने की संभावना नहीं है।
5.	2022	हिमाचल प्रदेश राज्य वी. निर्मल कौर @ निम्मो	2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1462	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर निर्णय दिया है और यह माना गया है कि एक बार जब यह पाया जाता है कि जब्त की गई सामग्री में 'मॉर्फिन' और 'मेकोनिक एसिड' शामिल है, तो यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त है कि जब्त की गई सामग्री एनडीपीएस अधिनियम की धारा 2(xvii) की परिभाषा के अंतर्गत आती है।
6.	2022	आसूचना अधिकारी, तिरुवनंतपुरम वी. नौशाद के.के	आपराधिक अपील संख्या -001726-001726 / 2019	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि इस मुद्दे मे कोई दलील नहीं है कि 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 382 के रूप में रिपोर्ट किया गया "हीरा सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य" मामले का न्यायिक / घोषणा अब में इस मुद्दे को सुलझाती है कि उक्त न्यायालय के निर्णय ने जिस "ई. माइकल राज बनाम आसूचना अधिकारी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, (2008) 5 एससीसी 161" के आक्षेपित निर्णय पर निर्भर किया- वह अब कोई वैधता नहीं रखता है और यह निर्धारित करने में कि मात्रा क्या है, तटस्थ पदार्थ की मात्रा की उपेक्षा नहीं की जाती है। उपर्युक्त स्थिति होने के स्थिति मे , हमारे पास अपील की अनुमति देने और 10 वर्ष की ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि हम वर्तमान अपील के लंबे समय तक लंबित रहने से उत्पन्न होने वाली स्थिति को उपहासात्मक मानते हैं, जहां विवादित फैसला 28.3.2007 का है, अर्थात 15 वर्ष पुराना है। हम उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता के कथन पर ध्यान देते हैं कि वह सभी प्रयासों के बावजूद संबंधित दो उत्तरदाताओं के संपर्क में भी नहीं हैं।

6 अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

		2018	2019	2020	2021	2022*
1. जब्त किए गए विभिन्न ड्रग्स (कि.ग्रा. में) और मामलों की संख्या						
ओपियम	जब्ती	4,307	4,488	5,212	5,161	3,805
	मामले	1,175	1,494	1,626	1,884	2,187
मोर्फिन	जब्ती	20	125	11	131	129
	मामले	105	192	78	208	2863
हेरोइन	जब्ती	1,258	3,231	3,838	7,197	5,410
	मामले	7,748	10,841	9,122	12,634	17,317
गांजा	जब्ती	3,91,275	3,42,045	5,81,644	8,12,545	7,18,376
	मामले	22,477	27,234	27,281	34,829	52,299
हशिश	जब्ती	3,911	3,572	6,643	4,197	3,495
	मामले	3,089	3,316	3,112	2,933	3,255
कोकेन	जब्ती	35	66	19	364	218
	मामले	103	134	82	120	157
मिथाक्युलोन	जब्ती	101	49	10	15	57
	मामले	21	20	12	14	38
एफड्रिन	जब्ती	337	686	841	325	1,001
	मामले	18	27	20	23	32
एसिडिक एनहाइड्राइड	जब्ती	9,717	214	121	24,265	333
	मामले	4	2	2	3	2
एटीएस	जब्ती	431	1,774	1,357	387	1,224
	मामले	40	77	94	120	157
2. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति						
क) विदेशियों सहित गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या		60,156	74,620	73,030	93,538	1,26,516
ख) गिरफ्तार किए गए विदेशियों की संख्या		335	436	299	593	777
3. नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई						
क) अभियोजित व्यक्तियों की संख्या		52,083	76,819	44,892	63,029	84,404
ख) दोषी व्यक्तियों की संख्या		21,446	30,151	10,666	12,428	26,304
ग) दोषमुक्त व्यक्तियों की संख्या		6,360	7,923	3,749	4,520	5,580
4. पीटीएनडीपीएस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1988 के तहत की गई कार्रवाई						
क) हिरासत आदेशों की संख्या (पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम, 1988)		0	0	10	21	22
ख) हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की संख्या		0	0	7	15	17
5. ड्रग्स की पैदावार वाले पौधों का विनाश						
क) अफीम के पौधों का क्षेत्र (एकड़ में)		10,819	10,386	10,769	11,027	13,796
ख) कैनबिस पौधों का क्षेत्र (एकड़ में)		8,476	22,809	21,559	34,866	26,266
6. अवैध उत्पादन का विनाश						
उत्पादन का नाम	**जब्त की गई ड्रग्स**					
हेरोइन	हेरोइन(कि.ग्रा.)	0	320	491	1,106	278
	मोर्फिन(कि.ग्रा.)	0	28	0	0	0
	मोर्फिन (lit)	0	0	136	356	0
	ओपियम(कि.ग्रा.)	0	0	0	36	3
	एसिडिक एनहाइड्राइड(कि.ग्रा.)	0	0	0	0	0
	अन्य पदार्थ (कि.ग्रा.)	0	3	52	165	186
	पहचान की गई ड्रग्स उत्पादन की सं.	0	6	2	4	3
	हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की सं.	0	0	0	7	4
मिथाक्युलोन	मिथाक्युलोन(कि.ग्रा.)	0	0	0	0	0
	एनथ्रानिलिक एसिड(कि.ग्रा.)	0	0	0	0	0
	एन-एसिटाइल एनथ्रानिलिक एसिड(कि.ग्रा.)	0	0	0	0	0
	अन्य पदार्थ(कि.ग्रा.)	0	0	0	0	0
	पहचान की गई ड्रग्स उत्पादन की सं.	0	0	0	0	0
	हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की सं	0	0	0	0	0

अंनतिम आंकड़ें

31-12-2022 की तिथि के अनुसार राष्ट्रीय ड्रग प्रवर्तन सांख्यिकी (अनंतिम)

		2018	2019	2020	2021	2022*
उत्पादन का नाम	**जब्त की गई ड्रग्स**					
एटीएस	एंफिटामाइन (कि.ग्रा.)	0	0	0	0	0
	मिथेमफिटामाइन (कि.ग्रा.)	0	0	0	0	0
	मिथेमफिटामाइन (लीटर)	0	0	0	0	0
	एफड्रिन/स्यूडो-एफड्रिन पाउडर के रुप में (कि.ग्रा.)	0	0	0	0	662
	एफड्रिन/स्यूडो-एफड्रिन टेबलट (कि.ग्रा.)	0	0	0	0	0
	एफड्रिन/स्यूडो-एफड्रिन गोलियां (संख्या)	0	0	0	0	0
	अन्य पदार्थ(कि.ग्रा.)	0	0	0	0	5,200
	पहचान की गई ड्रग्स उत्पादन की सं.	0	0	0	0	1
	हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की सं	0	0	0	0	2
केटामाइन	केटामाइन(कि.ग्रा.)	256	529	0	0	0
	टोलुइन(लीटर)	0	0	0	0	0
	एसिटोन(लीटर)	0	0	0	0	0
	डाई-इथाइल इथर(लीटर)	0	0	0	0	0
	अन्य पदार्थ (लीटर/कि.ग्रा.)	0	0	0	0	0
	मिथेमफिटामाइन (कि.ग्रा.)	13	0	0	0	0
	पहचान की गई ड्रग्स उत्पादन की सं.	1	2	0	0	0
	हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की सं	4	3	0	0	0
बहु ड्रग उत्पादन	हेरोइन(कि.ग्रा.)	0	0	0	0	0
	मोर्फिन(कि.ग्रा.)	0	0	0	0	0
	ओपियम(कि.ग्रा.)	0	0	0	0	0
	कोकेन (कि.ग्रा.)	0	0	0	0	0
	मिथेमफिटामाइन (कि.ग्रा.)	0	0	0	0	0
	एफड्रिन/स्यूडो-एफड्रिन पाउडर के रुप में (कि.ग्रा.)	0	0	560	5	0
	मिथाक्युलोन(कि.ग्रा.)	0	0	0	0	0
	एसिडिक एनहाइड्राइड(कि.ग्रा.)	0	0	0	0	0
	एनथ्रानिलिक एसिड(कि.ग्रा.)	0	0	0	0	0
	केटामाइन(कि.ग्रा.)	0	0	0	0	0
	मेफड्रॉन(कि.ग्रा.)	2	0	359	5	1,528
	डाई-इथाइल इथर(लीटर)	0	0	0	0	0
	अन्य(कि.ग्रा.)	163	0	16	91	75
	पहचान की गई ड्रग्स उत्पादन की सं.	1	0	3	3	6
	हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की सं.	1	0	4	16	30
फेंटानिल एचसीएल	**फेंटानिल एचसीएल (कि.ग्रा.)**	11	0	0	0	0
	पहचान की गई ड्रग्स उत्पादन की सं.	1	0	0	0	0
	हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की सं.	3	0	0	0	0
7. अवैध इंटरनेट फार्मेसियों का पर्दाफाश						
ध्वस्त की गई इंटरनेट सुविधा	साइकोट्रोपिक टेबलेट(संख्या)	63,771	0	0	0	0
	टेबलेट (कि.ग्रा.)	3	0	0	0	0
	पहचान की गई ड्रग्स उत्पादन की सं.	2	0	0	0	0
	हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की सं.	5	0	0	0	0
8. जब्त ड्रग्स और मनः प्रभावी पदार्थों का निपटान						
ओपियम		840	1,815	1,442	815	861
मोर्फिन		8	2	0	20	116
हेरोइन		363	613	6,742	490	1,163
गांजा		45,285	59,469	98,111	57,129	6,84,558

हशिश	1,500	1,279	606	742	2,928
कोकेन	6	25	2	10	7
मिथाक्युलोन	23,528	0	0	0	4
एफड्रिन	558	753	307	141	5,275
एसिडिक एनहाइड्राइड	2,620	11,955	0	55	302
एमफिटामाइन	32	5	2	13	2,000
9. संपत्ति की जब्ती					
क) जब्त की गई संपत्ति का मूल्य (Rs.)	0	0	0	84,91,044	0
मामलों की सं.	0	0	0	3	0
ख) फ्रीज की गई संपत्ति का मूल्य (Rs.)	9,50,85,893	1,67,35,982	4,51,11,078	30,98,79,766	17,05,62,173
मामलों की सं.	33	24	8	33	33
* अंनतिम आंकड़ें					

31-12-2022 की तिथि के अनुसार राष्ट्रीय ड्रग प्रवर्तन सांख्यिकी (अनंतिम)

	2018	2019	2020	2021	2022*
10. जब्ती की एजेंसी-वार संख्या					
पूरे भारत में	49,450	57,867	54,758	68,144	1,02,769
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो	424	385	412	684	521
राजस्व आसूचना निदेशालय	83	78	77	97	126
सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क	16	12	4	139	185
केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो	28	35	38	44	64
पुलिस	47,785	56,087	53,591	66,692	1,01,294
उत्पाद शुल्क	1,114	1,270	636	488	569
अन्य	0	0	0	0	0
11. जब्त की गई मात्रा का एजेंसी-वार वर्गीकरण (क्रि.ग्रा.)					
क. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो					
ओपियम	305	394	1,018	445	192
मोर्फिन	4	24	2	76	18
हेरोइन	300	137	343	1,052	676
गांजा	29,528	26,312	42,422	55,883	45,850
हशिश	640	563	615	404	697
कोकेन	26	38	4	3	31
मिथाक्युलोन	0	6	6	8	13
एफड्रिन	115	281	88	130	92
एसिडिक एनहाइड्राइड	9,651	17	21	215	281
एटीएस	73	1,439	490	75	353
ख. राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई)					
ओपियम	2	7	0	0	0
मोर्फिन	2	0	0	0	0
हेरोइन	31	237	201	3,388	916
गांजा	44,364	35,580	38,149	41,419	25,538
हशिश	290	303	118	230	77

कोकेन	3	1	5	322	138
मिथाक्युलोन	81	0	0	0	10
एफड्रिन	5	0	753	185	670
एसिडिक एनहाइड्राइड	0	0	0	0	0
एटीएस	13	136	79	74	272
ग. सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क					
ओपियम	0	1	0	0	5
मोर्फिन	0	0	0	0	0
हेरोइन	2	534	0	222	202
गांजा	187	0	0	2,801	879
हशिश	2	0	0	32	3
कोकेन	0	5	3	4	38
मिथाक्युलोन	14	34	0	2	3
एफड्रिन	0	0	0	0	49
एसिडिक एनहाइड्राइड	0	0	0	0	0
एटीएस	4	1	0	9	7
घ. केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो					
ओपियम	20	153	361	63	65
मोर्फिन	2	1	0	0	1
हेरोइन	3	2	2	10	1
गांजा	0	176	18	0	375
हशिश	4	4	0	0	0
कोकेन	0	0	0	0	0
मिथाक्युलोन	0	0	0	0	0
एफड्रिन	0	0	0	0	0
एसिडिक एनहाइड्राइड	0	0	0	24,050	0
एटीएस	0	0	0	0	0

* अंनतिम आंकड़े

31-12-2022 की तिथि के अनुसार राष्ट्रीय ड्रग प्रवर्तन सांख्यिकी (अनंतिम)

	2018	2019	2020	2021	2022*
ड राज्य पुलिस					
ओपियम	3,980	3,931	3,832	4,653	3,542
मोर्फिन	13	100	8	55	110
हेरोइन	913	2,308	3,279	2,507	3,581
गांजा	3,15,756	2,79,326	5,00,765	7,12,087	6,45,529
हशिश	2,976	2,701	5,909	3,531	2,718
कोकेन	7	22	8	36	11
मिथाक्युलोन	6	9	4	5	31
एफड्रिन	95	395	0	10	160
एसिडिक एनहाइड्राइड	66	197	100	0	52
एटीएस	340	139	742	152	478
च. राज्य उत्पाद शुल्क					
ओपियम	0	3	0	0	0
मोर्फिन	0	0	0	0	0
हेरोइन	8	13	13	19	33
गांजा	1,440	650	291	356	205
हशिश	0	1	0	0	0
कोकेन	0	0	0	0	0
मिथाक्युलोन	0	0	0	0	0
एफड्रिन	123	10	0	0	30
एसिडिक एनहाइड्राइड	0	0	0	0	0
एटीएस	0	59	46	76	115
छ. अन्य					
ओपियम	0	0	0	0	0
मोर्फिन	0	0	0	0	0
हेरोइन	0	0	0	0	0
गांजा	0	0	0	0	0
हशिश	0	0	0	0	0
कोकेन	0	0	0	0	0
मिथाक्युलोन	0	0	0	0	0
एफड्रिन	0	0	0	0	0
एसिडिक एनहाइड्राइड	0	0	0	0	0
एटीएस	0	0	0	0	0

* अंनतिम आंकड़े

अनुलग्नक-III

वर्ष 2022 के दौरान गिरफ्तार किए गए राष्ट्र - वार विदेशी *			
क्र.सं.	राष्ट्र	गिरफ्तार किए गए कुल व्यक्ति	एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
1.	अफ़ग़ानिस्तान	11	8
2.	अंगोला	1	0
3.	ऑस्ट्रेलिया	1	0
4.	बांग्लादेश	63	0
5.	बेलीज़	1	0
6.	ब्राज़िल	3	2
7.	भूटान	1	0
8.	बोलीविया	4	3
9.	चीन	1	0
10.	कांगो	4	1
11.	कोटे डी प्रेमी	1	0
12.	इथियोपिया	4	1
13.	फ्रांस	5	0
14.	गैबॉन	2	0
15.	गाम्बिया	1	0
16.	जर्मनी	1	1
17.	घाना	10	0
18.	यूनान	1	1
19.	गिनी	3	0
20.	आइवरी लागत	4	0
21.	ईरान	8	8
22.	इंडोनेशिया	8	0
23.	केन्या	16	3
24.	लातविया	1	0
25.	लाइबेरिया	3	0
26.	मलावी	1	0
27.	म्यांमार	45	0
28.	नेपाल	175	7
29.	नाइजीरिया	139	13
30.	ओमान	1	0
31.	पाकिस्तान	14	1
32.	रूस	4	1
33.	सेरा लियोन	2	0
34.	सिंगापुर	2	1
35.	श्रीलंका	2	2
36.	दक्षिण अफ्रीका	7	6
37.	सूरीनाम	2	0
38.	तंजानिया	13	3
39.	युगांडा	54	4
40.	यू के	1	1
41.	जाम्बिया	2	1
42.	ज़िम्बाब्वे	5	1
	कुल	627	69

*अंतरिम आंकड़ें (इस ब्यूरो में सूचित फार्म- एफ के अनुसार)

वर्ष 2022 में सभी डीएलईए द्वारा पूरे भारत में ड्रग की राज्य-वार जब्ती (किग्रा/सं./लीटर/ब्लॉट्स/बोतलों में)*

2022												
अंडमान और निकोबार	0.00	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40	0.00	0.00	0.00	0.00
आंध्र प्रदेश	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	99580	0.01	20.88	0.69	0.00
अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3342	0.00	0.00	4.65	0.00
असम	0.00	31.99	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	67825	0.00	0.00	133.94	0.00
बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23023	150.31	0.00	31.13	0.00
चंडीगढ़	1.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96	23.79	0.00	209.05	0.00
छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28127	0.25	0.00	0.52	0.00
DNHDD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00
गोवा	0.00	0.05	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	222	7.72	3.16	0.39	0.00
गुजरात	0.00	223.78	53.97	0.00	0.00	91.10	0.00	12839	933.97	0.00	741.59	0.00
हरियाणा	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	661.75	13583	218.16	0.00		0.00
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.01	5.70	0.00	0.00	0.00	163	362.10	0.00	11.41	0.00
जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1274	573.84	0.00	239.65	0.00
झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	6605	0.04	0.00	7.21	0.00
कर्नाटक	277.15	5.95	8.33	0.00	0.00	0.00	20.04	8279	17.99	20.21	49.82	0.00
केरल	0.00	2.50	0.02	0.00	0.00	0.00	2.48	3729	2.30	6.23	441.57	0.00
लद्धाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24546	11.48	0.00	49.53	0.00
महाराष्ट्र	0.00	206.01	89.28	0.00	0.00	444.50	4.62	15994	67.55	0.00	163.37	1.87
मणिपुर	0.00	254.55	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	5136	0.00	0.00	629.50	0.00
मेघालय	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5040	0.00	0.00	11.35	0.00
मिजोराम	0.00	332.30	0.00	0.00	0.00	100.80	59.33	306	0.00	0.00	81.79	0.00
नगालैंड	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2418	0.00	0.00	13.83	0.00
नई दिल्ली	2.75	24.59	51.64	0.00	0.00	0.00	13.28	4764	92.60	0.00	449.09	0.00
ओडिशा	0.00	0.00	0.40	4.30	0.00	7.63	0.00	184109	0.00	0.00	66.99	0.00
पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61	0.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2032	72.67	0.00	1614.74	0.00
राजस्थान	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	9603	14.66	0.00	80.65	0.00
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	0.00	0.00	0.47	0.00
तमिलनाडु	0.00	111.82	7.37	0.00	0.00	0.00	100.79	8961	52.38	7.34	12.17	0.00
तेलंगाना	0.00	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00	20.51	31694	0.41	45.68	0.42	0.00
त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84576	0.00	0.00	7.74	0.00
उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	366.05	0.00	45519	654.25	0.00	87.30	0.00
उत्तराखंड	0.00	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1233	238.21	0.00	21.22	0.00
पश्चिम बंगाल	0.00	1.00	0.50	344.55	2921.89	23.33	0.03	23647	0.14	0.00	182.94	1.00
कुल	332.90	1223.75	217.63	354.55	2,921.89	1,059.39	1000.82	718376	3,494.79	103.50	5,409.65	2.87

अनुलग्नक-II

0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	26	0.00	375	52	74
0	0.08	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.60	0	1405	3350
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.91	1	15	0	0.41	2500	299	541
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.15	326.77	3	0	301882	0.56	5281488	2907	4753
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.80	2480	944	58259	2.00	52420	1176	1837
0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	5.47	28.22	457	1723	0	0.00	16904	204	224
0	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0	25498	16762	0.00	567946	1164	1756
0	0.00	0.04	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	4	9
0	0.10	1.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	107	160	194
0	0.00	0.01	325.58	0.00	0.00	0.00	11.48	13120	0	8402	102.49	9444	516	849
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.77	12938	0	0	52.74	727402	3820	5025
1	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	34.55	19765	28	750	0.00	31736	1518	2215
0	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	3.24	17250	757	17635	0.00	257782	1857	2755
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.77	25179	54	4156	0.00	140317	446	648
10	0.18	46.27	0.00	0.00	4.90	0.00	12.55	8	0	36	0.45	2000	5076	6884
658	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0	280	0	0.13	838	26918	29527
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	1450	3	3
0	0.00	6.29	3.52	0.00	0.00	0.28	235.84	66927	20	94430	218.33	58283	4836	6082
167	2.79	0.11	2506.96	0.04	30.33	0.10	5.88	21564	0	88198	19.37	23772	12786	11400
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.70	3250	0	39952	328.51	490451	503	643
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0	0	3443	0.00	14672	118	243
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0	0	0	1.04	0	781	1129
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.75	0	0	4524	0.00	437900	211	291
0	0.01	1.13	0.00	1.76	1.66	0.00	83.29	243	2385	0	4.31	564644	1343	1573
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.86	1024	0	0	0.00	0	2507	3521
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	141	273
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	864.89	45829	28688	6225	0.00	5673464	12423	16831
0	0.00	0.21	10.14	0.00	3.99	0.05	686.20	165011	531	9838	0.00	1488522	3738	4515
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	178	0.00	11439	44	68
0	0.59	0.04	0.00	0.10	0.56	0.00	0.00	206	0	0	0.00	60	584	588
314	0.00	0.17	25.37	0.00	0.00	0.00	4.35	11	140	0	1.94	132	1281	3036
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	174913	0.00	220212	627	768
0	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	48.35	212.41	2129	552	0	34.60	148172	10273	10732
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98	70	17506	0	0.00	148098	1455	1760
0	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	55.18	54.79	892	12861	490223	34.78	924092	1593	2419
1150	3.74	62.67	2,871.83	1.90	57.49	128.59	3,804.57	398356	91982	1320132	802.27	17296622	102769	126516

अनुलग्नक-IV

क्र.सं.	राज्य	एएनटीएफ के प्रमुख	ई मेल- आई डी
1.	आंध्र प्रदेश	श्री ए. रमेश रेड्डी, आईपीएस, डीआईजी (निदेशक), एसईबी	director.sebap@gmail.com
		श्री एस हरि कृष्ण, आईपीएस डीआईजीपी, विशाखापत्तनम, रेंज	nodalofficerndpsap@gmail.com
		श्री जी कैनेडी, इंस्पेक्टर	narcoticcellcidap@gmail.com
2.	अरुणाचल प्रदेश	प्रधान सचिव (गृह), एएनटीएफ के प्रमुख	
		श्री चुकु आपा, आईपीएस, आईजीपी (एल एंड ओ / आईएनटी / डीआईआर (एफ एंड एस)	chuku.apa@ips.gov.in controlroomphq@gmail.com crbarunpol@gmail.com arpolice@rediffmail.com
		श्री रोहित राजबीर सिंह, आईपीएस, एसपी (क्राइम)	spsit@arunpol.nic.in
3.	असम	श्री एवाईवी कृष्णा, आईपीएस, एडीजीपी (सीआईडी)	adgp-cid@assampolice.gov.in ayvkrishna@yahoo.com
		श्री देबराज उपाध्याय, आईपीएस, आईजीपी (सीआईडी)	igp-cid@assampolice.gov.in
4.	बिहार	श्री नैय्यर हसनैन खान एडीजी पी (ईओयू)	adgecooffence-bih@gov.in
		श्रीमती। हरप्रीत कौर, आईपीएस, एसएसपी, गया	sp-gaya-bih@nic.in
		श्री सुशील कुमार, आईपीएस, एसपी, ईओडब्ल्यू	speou-bih@nic.in
5.	छत्तीसगढ़	डॉ. संजीव शुक्ला, आईपीएस, डीआईजी	digcidphq@gmail.com
6.	गोआ	श्री परमादित्य, आईपीएस, डीआईजी (पी)	digpgoa.gpol@nic.in
7.	गुजरात	श्री सुभाष त्रिवेदी, आईपीएस, आईजीपी (अपराध और रेलवे)	adgpcrime1-@gujarat.gov.in
8.	हरियाणा	श्री श्रीकांत जाधव, आईपीएस, एडीजीपी एसएनसीबी, मधुबन, करनाल	ncbhry.pol@hry.gov.in
9.	हिमाचल प्रदेश	एडीजीपी सीआईडी	adgp-cid-hp@nic.in etc-hp@nic.in
		श्री गौरव सिंह, आईपीएस, एसपी, एएनटीएफ	sp-ndps-hp@nic.in
10.	झारखंड	आईजीपी (सीआईडी) श्री आसिम विक्रांत मिंज	avminz@gmail.com cid@jhpolice.gov.in
		डॉ. एम. तमिल वनन, डीआईजी, सीआईडी	control-cid@jhpolice.gov.in dig-cid@jhpolice.gov.in
11.	कर्नाटक	एडीजीपी (आर्थिक अपराध प्रभाग और सीआईडी)	adgpeocid@ksp.gov.in

		श्रीमती मधुरा वीणा एमएल, आईपीएस, एसपी, सीसीएएन एंड आईडी, सीआईडी	spancid@ksp.gov.in
12.	केरल	श्री विजय सखारे, आईपीएस, एडीजीपी (कानून एवं व्यवस्था)	adgplo.pol@kerala.gov.in
13.	मध्य प्रदेश	डॉ. एस.डब्ल्यू नकवी, आईपीएस, एडीजी	adg_nar@mppolice.gov.in
14.	महाराष्ट्र	श्री विनीत अग्रवाल, आईपीएस एडीजी (पी)	adg.एटीएस@mahapolice.gov.in
15.	मणिपुर	श्री आशुतोष सिन्हा, आईपीएस, एडीजीपी (आईएनटी/एनएबी), एएनटीएफ प्रमुख	aksinha.ips@gmail.com
		निशीथ कुमार उज्जवल - आईजीपी / इंट, जोन - III.-- आईपीएस-- 2001	nujjwal174@gmail.com nishithkumar.ujjawal@ips.gov.in
16.	मेघालय	श्री ओ. पासी, आईपीएस, आईजीपी (सीआईडी) एएनटीएफ के प्रमुख	igp.cid-meg@gov.in pasiones02@gmail.com
		लेथिंद्रा संगमा--एसपी/सीआईडी—एमपीएस	
17.	मिजोरम	वीनू बंसल--आईजीपी (इंटेलिजेंस)---आईपीएस-2004, एएनटीएफ के प्रमुख	igpintel-phq@mizoram.gov.in
18.	नगालैंड	श्री संदीप एम. तामगाडगे, आईपीएस, एडीजीपी (एल एंड ओ)	adgplo.ngl@mha.gov.in
		श्री इमलीसुनेप, आईपीएस-आईजीपी (सीआईडी), एएनटीएफ के प्रमुख	igpcrime-ngl@gov.in igpint-ngl@gov.in
19.	ओडिशा	अरुण बोथरा, आईपीएस, 1996, एडीजीपी, सीआईडी, सीबी	
		श्री जय नारायण पंकज, आईपीएस, डीआईजी, एसटीएफ	digpstf.odpol@nic.in spstfcidcb.odpol@nic.in
20.	पंजाब	एडीजीपी, एसटीएफ	control.stf.police@punjab.gov.in
21.	राजस्थान	अपर मुख्य सचिव (गृह)	digpsog@rajpolice.gov.in
22.	सिक्किम	डीजीपी	adgpcid@sikkimpolice.nic.in
		श्री मनोज तिवारी, आईपीएस, आईजीपी (सीबी/सीआईडी)	igp-cid@sikkimpolice.nic.in
		श्री कुंजंग शांगदरपा, उप महानिरीक्षक (सीबी/सीआईडी)	spcid@sikkimpolice.nic.in
23.	तमिलनाडु	श्रीमती एन कामिनी, आईपीएस, आईजीपी (अपराध), एनआईबी	
		श्री रोहित नाथन राजगोपाल, एसपी	spnibcid@gmail.com
24.	तेलंगाना	एडीजीपी (एएनटीएफ के प्रमुख)	
		आईजीपी (इंटेलिजेंस सेल)	ancell-ts@tspolice.gov.in
		श्री अभिषेक मोहंती, आईपीएस, एसपी, एएनसी	ancell-ts@tspolice.gov.in
		श्री एस चैतन्य कुमार, एसपी	sckhyd@gmail.com

25.	त्रिपुरा	जी एस राव-- आईजीपी (अपराध)-- आईपीएस-1999, एएनटीएफ के प्रमुख	igpcrime-tr@gov.in igptrg@tripurapolioce.nic.in
		सुश्री शर्मिष्ठा चक्रवर्ती, एसपी, एंटी नारकोटिक्स	sp-antinarcotics@tripurapolice.nic.in
26.	उत्तराखंड	डॉ. वी. मुरुगेशान, एडीजीपी (एल एंड ओ), एएनटीएफ के प्रमुख और एनकॉर्ड के सचिवालय	adtfstate.ukp@uttarakhandpolice.uk.gov.in Iglo123ukp@gmail.com
		एसएसपी (एसटीएफ), नोडल अधिकारी एएनटीएफ	adtfstate.ukp@uttarakhandpolice.uk.gov.in
27.	उत्तर प्रदेश	आईजीपी (एएनटीएफ) / अब्दुल हमीद, आईपीएस, डीआईजी, एएनटीएफ	ig-antf.lu@up.gov.in
28.	पश्चिम बंगाल	आईजीपी, एसटीएफ	igstfwb@gmail.com
		श्री राकेश सिंह, आईपीएस, एसपी, एसटीएफ	spops.stf-wb@bangla.gov.in
		श्री सुभाष रॉय, उप पुलिस अधीक्षक, (मुख्यालय)	dsphq-nda@policewb.gov.in
		श्रीमती अर्पिता रे, उप पुलिस अधीक्षक, डी एंड टी	dspdthglyrural@gmail.com
29.	अंडमान और निकोबार	एडीजीपी	igpint.and@nic.in igp.and@nic.in
30.	चंडीगढ़	श्री राज कुमार सिंह, आईपीएस, आईजीपी, चंडीगढ़	igp-ut@chd.nic.in phqe9@chd.nic.in
31.	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	श्री पीयूष फुलझेले एएनटीएफ प्रमुख एसपी (मुख्यालय) / प्रचालन	sp-hq-dnhdd@ddd.gov.in
32.	दिल्ली	श्री रवींद्र सिंह, आईपीएस, विशेष पुलिस आयुक्त (अपराध) 9818099006	splcp.crime@delhipolice.gov.in
		श्री अमित गोयल, आईपीएस डीसीपी (क्राइम) 8130099042	dcp-antf-delhi@delhipolice.gov.in
33.	जम्मू और कश्मीर पुलिस	श्री ए के चौधरी, विशेष डीजीपी, (अपराध) (एएनटीएफ प्रमुख)	igcrime-jk@nic.in
		श्री विनय कुमार सक्सेना, एसएसपी, एएनटीएफ	sspantf-jk@jkpolice.gov.in
	जम्मू और कश्मीर राज्य उत्पाद शुल्क	श्री पंकज शर्मा, आबकारी आयुक्त	excise.commr@jk.gov.in
		तज़ायुन मुख्तार कावोस, जेकेएएस, उप पूर्व आयुक्त	tazayun@gmail.com
34.	लद्दाख	श्री एसजे महमूद, डीआईजीपी, एलकेआर पीजीक्यू (एएनटीएफ प्रमुख)	dig-ladakh@police.ladakh.gov.in
35.	लक्षद्वीप	प्रधान सचिव (गृह) (पर्यवेक्षी)	
		एसएसपी (प्रमुख)	
36.	पुदुचेरी	डॉ वी जे चंद्रन, आईपीएस, आईजीपी	igp@py.gov.in

Consumption & Trafficking of Narcotic Drugs & Psychotropic Substances is Prohibited in Law and Punishable with Rigorous Imprisonment and Fine.

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों का सेवन और तस्करी क़ानून में निषिद्ध हैं और कठोर कारावास और जुर्माने के साथ दंडनीय हैं/

Issued in Public Intrest By

Narcotics Control Bureau

Ministry of Home Affairs

Government of India

समन्वय एवं पहल

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
पश्चिमी ब्लॉक–1,खण्ड–5, आर०के०पुरम, नई दिल्ली –110066
: 011–26181553, फैक्स: 011–26185240
narcoticsbureau@nic-in www-narcoticsindia-nic-in
narcoticscontrolbureauindia @narcoticsbureau

Design & Print by : Jupiter Graphics